भ्रष्ट जज कुमार्ग पर

[Corrupt Judges on Wrong Path]

प्रकाशक व मुद्रक :-
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य
(यह समीति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर-राजनीतिक संस्था है।)
पुस्तक संबंधी किसी प्रकार की जानकारी के लिए
सम्पर्क सूत्र :- **09992373237, 09416296541, 09416296397, 09813844747**

जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा।
हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा।।

--: विषय सूची :--

1. भ्रष्ट जज कुमार्ग पर - 1
2. श्री सतीश कुमार मित्तल पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जज का अपने कमाऊ पूतों अर्थात् भ्रष्ट जजों को बचाने के लिए षड़यंत्र - 3
3. भ्रष्ट जजों तथा इनके दलाल वकीलों का सुनियोजित षड़यंत्र - 6
4. कोर्ट की अवमानना का कुचक्र - 6
5. भ्रष्ट जजों की मिलीभगत करके षड़यंत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण- 7
6. भ्रष्ट जज स्वयं कोर्ट में बुलाते हैं, स्वयं झूठा केस दर्ज करते हैं - 10
7. राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्यों का फैसला- 10
8. भ्रष्ट जज न्यायधीश नहीं रहे, जल्लाद तथा तानाशाह बन गए हैं - 10
9. भ्रष्ट जज तो लाखों श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुँचा रहे हैं - 12
10. संत रामपाल जी महाराज पर नहीं बनता अवमानना का मुकदमा - 14
11. भ्रष्ट जज उर्फ जल्लाद राजीव भल्ला का निदंनीय कार्य- 15
12. हाई कोर्ट के माननीय भ्रष्ट जजों का जल्लाद कर्म - 17
13. भ्रष्ट जज बने चण्डी माई जो बलि मांगती है - 20
14. जज अमोल रत्न सिंह तथा जज इन्द्रजीत का अन्याय- 20
15. माननीय जज इन्द्रजीत जी का अन्याय - 22
16. नेक जज का कार्य कैसा होना चाहिए - 22
17. भ्रष्ट जजों की मनमानियां - 23
18. भ्रष्ट जजों ने भक्त बसंत दास का जीवन नष्ट कर दिया- 24
19. हमारे निजी जीवन में भी भ्रष्ट जज दखलंदाजी करने लगे- 24
20. भ्रष्ट जज जान-बूझकर सत्य से आँखें बंद किए हैं - 25
21. जज सुशील कुमार के जल्लाद कर्म - 25

22. भ्रष्ट जज सविता कुमारी रोहतक कोर्ट के जल्लाद कर्म- 25
23. इस जज उर्फ चुड़ैल सविता का प्रतिशोधात्मक घटिया कानून विरूद्ध कार्य - 26
24. जज श्री सुशील कुमार गुप्ता का भ्रष्टाचार - 27
25. सैशन जज श्री सुशील कुमार गुप्ता के भ्रष्टाचार के विषय में दूसरा शिकायत पत्र - 35
26. जज सविता कुमारी का अन्याय तथा भ्रष्टाचार - 42
27. जज सविता कुमारी के भ्रष्टाचार का शिकायत पत्र - 42
28. जज अश्वनी कुमार ACJM का भ्रष्टाचार - 48
29. जज अश्वनी कुमार ACJM का अन्य हेराफेरी का प्रमाण - 56
30. मुख्य न्यायधीश हाई कोर्ट को भेजा गया पत्र - 58
31. परमात्मा के भक्तों का संयम से प्रदर्शन देखें फोटोकापी समाचार पत्र की - 62
32. कृपया पढ़ें जज अमोल रत्न जी के 07-08-2014 वाले आदेश की फोटोकापी - 64
33. सुझाव - 66

''संक्षिप्त कथा''

हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य भारत की जनता से निवेदन करते हैं कि राष्ट्र को भ्रष्टाचार रूपी दीमक अन्दर ही अन्दर खोखला कर रहा है। कुछ प्रशासनिक अधिकारियों-कर्मचारियों तथा राजनेताओं, मंत्रियों तथा मुख्यमंत्रियों के भ्रष्टाचार की कहानी जन-जन को मालूम है।

हम मानते हैं कि सर्व अधिकारी व कर्मचारी, राजनेता तथा मंत्री व मुख्यमंत्री जी भ्रष्ट नहीं हैं। लेकिन अधिकता भ्रष्टों की ही है।

जब उपरोक्त महानुभावों में से किसी भ्रष्ट व्यक्ति का भ्रष्टाचार सामने आता है तो उसको न्यायालय के सुपुर्द किया जाता है। कुछ दिनों के पश्चात् वह भ्रष्ट व्यक्ति किसी भ्रष्ट जज से साँठ-गाँठ करके उसी तरह अपनी नौकरी पर पुनः विद्यमान होता है।

★ एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गया था। आप रिश्वत के केस में जेल गए थे, आप कैसे छूटे? उत्तर था :- रिश्वत लेता पकड़ा गया था, रिश्वत देकर बरी हो गया।

★ वर्तमान में भ्रष्टाचार में भ्रष्ट जज सबको मात दे गए हैं। हम यहां पर यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि सर्व जज साहेबान भ्रष्ट नहीं हैं। अधिकतर ईमानदार हैं। कानून का पालन करने वाले तथा न्यायप्रिय हैं। यदि सुप्रीम कोर्ट की मानें तो 80% जज निचली कोर्ट में भ्रष्ट बताए गए हैं।

★ इस पत्र उर्फ पुस्तक ''भ्रष्ट जज कुमार्ग पर'' (**Corrupt Judge on Wrong Path**) में आप जी पढ़ेंगे तो प्रमाण देखकर आप स्वयं जानेंगे कि वास्तव में भ्रष्ट जज तो महाकमीने हो गए हैं।

पुलिस महकमें को सर्व जानते हैं कि उसमें कितना भ्रष्टाचार है तथा कितना इन्सानियत का नाश हो चुका है। हम यहाँ भी यही कहेंगे कि पाँचों ऊंगली एक समान नहीं होती। अच्छे-बुरे प्रत्येक समाज तथा समुदाय में हैं।

चुटकुला परंतु सत्य का प्रतीक :-

चुटकुला नं. **1.** :-

राजनेताओं के विषय में प्रसिद्ध है कि वे झूठ अधिक बोलते हैं क्योंकि कोई भी **M.L.A.**-मंत्री या **Member of Parliament (MP's)** लगभग लाखों व्यक्तियों से मत लेकर पद प्राप्त करते हैं। वे सर्व का कार्य नहीं कर सकते। अधिकजनों को हाँ, हम्बै, हो जाएगा तथा झूठा आश्वासन देकर रखना पड़ता है।

हम यह संदेश जनता को देना चाहते हैं कि यदि आप जी परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा आप जी के सर्व कष्ट निवारण करेगा। राजा लोग भी आपत्ति के समय परमात्मा से ही अर्ज करते हैं। भक्तों को लाभ दिलाने के लिए परमात्मा ऐसा माहौल (**circumstance**) बना देता है कि राजा भी विवश

होकर उन्हें लाभ देता है, परंतु देता परमात्मा है।

★ एक राजा जंगल में रास्ता भूलकर भटक रहा था। भूखा-प्यासा था। एक किसान के पास खेत में गया और कहा भाई मैं रास्ता भटक गया हूँ, बहुत भूखा हूँ। किसान ने अपनी रोटियां जो अपने खाने के लिए ला रखी थी, सर्व उठाकर उस व्यक्ति को दे दी, वह भूखा था, सर्व भोजन खा गया और किसान से पूछा आप क्या खाओगे? किसान ने कहा कि आप की भूख मिटाकर मुझे बहुत आनन्द आया है। मेरी भूख स्वतः ही समाप्त हो गई। राजा बहुत प्रसन्न हुआ तथा अपने विषय में बताया कि मैं राजा हूँ। यह मेरा पत्र लें। कभी आपत्ति पड़े तो इसे लेकर मेरे पास आ जाना। कुछ महीनों के पश्चात् सूखा गिर गया। किसान को याद आया कि अपने मित्र राजा से कुछ मांगकर लाता हूँ। किसान सीधा राजा के निवास पर चला गया। किसान के पास राजा का पत्र था। जिस कारण उसे किसी संत्री ने नहीं रोका। उस समय राजा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। राजा मुसलमान था, कभी ऊपर को हाथ कर रहा था तो कभी जमीन पर मत्था टेक रहा था। जब राजा अपनी क्रिया कर चुका तो अपने मित्र किसान को देखकर खुश हुआ। किसान ने पूछा आप क्या कर रहे थे? राजा ने कहा मैं अल्लाह-खुदा से अपने राज्य में सुख, वर्षा व धन माँग रहा था। आपका कैसे आना हुआ? किसान ने कहा कि मेरे से गलती हो गई। मैं तो एक भिखारी के पास आ गया। जिससे आप माँग रहे हो, उसी से मैं भी माँग लूंगा। तेरी बीच में सिफारिश की मुझे आवश्यकता नहीं। यह कहकर किसान वापिस आ गया। उसी क्षेत्र में वर्षा हुई। राजा की नगरी फिर भी अकाल की मार में रही। इसलिए भक्तों को भगवान के ही भरोसे होना चाहिए। इन राजाओं से कुछ मिलने वाला नहीं है।

★ एक समय कुछ राजनेता एक टूरिस्ट बस में भ्रमण पर निकले। बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सर्व यात्री एक गढ्ढ़े में गिर गए।

एक व्यक्ति बस के पास खड़ा था, हाथ में कस्सी (मिट्टी खोदने का औजार) लिए था। एक पैदल यात्री ने पूछा कि बस को क्या हो गया? उत्तर दिया कि दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

यात्री ने पूछा :- यात्री कहाँ गए?

उत्तर था :- मैंने इस गढ्ढ़े में दबा दिए, राजनेता थे।

प्रश्न यात्री का :- क्या सर्व मर गए?

उत्तर था :- कुछ राजनेता कह रहे थे कि हम जीवित हैं, परंतु मैंने सोचा कि राजनेता सत्य नहीं बोलते। इसलिए एक ही गढ्ढ़े में सर्व को दबा दिया। कहीं फिर दोबारा खुबात (परिश्रम) न करना पड़ जाए।

महाकमीने तथा झूठे राजनेता का प्रमाण :- भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी को तो हरियाणा की जनता अच्छी तरह जान चुकी है कि यह कितना झूठा तथा कमीना है।

★ सत्ता पर बने रहने की हवस के कारण झूठे वायदे किए :-

1. हजारों कर्मचारियों का चयन (Selection) किया। हजारों घरों को रोजगार की आशा जागी। परंतु झूठे राजनेता ने विभागों में पदों पर Join (नियुक्ति) नहीं कराया। कारण यह था कि झूठे लालचवश वोट देंगे, मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। सर्व को पता था कि यह व्यक्ति 9 वर्ष से ऐसे ही झूठे वायदे करता आ रहा है। यदि यह ठीक व्यक्ति होता तो सर्व को विभागों में Join (नियुक्ति) करा देता और कहता कि मैं मुख्यमंत्री बनूं या न बनूं, कर्मचारियों को तो रोजी-रोटी मिलेगी, इनके बच्चे दुआ देंगे। परंतु ऐसा व्यक्ति भलाई नहीं कर सकता, स्वार्थ को ही प्रधान मानता है।

2. फिर झूठा वायदा किया कि हरियाणा के कर्मचारियों को पंजाब सरकार के बराबर वेतन दूंगा, परंतु लागू करूंगा 1 नवम्बर 2014 से। चालबाज की चाल थी कि इस लालच में कर्मचारी मुझे वोट देंगे। परंतु कर्मचारियों को पता था कि यदि इसकी नीयत ठीक होती तो वर्तमान से लागू करता तथा वर्तमान से कर्मचारियों की नियुक्ति विभागों में करता। इस 420 व्यक्ति भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की दाल नहीं गली। कहते हैं काष्ठ की हाण्डी (पतीला) एक ही बार चुल्हे पर गलती से चढ़ता है, फिर नष्ट हो जाता है। दोबारा ऐसी गलती नहीं करता।

3. सन् 12 मई 2013 को इसने अपने ग्रुप के व्यक्तियों (आर्यसमाजियों) से सतलोक आश्रम करौंथा जि.रोहतक पर पुनः आक्रमण कराया। 12 जुलाई 2006 को यह व्यक्ति अपनी चाल में सफल हो गया था। उस समय भी इसी ने सतलोक आश्रम करौंथा जिला-रोहतक (हरियाणा) पर अपने ग्रुप के व्यक्ति आर्यसमाजियों से आक्रमण कराया था। झूठे मुकदमें आश्रम के संचालक संत रामपाल दास जी महाराज तथा आश्रम से जुड़े भक्तों पर बनाए और मुख्यमंत्री पद का दुरूपयोग करके जेलों में डलवा दिया। उन झूठे मुकदमों को अभी तक भक्त झेल रहे हैं। आश्रम कब्जे में ले लिया। कानूनी लड़ाई लड़कर ट्रस्ट ने आश्रम को दोबारा प्राप्त किया। यह पूर्व मुख्यमंत्री को अच्छा नहीं लगा। 12 मई 2013 को भी इसने इसी उद्देश्य से आक्रमण कराया था। परंतु अब आश्रम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से प्राप्त हुआ था। इसकी दाल नहीं गली, उल्टा इस का सुदर्शन चक्र इसी पर चल गया। श्री भूपेन्द्र सिंह पूर्व मुख्यमंत्री ने मार्च 2013 को धणोली जिला-जीन्द की गऊशाला को 2½ करोड़ रूपये सरकारी ग्रान्ट दिया जिस गऊशाला को आर्यसमाज हरियाणा का पूर्व

प्रधान बलदेव आचार्य चला रहा था। यह 2½ करोड़ रूपये वास्तव में आश्रम पर आक्रमण कराने के लिए गुंडे खरीदने के लिए दिए थे, ऐसा ही किया गया। एक महीना पहले सार्वजनिक ऐलान करके 12 मई 2013 को सतलोक आश्रम करौंथा पर आक्रमण करने के लिए गाँव करौंथा के मन्दिर छतरी गरीबदास जी महाराज में 11 मई को रात्रि में बदमाशों को लेकर इकट्ठे हुए। पुलिस उनसे मिलकर चल रही थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तथा इसके आर्यसमाजियों के षड़यंत्र की भनक पाकर आश्रम के ट्रस्ट के ट्रस्टी ने पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट से स्पैशल सुरक्षा करने की अर्जी लगाई जो माननीय हाई कोर्ट ने स्थिति को समझकर हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव को आश्रम की सुरक्षा के कड़े आदेश दिए।

12 मई 2013 से पहले भी दो बार ऐसा ही यह घिनौना कार्य किया गया था। एक तो 12 जुलाई 2006 को तथा दूसरा 9 अप्रैल 2013 को, उन दोनों घटनाक्रम में आर्यसमाजी पुलिसकर्मियों के साथकंधे से कंधा मिलाकर अत्याचार कर रहे थे। पुलिस पहले तो रोकने का ड्रामा करती थी, फिर आक्रमणकारियों को स्वतंत्र छोड़ देती थी। परंतु अब 12 मई 2013 को परिस्थिति बदल गई थी। पुलिस को हाई कोर्ट का सख्त आदेश था। इसलिए भूपेन्द्र सिंह हुड्डा का सुदर्शन चक्र उसी पर चल गया तथा भाई की सरकार जाने की स्थिति बन गई।

हुआ यूं :- आश्रम के चारों और लगभग 5 हजार पुलिसकर्मी तैनात थे। आक्रमणकारी जिस मन्दिर में रात्रि में रूके थे, वह स्थान आश्रम से लगभग 2 कि.मी. दूर गाँव करौंथा के अंदर उत्तर की ओर स्थित है। वहाँ से चलकर आक्रमणकारियों को आश्रम तक पहुँचने के लिए रोहतक-झज्जर रोड़ पर आना पड़ा। करौंथा गाँव के बस स्टैंड पर वे सड़क पर चढ़कर आश्रम की और चलने लगे। करौंथा गाँव का बस स्टैंड आश्रम से लगभग 1½ कि.मी. दूर रोहतक की ओर है। पुलिस ने आक्रमणकारियों को बस स्टैंड के पास सड़क पर ही रोकना चाहा क्योंकि पुलिस को हाई कोर्ट का सख्त आदेश था। आक्रमणकारियों को पहले वाला ही भ्रम था। अबकी बार आक्रमणकारी आर्यसमाजी तथा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ''दही के धोखे कपास खा गए''। आर्य समाज के आक्रमणकारी गुण्डों व उपद्रवियों ने पुलिस को ही पीटना शुरू कर दिया, फायरिंग कर दी। पुलिस ने कोर्ट के डर से तथा अपने बचाव में जवाबी फायरिंग की। जिसमें कुछ बदमाश मारे गए, एक महिला भी मारी गई जो लाठी लेकर पुलिस पर आक्रमण कर रही थी। कहते हैं ''विनाशकाले विपरिता बुद्धि''। तत्कालीन मुख्यमंत्री के अत्याचार का कुचक्र उसी की गर्दन तक पहुँच गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वयं रोहतक में बैठकर

अपनी देखरेख में आश्रम के अनुयाईयों को मरवाने के लिए यह सर्व घिनौना कर्म करा रहा था। जब पता चला कि नाश हो गया तो हैलिकॉप्टर में बैठकर दिल्ली की और रवाना हुआ तथा अपने कराए नाश का मुआयना करता हुआ घटनास्थल के ऊपर से गया। उसकी विडियो फुटेज हमारे पास है।

दूसरी पार्टी वालों का दाँव लग गया। पुलिस भिड़ंत में मरी महिला का शव सड़क पर रखकर आश्रम खाली कराने की माँग करने लगे। आश्रम सुप्रीम कोर्ट से प्राप्त था। किसी भी कीमत पर भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री आश्रम को खाली नहीं करा सकता था। गृह सचिव ने मुख्यमंत्री के पूछे बिना ही अपनी नौकरी के डर से मिल्ट्री भी आश्रम की सुरक्षा के लिए भेज दी। उस समय श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को नानी याद आ गई। उसी दिन फोन से गृह सचिव को बदल दिया। अपना चमचा रोशन लाल सैनी नियुक्त कर दिया। दिल्ली में सोनिया गाँधी जी से अपनी सरकार बचाने की भीख माँगी। श्रीमति सोनिया जी ने केन्द्रीय गृह मंत्री से संपर्क साधा। तत्कालीन गृह मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी ने बताया कि भूपेन्द्र की सरकार तो जाएगी ही जाएगी, इसको जेल भी तुरंत जाना पड़ेगा। श्री भूपेन्द्र सिंह जी को बताया गया कि तेरी सरकार व जेल केवल संत रामपाल दास जी की शरण में जाने से बच सकती है। इस घटिया व्यक्ति ने उस महिला की हत्या का मुकदमा संत रामपाल जी महाराज पर बनवा दिया था जो करौंथा आश्रम से लगभग 115 कि.मी. दूर सतलोक आश्रम बरवाला जिला-हिसार (हरियाणा) में पूर्व निर्धारित सत्संग 10-11-12 मई 2013 का कर रहे थे। जहाँ पर 50 हजार श्रद्धालु सत्संग सुन रहे थे।

जब इस कंस भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की कोई दाल नहीं गली, पृथ्वी छोटी हो गई। उस समय उसी महापुरूष के चरणों में अर्ज लगाई जिसके साथ सन् 2006 से ही दुश्मन जैसा बर्ताव कर रहा था। उस समय इस व्यक्ति ने जीभ निकाल रखी थी। मध्यस्थता करने वाले पूर्व केन्द्रीय मंत्री जय प्रकाश (J.P.) के माध्यम से कहा कि मेरी सर्व गलतियां माफ करें, मैं भ्रमित था। आज मेरी आँखें खुल गई हैं, मुझे भले-बुरे की पहचान हो गई है। आज तक जितने भी मुकदमें बनाए हैं, सर्व वापिस लेकर समाप्त कर दूँगा, मेरी रक्षा करें। पहले तो आश्रम के मौजिज भक्तों ने उस मध्यस्थता करने वाले को मना कर दिया कि इस व्यक्ति का नाम भी नहीं लेना हमारे सामने। इस दुष्ट व्यक्ति ने बिना मतलब एक देवता स्वरूप, जनता के हितैषी संत को सताया है। इससे पूछो कि हमने तथा हमारे गुरूदेव जी ने इसका क्या बिगाड़ा है? बहुत विनय करने पर तथा विशेष भक्तों के माध्यम से प्रार्थना आने पर उस जालिम भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की याचना गुरूदेव जी को बताई गई। गुरूदेव जी ने कहा कि यह

व्यक्ति कोई मुकदमें वापिस नहीं लेगा क्योंकि इसके भाग्य में भलाई नहीं है। जैसा कि टी.वी. चैनलों पर चल रही खबरों से पता चलता है कि वे दुष्ट लोग डटकर सड़क पर बैठ गए हैं, आश्रम खाली कराने की जिद कर रहे हैं। आश्रम पर मिल्ट्री आ चुकी है। ये आर्य समाजी आचार्य जनता का नाश करना चाहते हैं तथा अन्य पार्टी वाले अपने राजनैतिक दुश्मन श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को पद से हटाना चाहते हैं। इसलिए ये मासूम लोगों को मरवाना चाहते हैं जो इनके गन्दे मंसूबे से परीचित नहीं हैं। आश्रम सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मिला है। किसी भी कीमत पर खाली नहीं कराया जा सकता। वहाँ पर लाशें बिछ जाएंगी। मेरी आत्मा नहीं मानती कि वहाँ नरसंहार हो, ऐसे आश्रम का आप क्या करोगे? इसलिए जनहित में आश्रम खाली कर देना उचित है। सरकार से वायदा कराएं कि आश्रम की सुरक्षा मिल्ट्री को सुपुर्द करें।

तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने यह शर्त मंजूर कर ली, आश्रम खाली कर दिया गया। तब उस कंस भूपेन्द्र की सरकार बची। 12 मई 2013 से 26 अक्तूबर 2014 तक 1½ वर्ष का इस कृतघ्नी को राज्य हमारे सतगुरू देव जी का बख्शा हुआ था। उसके पश्चात् यह कृतघ्नी व्यक्ति भूपेन्द्र सिंह हुड्डा आश्रम में संत जी का धन्यवाद करने भी नहीं आया जबकि 13 मई 2014 को मध्यस्थता कराने वाला सीधा भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से बातें कर रहा था। तीन दिन तक यह सो नहीं पाया था। भक्त सुन रहे थे कि वह कह रहा था कि एक बार मेरे गले से फाँसी निकलने दो, इस समस्या का हल हो जाने दो, मैं आश्रम में आऊँगा, कहो तो आज रात को ही आ जाऊँ। ''गरज निकली बच्चा सुखी''। काम बना तो किसी की जरूरत कृतघ्नी व्यक्ति को नहीं होती। 18 मई 2013 को मध्यस्थता कराने वाले पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री जय प्रकाश जी ने कहा कि मैं जो वायदा करता हूँ, उसे पूरा करता हूँ। मेरे सामने जो वायदा मुख्यमंत्री जी ने किया है, मैं आपकी मीटिंग मुख्यमंत्री (तत्कालीन) से कराऊँगा। श्री भूपेन्द्र सिंह जी से 18 मई 2013 को उसके दिल्ली निवास पर आश्रम के 1. भक्त महेन्द्र दास जी (गुरूजी के भाई) 2. भक्त बलजीत दास जी (ट्रस्ट के महासचिव) तथा 3. भक्त राजकपूर जी को साथ लेकर श्री भूपेन्द्र जी (तत्कालीन मुख्यमंत्री जी) से मिले। साथ में श्री महेन्द्र सिंह चौपड़ा मुख्यमंत्री का P.A. कुल छः व्यक्तियों के बीच में मीटिंग हुई। इसने अपना वायदा दोहराया कि आप के सर्व मुकदमें समाप्त कर दूंगा। परंतु झूठा तथा कर्महीन व्यक्ति कभी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। आज-कल, आज-कल करते-2 जुलाई 2014 आ गई, कुछ नहीं किया।

★ **12 जुलाई 2006 में इस दुष्ट का इरादा संत रामपाल दास जी महाराज को मरवाने तथा आश्रम तहस-नहस करने का था। परंतु :-**

कबीर, जाको राखे साईयां, मार सके ना कोय।
बाल न बांका कर सके, चाहे जग बैरी होय।।

मीडिया को अपने प्रभाव में लेकर संत जी तथा सतलोक आश्रम करौंथा को इतना बदनाम करा दिया कि आम जनता भी संत जी से घृणा करने लगी। परंतु सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज 28 अक्तूबर 2014 तक भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जमीन से नीचे गढ्ढ़े में गिरा है, राज रहित है। संत रामपाल जी तथा उनका सत्य ज्ञान आज शिखर में है। प्रतिमाह 25 हजार अनुयाई बन रहे हैं।

★ **झूठे मुकदमें झूठे ही होते हैं। भूपेन्द्र सिंह हुड्डा (तत्कालीन मुख्यमंत्री) ने वकीलों से कहा कि जल्दी-जल्दी सजा करा दो। उनके वरिष्ठ वकील श्री रणसिंह कादयाण ने कोर्ट से निकलते समय अपने साथी वकील से कहा कि इस मुकदमें में धाँस भी नहीं है अर्थात् कुछ भी नहीं है। यह मुकदमा बनता ही नहीं। ठीक से बनना चाहिए था।**

★ **इसके पश्चात् श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपने मुख्यमंत्री पद का प्रभाव डालकर जजों को सजा करने की सुपारी देनी शुरू कर दी। जिसकी अधिक जानकारी पत्र उर्फ पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' तथा ''न्यायालय की गिरती गरिमा'' में लिख चुके हैं।**

''जुलाई 2014 में एक षड़यंत्र और रचा''

★ **इसी क्रम में सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता रोहतक कोर्ट को भी संत रामपाल दास जी को सजा करने की सुपारी देकर रोहतक कोर्ट में भेजा।**

कुछ विशेष :- श्री सुशील कुमार गुप्ता जी हिसार शहर में कन्जूमर कोर्ट में जज लगे थे।

सूत्रों का कहना है कि श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पहली शर्त रखी थी कि मेरा एक कार्य है। संत रामपाल जी महाराज का एक मुकदमा नं. 198/2006 रोहतक कोर्ट में चल रहा है। उसमें छः महीने के अंदर-अंदर सजा होनी चाहिए। इसी शर्त पर सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता ने सैशन जज लगते ही जुल्म ढ़हाने शुरू किए। जिसकी सम्पूर्ण जानकारी कृप्या पढ़ें पृष्ठ 25 से 39 पर।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने हाई कोर्ट के भ्रष्ट जजों को अपना सहयोगी बना ही रखा था। सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता ने संत रामपाल दास जी महाराज की कोर्ट में निजी तौर पर उपस्थित होने से दिनांक 12-02-2014 को

स्थाई हाजरी माफी कर दी। इसने कोर्ट में **Openly** कहा था कि इस मुकदमा नं. **198/2006** का निपटारा शीघ्र करना है। इसलिए बार-बार हाजरी माफी की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे महाराज जी से **Affidevit** लेकर स्थाई हाजरी माफी कर दी तथा छोटी-छोटी तारीख लगाकर अपना वायदा पूरा करना चाहा। इस मुकदमें में **38** मुलजिम बना रखे हैं। भक्त विजय दास मानसिक परेशानी के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सका, जिस कारण से गवाहियां नहीं हो सकी। जज महोदय तो अपनी सुपारी पूरी करने के लिए कटिबंध थे। इसलिए विजय के दो जमानतियों पर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना कर दिया तथा संत रामपाल जी महाराज की स्थाई हाजरी माफी कैन्सिल करके सर्व भक्तों को जो इस झूठे मुकदमें में मुलजिम बना रखे हैं तथा संत रामपाल दास जी महाराज को जेल में डालने तथा शीघ्र अति-शीघ्र गवाही कराकर एक-दो महीने में अर्थात् अक्तूबर से पहले (विधानसभा चुनावों से पहले) सजा करके सुपारी पूरी करनी चाही। उसी समय **05-06-2014** को हाई कोर्ट का भ्रष्ट जज सतीश कुमार मित्तल रोहतक कोर्ट में चैकिंग के बहाने अपना भ्रष्टाचार का हिस्सा लेने गया हुआ था। **06-06-2014** को स्थाई हाजरी माफी कैन्सिल कर दी तथा **14-07-2014** को जेल भेजने का षड़यंत्र रचा। परंतु परमात्मा जिसका रक्षक है, उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? तत्कालीन मुख्यमंत्री सहित सर्व भ्रष्ट जजों को मुँह की खानी पड़ी। अधिक जानकारी आप जी इस पुस्तक में पढ़ें।

★ भूपेन्द्र सिंह हुड्डा झूठा तथा कृतघ्नी व्यक्ति है। एक अन्य प्रमाण :-

★ जब अत्याचारी तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सर्व ताकत असफल रही तो इसने मित्र बनकर अपने घटिया उद्देश्य में सफल होने की सोची।

18 जून को **D.G.P. (CID)** श्री अनन्त सिंह ढुल का फोन भक्त रविन्द्र दास जी पूना वाले के पास आया जो पहले से ही **D.G.P.** का मिलने वाला था। ढुल ने कहा कि मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई है, वे कहते हैं कि हम आपके गुरूदेव जी पर बने सर्व मुकदमें समाप्त करना चाहते हैं। भक्त रविन्द्र दास जी को भी इस झूठे मुकदमें में मुलजिम बना रखा है।

भक्त रविन्द्र दास ने मुख्य भक्तों के साथ सभा में सर्व बात बताई। उसमें निष्कर्ष निकला कि यह एक नया षड़यंत्र रचा गया है। श्री भूपेन्द्र जी की सर्व घटिया चाल फैल हो चुकी हैं। अब विश्वास में लेकर हमें जेल भिजवाना चाहता है कि भक्त यह जानकर विश्वास कर लेंगे कि केस तो वापिस हो ही जाने हैं, जेल से भी मुक्त हो जाएंगे।

इसलिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्यों ने सिर पर कफन बाँधकर कसम खाई कि यदि इस बार गैर-कानूनी तरीके से गुरूदेव जी को जेल भेजा तो भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तथा उसकी पुलिस तथा भ्रष्ट जजों को दिन में तारे दिखा देंगे। सर्व संगत ने 14 जुलाई 2014 को रोहतक कोर्ट के सामने डण्डे-झण्डे लेकर पहुँचने का निर्णय लिया। जिसके परिणामस्वरूप महाराज जी की हाजरी विडियो कान्फ्रैंस के जरिए हिसार कोर्ट में हुई। गुप्तचर विभाग से सरकार को पता चल गया कि यदि जेल भेजने के आदेश हुए तो कहर हो जाएगा। इसलिए जज को ऐसा न करने को कहा गया क्योंकि सर्व भ्रष्ट जज व अन्य मंत्री व प्रशासन Online थे।

★ फिर दूसरी चाल चली, वकीलों को जान-बूझकर हिसार कोर्ट के कान्फ्रैंस कक्ष में भेजा जहाँ पर संत जी अपनी हाजरी दर्ज कराने के लिए बैठे थे। संत जी के साथ बदतमीजी की। पुलिस ने उनको कक्ष से दूर किया। उल्टा मुकदमा नं. 12 Dated-22-07-2014 कोर्ट की अवमानना का बनाकर हाई कोर्ट के भ्रष्ट जजों ने जुल्म ढ़हाने शुरू किए। जिसका विस्तृत विवरण इस पत्र/पुस्तक में दिया गया है। फिर भी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने अपने जैसा ही झूठा व्यक्ति राजनेता श्री धर्मबीर गोयत हिसार को मध्यस्थ बनाकर हमारे को अपने जाल में फंसाकर सम्पर्क बनाए रखना चाहा। इसको डर था कि कहीं वे इलेक्शन में मेरा विरोध न कर दें। इसलिए श्री धर्मबीर के माध्यम से सम्पर्क साधा। श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने A.S. Dhull D.G.P. (CID) के माध्यम से भक्त रामकुमार दास (प्रधान राष्ट्रीय समाज सेवा समिति) से सम्पर्क साधा क्योंकि भक्त रामकुमार दास D.G.P. Dhull का नाते में मामा-बुआ का भाई है।

★ मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा को पता चल गया था कि मैनें लगभग 1½ वर्ष से इनको मुकदमें वापिस लेने का झांसा दे रखा है, हो सकता है इनका मुझसे विश्वास उठ जाए। पूर्व मध्यास्थ श्री जयप्रकाश पूर्व मंत्री बीच से निकल गया क्योंकि उसको इस झूठे व्यक्ति भूपेन्द्र सिंह हुड्डा पर अविश्वास हो गया था। फिर निर्दलीय चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। इसलिए एक स्पैशल झूठा तथा 420 व्यक्ति धर्मबीर गोयत हिसार वाला बीच में लिया। उसने मास्टर रामकुमार से D.G.P. Dhull के माध्यम से सम्पर्क बनाया तथा विश्वास दिलाया कि मैं मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह जी से मिलकर पक्की बात करके आया हूँ। आप के सर्व मुकदमें वापिस ले लेंगे। आप शान्त रहना। उसने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा से मास्टर रामकुमार की बात कराई। मुख्यमंत्री ने भक्त रामकुमार को विश्वास दिलाया तथा कहा कि मैं आपको जानता हूँ, आप गाँव सुण्डाना के हैं। मेरी पत्नी की भाभी भी

सुण्डाना की है। आप तो महाराज की और से भी और हमारी और से भी विश्वसनीय मिल गए। मैं सर्व मुकदमें वापिस ले लूंगा, आप विश्वास रखना। ऐसे फिर भी मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने पक्का झूठा वायदा किया। हरियाणा सरकार के गृह सचिव से भी हमारी अर्जी जो मुकदमा वापिस लेने की थी, जो मुख्यमंत्री के कहने पर AAG (सरकारी वकील) चण्डीगढ़ श्री प्रदीप पूनियां ने तैयार की थी। 24-09-2014 को हरियाणा सरकार के गृह सचिव ने रोहतक D.C. को रिपोर्ट करने को Forward की। चुनाव के बाद भी झूठा आश्वासन देते रहे कि दूसरे मुख्यमंत्री की शपथ लेने से पहले-पहले आपका कार्य हो जाएगा। परंतु दुष्ट व्यक्ति बुरा तो कर सकता है, भला उसके भाग्य में नहीं होता। पृष्ठ 13 पर देखें फोटोकापी जो गृह सचिव हरियाणा द्वारा रोहतक D.C. को भेजी थी।

हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि पाठक जन यह न सोचें कि अब वह मुख्यमंत्री नहीं रहा, इसलिए पीठ पीछे से लिख रहे हैं। हमने अक्तूबर 2010 को एक पत्र अर्थात् पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' लिखी थी। एक भक्त ने पुस्तक ''करौंथा काण्ड का रहस्य'' लिखी थी। उसमें इसके काले कारनामे लिखे हैं। इसकी धोती-सी धोकर घुटनों के बल चलाकर पद से हटाया है। हम भक्त हैं, हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हमने सोचा था कि गलती इंसानों से ही होती है। गलती करके मान लें, उसे इन्सान कहते हैं। गलती करके माने नहीं, उसे हैवान (पशु) कहते हैं। गलती न करे, उसे भगवान कहते हैं। यह ''हैवान'' कैटेग्री का व्यक्ति है।

★ दिनांक 22-10-2014 को भक्त रामकुमार जी ने झूठे राजनेता श्री धर्मबीर गोयत से फोन पर कहा कि धर्मबीर जी अब तो 19-10-2014 को चुनाव भी हो चुके हैं, हमारा काम तो नहीं हुआ। उसने कहा कि विश्वास रखो, हो जाएगा। भक्त रामकुमार जी ने कहा कि C.M. साहब से मेरी बात करा दें। श्री धर्मबीर ने C.M. साहब से फोन पर भक्त रामकुमार जी से तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा की बात कराई। भक्त रामकुमार जी ने कहा कि C.M. साहब कहावत है कि ''विष दे दे पर विश्वास देकर घात नहीं करनी चाहिए, महापाप होता है। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आपका कार्य कर तो दिया। गृह सचिव से आपकी अर्जी रोहतक तथा झज्जर D.C.'s को भिजवा तो दी। भक्त रामकुमार जी ने कहा कि आप इतने बड़े सम्माननीय पद पर विराजमान हो, कुछ शर्म करो। तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा ने फोन काट दिया।

सज्जनो! यह तो स्पष्ट हो ही गया है कि सर्व मुकदमें झूठे हैं। भ्रष्ट जज साहेब भी ऐसे भ्रष्ट राजनेताओं से कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। ऐसे

में गरीब जनता के पास केवल संवैधानिक तरीके से संघर्ष करना ही शेष बचा है। वह हम करेंगे तथा न्याय प्राप्त करेंगे।

चुटकुला नं. 2 :-

जैसा कि पहले उल्लेख कर चुके हैं कि पुलिस महकमों के अधिकारी तथा कर्मचारी अधिक बदनाम हो चुके हैं, व्यवहार तथा भ्रष्टाचार में।

हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि पाँचों ऊंगली समान नहीं होती। अच्छे-बुरे सर्व संगठन तथा समाज के होते हैं। फिर भी पुलिस अधिक ही बदनाम है। इनका व्यवहार वर्तमान में तो बहुत सुधर गया है। लेकिन कुछ अतीत में जाऐं तो इनको कमीने की उपमा देना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी।

★ एक व्यक्ति ने एक ज्योतिषी से अपने हाथ की जांच कराई क्योंकि वह बहुत दुःखी रहता था। ज्योतिषी ने हाथ देखकर रेखाओं को समझकर बताया कि आप के ऊपर ग्रहों का कुप्रभाव है। समाधान बताया कि :-

आप 7 कमीने व्यक्तियों को भोजन कराओ, तब आपका भाग्य ग्रहमुक्त होगा। (नोट :- कमीन कोई जाति नहीं है, जो घटिया कर्म करता है वह ''कमीन'' कहा जाता है) उस व्यक्ति का पाला कई बार थाने में भ्रष्ट पुलिस वालों से पड़ा था। उसने सोचा कि पुलिस वालों से अधिक कोई कमीन (घटिया) नहीं हो सकता। यह विचार कर उसने 7 पुलिसवालों को अपने घर पर भोज के लिए निमंत्रण दिया। सातों पुलिसवाले भोज पर उपस्थित हुए। भोजन करके उन्होंने उस यजमान से पूछा भाई साहब आप तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हमारे को तो कोई भी भोजन पर नहीं बुलाता।

उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि मेरे ऊपर ग्रहों का चक्कर था। एक ज्योतिषी ने बताया कि सात कमीनों को भोजन करा दे। मेरे को तुम से कमीन कोई नजर नहीं आया।

पुलिस वालों ने कहा भाई साहब आप तो 20वीं सदी की बात कर रहे हो, अब तो 21वीं सदी चल रही है। यदि आप हमें पहले बता देते तो हम आप को सस्ता तथा कारगर उपाय बता देते।

यजमान ने पूछा :- वह कौन-सा उपाय है?

पुलिस वालों ने कहा :- आप एक भ्रष्ट जज को भोजन करा देते तो हम सातों जैसा लाभ आप को प्राप्त हो जाता, भ्रष्ट जज तो महाकमीन होता है।

★ सज्जनों! भ्रष्ट जज कितना कमीन हो चुका है। आप अधिक जानकारी पुस्तक ''सच बनाम झूठ'', ''न्यायालय की गिरती गरिमा'' तथा इस पत्र उर्फ पुस्तक ''भ्रष्ट जज कुमार्ग पर'' (**Corrupt Judge on Wrong Path**) में पढ़कर जान जाओगे।

★ हम बहुत बार सरकार तथा मुख्य न्यायधीशों को पत्र द्वारा प्रार्थना कर चुके हैं कि न्यायालयों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर रोकने के लिए उचित कानून बनाया जाए, जजों की जांच केवल जज ही न करें, अन्य गणमान्य जनताजन या अधिकारियों का एक पैनल बनाया जाए। परंतु कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। भ्रष्ट जजों से जिस-जिसका भी पाला पड़ा है, वे सर्व दुःखी हैं, अकेला गरीब आदमी इनसे टक्कर नहीं ले सकता। भ्रष्ट व्यक्तियों से गरीब जनता को आजादी दिलाने के लिए संवैधानिक तरीके से संघर्ष की आवश्यकता है। एक-एक करके गरीब जनता भ्रष्ट जजों का शिकार होकर रो-कर बैठ जाती है। अब हमने एक सुदृढ़ संगठन बनाया है। जिसका नाम रखा है, ''राष्ट्रीय समाज सेवा समिति'' जिसके लगभग 10 लाख सदस्य हो चुके हैं।

हम भारत की जनता से प्रार्थना करते हैं कि यदि आप देश की भ्रष्टाचार रूपी दीमक से रक्षा करना चाहते हैं और हमारे विचारों से सहमत हैं तो आप जी हमारे मिशन से जुड़कर हमारा सहयोग दे सकते हैं।

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्य बनने के लिए कुछ नियम हैं जिनका पालन करना होगा। यदि नियमों का पालन नहीं किया तो आप जी की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। कुछ संक्षेप में यहाँ लिखे हैं :-

1. आध्यात्मिक होना अनिवार्य है। शास्त्रानुकूल साधना करनी होगी।
2. भ्रष्टाचार से लिप्त व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता।
3. नशीली वस्तुओं का प्रयोग आजीवन नहीं करना है।
4. किसी की आत्मा नहीं दुखानी है।
5. चोरी-मिलावट-हेराफेरी नहीं करनी है।
6. छुआछात नहीं करनी है।
7. विश्व के प्राणी एक परमात्मा के बच्चे हैं।
8. जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा।

हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा।।

यदि आप जी हमारे विचारों से सहमत हैं तो इस पुस्तक के अंत में लिखे सुझावों को कानून बनवाने के लिए प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखें। हम लोग लगभग 1½ लाख पत्र पूर्व में भेज चुके हैं।

प्रार्थी

राष्ट्रीय समाज सेवा समीति के सर्व 10 लाख सदस्य

(यह समीति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर-राजनीतिक संस्था है।)

सम्पर्क सूत्र :- 09992373237, 09416296541,
09416296397, 09813844747

From

Additional Chief Secretary to Government, Haryana
Home Department

To

The District Magistrate
Rohtak Haryana

Memo No. 17/13/2014-9HG-II
Dated, Chandigarh the 24.09.2014

Subject:- **Application for seeking withdrawal of criminal case vide FIR No. 198/2006, P.S. Sadar Rohtak pending against the applicant in the court of Sessions Judge, Rohtak.**

Reference on the subject noted above.

2. In this connection a copy of representation received from the co-accused Sant Rampal Dass, Satlok Ashram, Barwala, District Hisar is enclosed with the request that the comments alongwith full facts, stage of the case and the specific recommendation, whether the case registered against the applicant can be withdrawn or not in the public interest, may be furnished to Government at the earliest alongwith copy of FIR and the reports of the concerned Public Prosecutor and Superintendent of Police.

Superintendent Home-II
for Additional Chief Secretary to Government Haryana
Home Department

Encls; As above

सेवा में

माननीय राष्ट्रपति जी,
भारत गणराज्य
नई दिल्ली।

''भ्रष्ट जज कुमार्ग पर''
''Corrupt Judges on Wrong Path''

विषय :- न्यायालय में भ्रष्ट जजों द्वारा की जा रही मनमानियों तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के लिए पुनः प्रार्थना पत्र।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि हम सर्व (10 लाख) राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य आप जी से पुनः निवेदन करते हैं कि न्यायालय तथा प्रशासन, निर्बल तथा निर्दोष नेक व्यक्तियों के संरक्षण तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं, परंतु कुछ भ्रष्ट व्यक्ति निजी स्वार्थवश अपना दायित्व भूल चुके हैं। न्यायालयों में कार्यरत कुछ भ्रष्ट जज न्यायालय की छवि को धूमिल कर रहे हैं। इस संबंध में हम पूर्व तथा वर्तमान प्रधानमंत्री जी को तथा सर्व सम्बंन्धित पूर्व तथा वर्तमान मन्त्रियों को बहुत बार लिखित प्रार्थना पत्र भेज चुके हैं, परंतु अभी तक कोई ठोस परिणाम नहीं निकला है।

हम सभी ने सर्व सम्मति से पहले भी दो पत्र भेजे थे, उनको पत्रिका का रूप देकर जनता में वितरित किया है जिनके नाम हैं :- 1. सच बनाम झूठ 2. न्यायालय की गिरती गरिमा। जिनमें कुछ भ्रष्ट जजों के भ्रष्टाचार की तथा कानून को अनदेखा करके मनमानियां करने की जानकारी है। हम अक्तूबर 2010 से पत्राचार करके विनय कर रहे हैं, परंतु अभी तक भ्रष्ट जजों पर न तो कोई कार्यवाही की गई है और न ही कोई ठोस जवाबदेही कानून ही बना है। जिस कारण से भ्रष्ट जजों के हौंसले और बुलन्द हो रहे हैं। भ्रष्टाचार तथा भ्रष्ट जजों की मनमानियां रूकने का नाम नहीं ले रही हैं।

हम यहाँ यह स्पष्ट करना अनिवार्य समझते हैं कि सर्व जज भ्रष्ट नहीं हैं। अधिकतर जज साहेबान कानून के अनुसार कार्य करते हैं तथा गरीब व अमीर में कोई अंतर न रखकर न्याय देते हैं। हम भारत के संविधान तथा न्यायालय व नेक जजों का सम्मान करते हैं।

★ हम भारत के राष्ट्रपति जी तथा प्रधानमंत्री जी और भारत की जनता को न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार तथा कानून को अनदेखा करके मनमाना आदेश पारित करने वाले भ्रष्ट तथा अन्यायी जजों की जानकारी पुनः इस पत्र जिसका शीर्षक है :- ''भ्रष्ट जज कुमार्ग पर'' (Corrupt Judges on Wrong

Path) द्वारा दे रहे हैं।

★ पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में कुछ भ्रष्ट जजों तथा रोहतक कोर्ट के कुछ भ्रष्ट जजों द्वारा कंधे से कंधा मिलाकर झूठा मुकदमा नं. CROCP No. 12 Date-22-07-2014 न्यायालय की अवमानना का बनाया गया। जजों द्वारा किसी भी आदेश का हवाला नहीं दिया है, जिस आदेश की संत रामपाल जी महाराज द्वारा अवमानना (न्यायालय के आदेश की अवहेलना) की गई हो। यह मुकदमा भ्रष्ट जजों को रिश्वत का हिस्सा न मिलने के कारण रंजिश का स्पष्ट प्रमाण है।

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कुछ सदस्य तथा संत रामपाल दास जी महाराज सन् 2006 से कुछ झूठे मुकदमों में रोहतक कोर्ट (हरियाणा) में पेशी पर पेशी झेल रहे हैं। संत रामपाल दास जी महाराज प्रत्येक पेशी पर उपस्थित हुए हैं। कानून व्यवस्था खराब न हो इसलिए उनकी न्यायालय में व्यक्तिगत उपस्थिति से माफी माननीय रोहतक कोर्ट द्वारा की जाती रही है।

इसी को मध्यनजर रखकर माननीय सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता जी द्वारा 12-02-2014 को संत रामपाल जी महाराज की हाजिरी माफी अगले आदेश तक अर्थात् मुकदमें के फैसले तक कर दी गई। संत रामपाल जी महाराज ने जज के कहने पर एक शपथ पत्र भी दिया कि मेरी अनुपस्थिति में न्यायालय की सर्व कार्यवाही की जा सकती है, गवाहियां भी ली जा सकती हैं, यहाँ तक कि मेरी पहचान (Identity) का भी मुझे कोई एतराज नहीं है। यह शपथ पत्र स्वयं सैशन जज सुशील कुमार जी ने माँगा जो दे दिया गया था।

दिनांक 10-03-2014 को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कुछ सदस्य जिनमें से एक राजकपूर नाम का सदस्य भी था जो मुकदमा नं. 198/2006 दिनांक 12-07-2006 में नामजद है, समेत माननीय सैशन जज से मुकदमें की सच्चाई बताई कि यह झूठा मुकदमा राजनीतिक दबाव में बनाया गया है तथा इसमें कुछ तथ्य हैं जो स्पष्ट करते हैं कि यह झूठा मुकदमा है। सैशन जज ने इस केस की धारा 148-149 को समाप्त करने अर्थात् न्याय देने के लिए 30 लाख रूपये की माँग की। माँग पूरी न होने के कारण जज महोदय बौखला गया तथा कहा कि देख लेना यह उससे भी मंहगा पड़ जाएगा। एक विजय नाम का भक्त जो इसी मुकदमें में फँसा रखा है, किसी दूसरे केस में जेल में होने के कारण उपस्थित नहीं हो सका। वह मानसिक रोगी होने के कारण तारीख पर नहीं आया। घर से भी कहीं चला गया।

सैशन जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने प्रतिशोध लेना शुरू किया। दिनांक 31-03-2014 को विजय के जमानती मंगल सिंह को जज ने कहा कि 05-04-2014 तक विजय को खोज कर ला। पाँच दिन में पागल को कैसे

खोजा जा सकता है? जमानती ने एक महीने का समय माँगा। परंतु जज ने 5 दिन का समय दिया। दिनांक 31-03-2014 को विजय के दूसरे जमानती को 05-04-2014 को न्यायालय में हाजिर होने के लिए सम्मन कर दिया। दिनांक 05-04-2014 को दूसरा जमानती सुरेन्द्र न्यायालय में उपस्थित हुआ। उसको एक दिन का भी समय विजय को लाने का नहीं दिया तथा जज साहेबान ने अपनी 30 लाख रूपये की माँग पूरी न होने के प्रतिशोध में दोनों जमानतियों (श्री मंगल सिंह तथा श्री सुरेन्द्र सिंह) को विजय को पेश करने के लिए उचित समय न देकर एक-एक लाख रूपये का जुर्माना कर दिया जो जज की मनमानी तथा भ्रष्टाचार का जीवंत प्रमाण है। अगली तारीख 06-06-2014 लगा दी। अधिक जानकारी के लिए इसी पत्र के पृष्ठ 27 पर पढ़ें।

★ श्री सतीश कुमार मित्तल (S.K. Mittal) पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जज का अपने कमाऊ पूतों अर्थात् भ्रष्ट जजों को बचाने के लिए षड़यंत्र :-

निचली कोर्ट के भ्रष्ट जज हाई कोर्ट के भ्रष्ट जजों को रिश्वत का हिस्सा देते हैं। रिश्वत लेने का कार्य अपने दलाल वकीलों के माध्यम से करते हैं। दिनांक 5 से 7 जून को माननीय हाई कोर्ट का जज श्री सतीश कुमार मित्तल (S.K. Mittal Ji) रोहतक कोर्ट का निरीक्षण करने के लिए आया।

हमने पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' तथा पुस्तक ''न्यायालय की गिरती गरिमा'' में कुछ भ्रष्ट जजों के भ्रष्टाचार की जानकारी प्रमाण सहित लिख रखी है। उनमें से तीन-चार जज :-

1. श्री सुशील कुमार गुप्ता सैशन जज रोहतक 2. श्री अश्वनी कुमार मेहता ACJM रोहतक 3. श्रीमति सविता कुमारी JMIC रोहतक तथा श्रीमति कीर्ति जैन JMIC रोहतक कोर्ट में ही कार्यरत थे। जिनकी शिकायत हम माननीय उच्च न्यायालय चण्डीगढ़ में कर चुके हैं, जिसकी आज तक हमें पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया गया है।

विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि हाई कोर्ट से जो जज निरीक्षण पर आता है, वह जिले के न्यायधीशों से पैसे लेता है, तब उनकी गलतियां क्षमा कर देता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि जो ईमानदार जज हाई कोर्ट से आता है, वह पैसे नहीं लेता है और सही जाँच करता है।

दिनांक 05-06-2014 को श्री S.K. Mittal हाई कोर्ट के जज से चारों भ्रष्ट जज मिले।

यह नहीं पता चल सका कि उनकी क्या-क्या बातें हुई परंतु उसके पश्चात् माननीय सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता जी की नजर तीखी हो गई

और दिनांक 06-06-2014 को संत रामपाल जी महाराज की स्थाई हाजिरी माफी के आदेश को बिना किसी कारण के रद्द कर दिया तथा दिनांक 14-07-2014 को कोर्ट में व्यक्तिगत हाजिर होने के आदेश कर दिये। कानून के जानकार बताते हैं कि दिनांक 06-06-2014 का यह आदेश कानून के खिलाफ है।

कानून के जानकारों का कहना है कि कोई भी जज अपने ही आदेश को ऐसे रद्द नहीं कर सकता। यह तो जज महोदय ने खुंदक/रंजिश के कारण किया है। जज ने Judicial Mind का प्रयोग न करके अपनी मनमानी व ईर्ष्या का सबूत दिया है।

★ इससे स्पष्ट हो गया है कि श्री सतीश कुमार मित्तल जज (हाई कोर्ट) के आदेशानुसार सैशन जज रोहतक ने यह गलत कदम उठाया था क्योंकि हाई कोर्ट के जज श्री सतीश कुमार मित्तल जी को अपना हिस्सा कम मिला क्योंकि तीन जजों ने जो रिश्वत माँगी थी, वह हमने नहीं दी जो क्रमशः (1) सैशन जज रोहतक ने 30 लाख (2) श्री अश्वनी कुमार मेहता ACJM ने 20 लाख रूपये तथा (3) श्रीमति सविता कुमारी JMIC ने 10 लाख रूपये न्याय देने के माँगे थे।

★ विशेष प्रमाण यह भी है कि ''श्री अश्वनी कुमार मेहता ACJM रोहतक ने स्वयं कहा था कि हमें ऊपर हाई कोर्ट तक सैटिंग करनी पड़ती है। कृपया पढ़ें पृष्ठ 48 पर।

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को जब इस पूरे प्रकरण का पता चला कि संत रामपाल दास जी महाराज को ईर्ष्यावश 30 लाख रूपये की माँग पूरी न होने के कारण श्री सुशील कुमार गुप्ता सैशन जज रोहतक ने दिनांक 14-07-2014 को कोर्ट में हाजिर होने के लिए आदेश दिया है तो उन्होनें भ्रष्टाचार के विरोध में उसी तारीख 14-07-2014 को प्रदर्शन करने की योजना बनाई।

★ यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि इस प्रदर्शन का निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्व सम्मति से लिया था। न तो संत रामपाल जी को इस प्रदर्शन की जानकारी थी तथा न उनकी ओर से रोहतक या हिसार आने को कहा गया था। यह निर्णय राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की ओर से लिया गया था। पूर्व में जो पुस्तकें ''सच बनाम झूठ'' तथा ''न्यायालय की गिरती गरिमा'' बनाई गई थीं, वे भी समिति के सर्व 10 लाख सदस्यों ने सर्व सम्मति से प्रकाशित की थी।

★ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति में संत रामपाल दास जी महाराज के सेवक भी सदस्य हैं तथा सामान्य जनताजन भी सदस्य हैं, यह समिति सम विचार वाले व्यक्तियों का संगठन है जो भ्रष्टाचार, अन्याय तथा समाज में

फैली बुराईयों को निर्मूल करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए चाहे जेल जाना पड़े, चाहे पुलिस के डण्डे खाने पड़ें तथा कुर्बानी देनी पड़ें, उल्टा कदम नहीं रखेंगे।

दिनांक 14 जुलाई 2014 को प्रदर्शन करने का समीति का कार्यक्रम निर्धारित था जिसके लिए सर्व सदस्यों ने निश्चित समय पर रोहतक पहुँचना था।

☛ दिनांक 11 जुलाई 2014 को पता चला कि संत रामपाल जी महाराज की पेशी विडियो कान्फ्रैंस के द्वारा हिसार कोर्ट में हो सकती है। तब राष्ट्रीय समाज सेवा समिति द्वारा कुछ सदस्यों को हिसार कोर्ट में भेजा गया।

जैसा कि पूर्व में लिखा है कि इस समिति में संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भी सदस्य हैं, जिन्होनें बताया कि संत रामपाल जी महाराज को आज तक सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दी है। माननीय हाई कोर्ट के आदेश के पश्चात् भी सुरक्षा मुहैया नहीं कराई गई है। संत रामपाल जी महाराज को आर्य समाज के शरारती तत्वों से जान का खतरा है। इसलिए उनकी सुरक्षा करना अनिवार्य है। इसलिए कुछ नौजवान सदस्यों को सुरक्षा के लिए भेजा गया जिनको कमांडो शिक्षा दी गई है क्योंकि हरियाणा पुलिस पर हमें कोई विश्वास नहीं है। कुछ भक्त जो समिति के सदस्य हैं, वे स्वइच्छा से तथा भावनावश अपने-अपने परिजनों सहित संत जी के दर्शनार्थ गए थे।

★ दिनांक 14-07-2014 से कुछ दिन पहले एक अफवाह फैली कि संत रामपाल जी महाराज को तथा अन्य भक्तों को (जो मुकदमा नं. 198/2006 में नामजद हैं) 14-07-2014 को सैशन जज गिरफ्तार कराकर जेल में भिजवाएगा क्योंकि सैशन जज को हाई कोर्ट के माननीय भ्रष्ट जज श्री सतीश कुमार मित्तल का स्पष्ट आदेश है कि इन्होंनें (30 लाख + 20 लाख + 10 लाख) = 60 लाख रूपये देने से इंकार किया है। जिस कारण से हाई कोर्ट के भ्रष्ट जजों को हिस्सा नहीं मिल सका। इसलिए श्री एस. के. मित्तल जज ने कहा कि इस मुकदमें में शीघ्र सजा सुना दो। मैं (श्री एस. के. मित्तल) हाई कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ की गई शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं होने दूंगा।

यहाँ पर यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि दिनांक 14-07-2014 को सर्व सदस्य सिर पर कफन बांधकर गए थे, यदि सैशन जज यह नालायकी कर देता तो उस दिन कई हजार सदस्यों का बलिदान होना था। संत को गिरफ्तार करना तो दूर की बात है, यदि उंगली भी कर दी जाती तो कई हजार सदस्य कुर्बानी देने के लिए टूट पड़ते और कोहराम मच जाता। हम किसी को मारेंगे नहीं परंतु स्वयं मरने से पीछे नहीं हटेंगे।

➠ भ्रष्ट जजों तथा इनके दलाल वकीलों का सुनियोजित षड़यंत्र :-

सब से पहले हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम भारत के संविधान तथा न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम मानते हैं कि सर्व जज भ्रष्ट नहीं हैं। अधिकतर जज कानून का पालन करने वाले तथा ईमानदार हैं। इसी प्रकार अधिकतर वकील मेहनत करके कानूनी तर्क से अपने क्लाइंट का पक्ष रखते हैं। फिर जज पर निर्भर करता है कि वह न्याय करता है या अन्याय, वे दलाली में विश्वास नहीं करते।

दिनांक 14-07-2014 को संत रामपाल जी महाराज कोर्ट के आदेशानुसार हिसार कोर्ट में विडियो कान्फ्रैंस के द्वारा रोहतक कोर्ट में हाजिरी लगवाने के लिए सुबह 10:15 पर उपस्थित हुए। उस दिन किसी वकील की मृत्यु हो जाने के कारण सर्व वकीलों ने वर्क सस्पैंड अर्थात् कोर्ट में कार्य करना निलंबित कर रखा था। ज्यों ही संत रामपाल जी महाराज कोर्ट परिसर में प्रवेश करने लगे, उसी समय हमारी पूर्व निर्धारित योजनानुसार सुरक्षाकर्मी संत जी के साथ चैन बनाकर चलने लगे और कान्फ्रैंस रूम तक केवल 5 या 6 ही उनके साथ गए। कान्फ्रैंस कक्ष में दो वकील तथा दो उनके साथ आए मुन्शी तथा तीन हिसार कोर्ट से कोई अधिकारी व कर्मचारी थे तथा केवल दो अन्य सेवक थे। एक घण्टा बाद हाजिरी लगवाकर संत जी वापिस आ गए, कोर्ट परिसर में शांतिपूर्वक खड़े सुरक्षाकर्मी संत जी के दोनों और सुरक्षा चैन बनाकर कार तक उनको लाए।

➠ कोर्ट की अवमानना का कुचक्र :-

अपने सुनियोजित षड़यंत्र के तहत कुछ वकीलों ने हिसार कोर्ट के कान्फ्रैंस हॉल में घुसने की कोशिश की जिनको सादी वर्दी में खड़े पुलिसकर्मियों ने रोका तो उन्होनें कहा कि हम वकील हैं। पुलिसकर्मियों ने कहा कि आप अपना पहचान पत्र दिखाऐं। इसी बात पर वे दल्ले वकील बौखला गए तथा कहने लगे कि तुम रामपाल के शिष्य हो, तुम कौन होते हो हमारा पहचान पत्र माँगने वाले? अपनी पूर्व निर्धारित योजना के तहत उन्होनें स्वयं हंगामा करना शुरू कर दिया तथा जिन सदस्यों के गले में संत कबीर साहेब जी के लॉकेट थे, उनको गालियाँ देने लगे। एक सुशीला नाम की बहन के गले में संत कबीर जी तथा संत रामपाल जी महाराज का लॉकेट था, उसके साथ भी राजेश जाखड़ नाम के वकील व उसके साथियों ने अभद्र व्यवहार किया। एक भक्त को जातिसूचक गालियां दी तथा एक सदस्य का अपहरण करके जान

से मारने के उद्देश्य से उठाने लगे। शोर मचाने पर कुछ सदस्यों ने उन दल्ले वकीलों से छुड़वाया। जिस सर्व घटना की जानकारी उसी दिन S.P. हिसार को मौखिक दी गई। अगले दिन लिखित रूप में दरखास्त S.P. हिसार तथा थाना शहर हिसार में दी गई तथा रजिस्ट्री भी की गई। आज तक कोई कार्यवाही वकीलों के विरूद्ध नहीं की गई।

★ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की ओर से भी एक लिखित प्रार्थना रजिस्ट्री द्वारा माननीय मुख्य न्यायाधीश पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट को दिनांक 21-07-2014 को भेजी गई।

आश्चर्य :- आश्चर्य की बात है कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश ने भ्रष्ट जजों (जिनके नाम पुस्तक/पत्र शीर्षक ''न्यायालय की गिरती गरिमा'' में लिखे हैं) तथा अपराधी वकीलों पर तो कोई कार्यवाही नहीं की, उल्टा संत रामपाल जी महाराज पर कोर्ट की अवमानना का झूठा मुकदमा CrOCP No.12 Date-21-07-2014 बना दिया।

★ भ्रष्ट जजों का मिलीभगत करके षड़यंत्र का प्रत्यक्ष प्रमाण :-

जिस आधार से कोर्ट की अवमानना संत रामपाल जी महाराज पर बनाई है, वह एक पत्र है जो सैशन जज रोहतक श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने पत्र क्रमांक 63-C दिनांक 21-07-2014 को रजिस्ट्रार जनरल पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट को भेजा है।

आश्चर्य :- दिनांक 21-07-2014 को सैशन जज रोहतक से हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में उपस्थित रजिस्ट्रार को भेज रहा है, उसी दिन लिख कर दिनांक 21-07-2014 को हस्ताक्षर कर रहा है। वह पत्र रोहतक से 230 कि.मी. दूर चण्डीगढ़ दिनांक 21-07-2014 को ही रजिस्ट्रार के पास पहुँचा। दिनांक 21-07-2014 को ही रजिस्ट्रार महोदय ने पढ़कर जान लिया कि संत रामपाल जी महाराज पर प्रथम दृष्टा रूप (Prima facie) कोर्ट की अवमानना बनती है। दिनांक 21-07-2014 को ही हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश तथा जज एस. के. मित्तल एण्ड भ्रष्ट कंपनी ने मीटिंग करके अवमानना का मुकदमा दर्ज करने का आदेश भी दे दिया। दिनांक 22-07-2014 को अवमानना के लिए डबल बैंच में लग भी गया। जिस डबल बैंच में जज श्री राजीव भल्ला तथा जज श्री अमोल रतन सिंह जी दो जज थे जिन्होंने स्वयं संज्ञान लेकर झूठा मुकदमा CrOCP No. 12 Date-22-07-2014 को बनाकर चालू भी कर दिया, लिख दिया Court on its own motion अर्थात् न्यायालय स्वयं चल पड़ा झूठा मुकदमा बनाकर गरीबों को सताने के लिए।

हमने भी एक पत्र दिनांक 21-07-2014 को माननीय मुख्य न्यायधीश

पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट तथा रजिस्ट्रार को भेजा था। उस पर कोई कार्यवाही दोषी वकीलों पर नहीं की गई। कृप्या पढ़ें पृष्ठ 58 पर।

★ पहले तो पुलिस ने संत रामपाल जी महाराज तथा अनुयाईयों पर झूठे मुकदमें बनाए, अब स्वयं न्यायधीशों ने यह जुल्म करने प्रारम्भ कर दिये।

★ अगर सैशन जज रोहतक श्री सुशील कुमार गुप्ता दिनांक 06-06-2014 को Arbitrary Order न करता तो उपरोक्त स्थिति पैदा नहीं होती। पहले तो सरकार व पुलिस का कुचक्र तथा अब इन भ्रष्ट जजों का कुचक्र, अब हम ऐसा न करें तो क्या करें, पीट भी रहे हैं और रोने भी नहीं देते।

दिनांक 21-07-2014 को ही वकील साहेबान मुख्य न्यायधीश श्री संजय किशन कौल को मिलने के लिए गए तो उस समय भ्रष्ट जज S.K. Mittal and Company भी मुख्य न्यायधीश की कोर्ट में विद्यमान थे। इसी विषय पर विचार-विमर्श चल रहा था। मुख्य न्यायधीश तथा अन्य उपस्थित जजों ने उन वकीलों से कहा कि अच्छा हुआ आप भी आ गए, हमने कार्यवाही कर दी है। डबल बैंच में इसकी सुनवाई चलेगी। (दैनिक भास्कर हरियाणा दिनांक 22-07-2014 में पृष्ठ 2 पर भी यह समाचार छपा था कि मुख्य न्यायधीश ने कहा है कि डबल बैंच में मुकदमा चलेगा।)

दिनांक 22-07-2014 के समाचार पत्रों में मुख्य न्यायधीश के साथ हिसार के वकीलों का चित्र छपा था। कृपया देखें समाचार पत्र में छपा यह चित्र जो भ्रष्टाचार तथा पक्षपात की गवाही दे रहा है।

18 | दैनिक जागरण

हिसार जागरण सिटी हिसार, 22 जुलाई 2014

मुख्य न्यायाधीश से मिला आश्वासन, हड़ताल वापस

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने वकीलों को दिलाया ठोस कार्रवाई का भरोसा

जागरण संवाददाता, हिसार : जिला बार एसोसिएशन ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एसके कौल के आश्वासन पर हड़ताल वापस ले ली है। सोमवार को हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बार पदाधिकारियों की मुलाकात हुई। इस मौके पर न्यायाधीश ने ठोस कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

सोमवार को जिला बार एसोसिएशन के प्रधान सुरेंद्र ढुल व सचिव अमित सैनी प्रदेश ने सभी बार प्रधान तथा पंजाब व हरियाणा बार काउंसिल के चेयरमैन राकेश गुप्ता, चंडीगढ़ बार एसोसिएशन के प्रधान अनमोल रत्न सिंधु तथा पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के सदस्य राजीव कस्वान व ओपी शर्मा के साथ मुख्य न्यायाधीश एसके कौल से मुलाकात की। बार पदाधिकारियों ने उन्हें 14 जुलाई को रामपाल की पेशी के दौरान हुए विवाद के बारे में अवगत करवाया। मुलाकात के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने बार एसोसिएशन के सभी पदाधिकारियों को भरोसा दिलाते हुए कहा कि वकीलों व न्याय प्रणाली की प्रतिष्ठा व मान-सम्मान को ध्यान में रखते हुए इस मामले में तुरंत प्रभाव से ठोस कार्यवाही की जाएगी। जिला बार के प्रधान व सचिव ने मुख्य न्यायाधीश के आश्वासन से कमेटी को अवगत करवाया। इसके बाद कमेटी ने बार की हड़ताल वापस लेने की घोषणा कर दी। अब वकील सुचारू रूप से कामकाज करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश एसके कौल से मुलाकात करते सुरेंद्र ढुल, अमित सैनी व अन्य।

गौरतलब है कि 14 जुलाई को संत रामपाल की पेशी के दौरान अदालत परिसर में उनके अनुयायियों ने वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया था। विरोध में वकीलों ने रोष प्रकट करते हुए संत रामपाल की जमानत खारिज करने व धक्का-मुक्की करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई थी। इसी रणनीति के तहत पूरे प्रदेश के वकीलों ने कामकाज ठप कर दिया था। प्रदेश के अन्य जिलों में सोमवार को काम पटरी पर आ गया लेकिन हिसार में दो दिन और काम ठप रखने का निर्णय लिया गया था। अब चीफ जस्टिस के आश्वासन के बाद हिसार के वकील भी केस की पैरवी करेंगे। वकीलों ने दो दिन की हड़ताल वापस ले ली है।

★ भ्रष्ट जज स्वयं कोर्ट में बुलाते हैं, स्वयं झूठा केस दर्ज करते हैं :-

इन हाई कोर्ट के भ्रष्ट जजों को चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए जो झूठा मुकदमा बनाकर एक पार्टी के पक्ष में होकर पक्षपात करके गरीब जनता को तथा संसार का उद्धार करने आए संत रामपाल दास जी महाराज को परेशान करने के लिए न्यायालय में चक्कर कटा रहे हैं और अपने दलाल जजों तथा वकीलों का पक्ष ले रहे हैं।

भ्रष्ट जजों की तानाशाही की हद हो चुकी है। यदि कोर्ट में जाऐं तो संत जी पर झूठा मुकदमा बना दिया, यदि नहीं जाते तो गिरफ्तारी के आदेश कर देते।

★ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्यों का फैसला :-

1. झूठे मुकदमों में हम संत रामपाल जी महाराज को किसी भी कोर्ट में नहीं जाने देंगे, यदि वे जाने की कोशिश भी करेंगे तो हम उनकी गाड़ी के आगे लेट जाएंगे।

2. यदि पुलिस गिरफ्तार करने की कुचेष्टा करेगी तो पहले 10 लाख सदस्यों को गोली मारनी होगी, तब संत जी तक पहुँच पाएगी।

3. भ्रष्ट जजों के लिए जवाबदेही कानून बनवाने के लिए संघर्ष तेज करेंगे।

4. प्रत्येक प्रान्त की राजधानियों में भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रदर्शन करेंगे।

5. इसके पश्चात् देश की राजधानी दिल्ली में सवैंधानिक तरीके से प्रदर्शन करेंगे।

★ भ्रष्ट जज न्यायधीश नहीं रहे, जल्लाद तथा तानाशाह बन गए हैं :-

➤ भारत गणराज्य के मालिक माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी ने कहा है कि मुझे ''महामहीम'' कह कर न बुलाऐं। भावार्थ है कि राष्ट्रपति जी कितने नम्र स्वभाव के हैं।

➤ भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को कहा है कि मैं प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक हूँ। भावार्थ स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी कितनी विनम्रता से जनता के सामने पेश आ रहे हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी से प्रत्येक नागरिक निर्भय होकर अपने विचार रख सकता है।

➤ भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 42 वें मुख्य न्यायधीश श्री H.L. दत्तु

ने शपथ समारोह में दिनांक 28-09-2014 को कहा कि मैं बैंच पर आम आदमी के तौर पर बैठूंगा। शीर्ष अदालत के जज भी आम लोग हैं। न्याय करना इनकी बड़ी भारी जिम्मेदारी भरा है।

नोटः- कृपया पढ़ें दिनांक 29-09-2014 के पंजाब केसरी समाचार पत्र की फोटोकापी पृष्ठ 13 पर।

➛ राजस्थान के राज्यपाल श्री कल्याण सिंह जी ने कहा है कि मैं राजस्थान का सेवक बन कर कार्य करूंगा। भावार्थ है कि एक सम्मानीय पद पर विराजमान राज्यपाल जी ने कितने आधीन शब्दों का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट है कि ये जनता के हितैषी हैं। जनता ऐसे स्वभाव के अधिकारी से मिलकर निर्भय होकर अपना पक्ष रख सकती है। उनके सामने अपना दुःख दिल खोलकर कहा जा सकता है। दूसरी ओर जज साहेबान जो प्रधानमंत्री जी तथा राष्ट्रपति जी के नौकर हैं। इन्होंने कोर्ट कक्ष में ऐसा Terror (भय) का वातावरण बना रखा है जैसे व्यक्ति किसी इंसान से नहीं किसी तानाशाह या जल्लाद के सामने जा रहा हो।

जिस पंचायत में न्याय प्राप्त करने वाले को बोलने की ही स्वतंत्रता नहीं है तो उन पंचायतियों से न्याय की आशा नहीं की जा सकती। कोर्ट एक सरकारी पंचायत है। कोर्ट में सामान्य वातावरण की आवश्यकता है।

★ जो व्यक्ति कल तक वकील था, अगले दिन जज बन गया। परन्तु कितना परिवर्तन उस वकील उर्फ जज के स्वभाव में आ जाता है? जज बन गया, अच्छी बात है। परंतु अतीत को भूलकर न्याय नहीं करता, यह बुरी बात है।

★ पहले बच्चा पढ़ता है, फिर माया इकट्ठी करने के लिए वकील बन गया, फिर जज बन गया। जिस कारण से नैतिकता को भूलकर गलतियां करके निन्दा तथा पाप का पात्र बनता है। इसलिए सत्संग सुनना चाहिए। वकील से जज बने व्यक्ति को देश के कानून की तो जानकारी है, परंतु परमात्मा के विधान (कानून) की जानकारी न होने के कारण गलतियां करके परमात्मा का अपराधी बनकर असंख्य जन्मों तक गधे, कुत्ते के जीवनों में महाकष्ट उठाता है। इससे बचने के लिए सत्संग सुनना चाहिए।

★ भ्रष्ट जज कुपित होकर कहते हैं कि हमें योवर औनर या मिलोर्ड नहीं कहोगे तो ठीक बात नहीं होगी। वकीलों को ऐसे कहते सुना जाता है कि आज जज का मूढ़ ठीक नहीं था, इसलिए राहत नहीं दी, अन्याय कर दिया। न्याय प्राप्त करने के लिए अधिकतर वकील मानते हैं कि जज की प्रशंसा तथा माई लार्ड तथा योवर ऑनर शब्द कहने से न्याय मिलता है। विचार करें कि ऐसा प्रभाव केवल भ्रष्ट जजों पर ही पड़ सकता है। यदि ऐसा करने से प्रभावित होकर न्याय मिलता है तो स्वसिद्ध हुआ कि भ्रष्ट जज कानून का पालन नहीं

करते, मनमानी करते हैं। कारण यह है कि इनको न सरकार का भय है, न जनता का। भ्रष्ट जजों की जाँच जज ही कर सकते हैं। यदि नेक जज करता है तो दण्डित करता है। जज को सजा क्या है? समय से पहले पैंशन लो और नौकरी छोड़ जाओ, यह कोई सजा नहीं है। इसीलिए न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चर्म सीमा पर है। जज का सम्मान करना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य बनता है। आदर करना चाहिए, लेकिन जजों को भी चाहिए कि वे अपना कर्त्तव्य निभाऐं।

हमारे एक वकील ने जज श्री राजीव भल्ला जी को मिलोर्ड नहीं कहा तो वह आँखें दिखाने लगा तथा कहा मैं बहुत समय से देख रहा हूँ कि आप मुझे ठीक से डील नहीं कर रहे हो, यह भी कोर्ट की अवमानना है। फिर भी हमारे वकील ने उसको मिलोर्ड नहीं कहा लेकिन आदरणीय तथा सभ्य शब्दों से संबोधन पहले की तरह करता रहा जो भक्त बसंत दास पर बनाया कोर्ट की अवमानना के झूठे मुकदमा नं. **CrOCP No. 22/2011** में भक्त बसंत दास की ओर से वकालत कर रहा था।

ऊपर आप पढ़ चुके हैं कि देश तथा जनता के प्रमुख महानुभाव कितने बदल गए हैं। परंतु इन तानाशाहों (भ्रष्ट जजों) का दिमाग व अहंकार सातवें आसमान पर है। अब इनके ठीक होने का समय आ गया है। एक कहावत है कि सीधी ऊँगली से घी नहीं निकलता तो ऊँगली टेढ़ी करनी पड़ती है। यदि ये सीधे-२ नहीं मानते हैं तो वह दिन दूर नहीं है कि इन साहब बहादुरों (भ्रष्ट जजों) को कुर्सी से उठाकर चौराहे पर घसीटकर लाकर जनता सबक सिखाएगी।

★ तानाशाह भ्रष्ट जज तो लाखों श्रद्धालुओं की भावना को ठेस पहुँचा रहे हैं :-

परम आदरणीय परम पूज्य महापुरूष जनता के सुधारक तथा उधारक महान संत रामपाल दास जी महाराज का नाम भ्रष्ट जज सीधा लिखते हैं, जैसे आदेश दिनांक **27-08-2014** के पृष्ठ नं. **3** पर लिखा है **''Contemnor Rampal''**। इन तानाशाहों ने अपने आप को परमात्मा से भी बड़ा मान रखा है। इनको संत लिखने में अपनी प्रतिष्ठा कम होने का डर है। इन भ्रष्ट जजों से हम पूछना चाहते हैं कि आप ने हमारे लाखों श्रद्धालुओं के निर्दोष मसीहा संत रामपाल जी महाराज को **''Contemnor''** अर्थात् ''अवमानना करने वाला रामपाल'' कैसे लिख दिया। लगता है कि यदि भ्रष्ट जजों का रवैया ऐसा ही रहा तो वह दिन दूर नहीं है कि जनता इन्हें कोर्ट से निकालकर सड़कों पर घसीटेगी। वह स्वयं तो सम्मान चाहते हैं, औरों के साथ कोर्ट में

कुत्ते जैसा व्यवहार करते हैं। किसी को बैठने के लिए भी नहीं कहते, घंटों खड़ा रखते हैं। अब समय आ गया है, जजों को तानाशाह बनने का नहीं, इन्सान बनने का। यदि आप सम्मान चाहते हैं तो आप जी को भी सम्मान देना पड़ेगा। ''Give respect and get respect.''

PUNJAB KESARI Hissar
पंजाब केसरी
हिसार, सोमवार ❁ 29 सितम्बर, 2014

बैंच पर 'आम आदमी' की तरह बैठूंगा : दत्तू

सुप्रीम कोर्ट के 42वें प्रधान न्यायाधीश के पद की ली शपथ

नई दिल्ली, 28 सितम्बर (एजैंसी): भारत के नए प्रधान न्यायाधीश के तौर पर रविवार को शपथ ग्रहण करने वाले न्यायमूर्ति एच. एल. दत्तू ने कहा कि वह बैंच पर 'आम आदमी' की तरह बैठेंगे। उन्होंने नागरिकों को आश्वासन दिया कि मामलों से निपटने में कोई वर्ग भेद नहीं होगा। न्यायपालिका के प्रमुख के तौर पर 42वें प्रधान न्यायाधीश ने कहा, 'मैं बैंच पर 'आम आदमी' के तौर पर बैठूंगा।' 63 वर्षीय न्यायमूर्ति हंडयाला लक्ष्मीनारायणस्वामी दत्तू को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने शपथ दिलाई। वह उच्चतम न्यायालय के सर्वाधिक वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत के न्यायाधीश भी आम लोग हैं और वे जानते हैं कि उनका काम बेहद जिम्मेदारी भरा है, क्योंकि उनके समक्ष प्रत्येक मामला नागरिकों के लिए एक 'गंभीर मामला' है।

शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति का अभिवादन करते जस्टिस दत्तू।

सी.जे.आई. ने कहा, 'आखिर यह देश की अंतिम अदालत है। चाहे वह न्यायाधीश हो या कोई व्यक्ति हम काफी ध्यान देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि नागरिक कितना ध्यान देते हैं।' न्यायमूर्ति दत्तू का सी.जे.आई. के तौर पर कार्यकाल 14 महीने का होगा और वह 2 दिसम्बर 2015 को सेवानिवृत्त होंगे।

सी.जे.आई. ने ये बातें अपने आवास पर विधि संवाददाताओं से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। न्यायमूर्ति दत्तू ने कहा कि शीर्ष अदालत में काम (शेष पृष्ठ 2 कालम 6 पर)

★ संत रामपाल जी महाराज पर नहीं बनता अवमानना का मुकदमा :-

पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के भ्रष्ट जजों ने मिलकर जो षड़यंत्र अर्थात् कोर्ट की अवमानना का झूठा मुकदमा बनाया है, उसमें रजिस्ट्रार (जो एक सैशन जज स्तर का कानून जानने वाला अधिकारी होता है) कहता है कि जो पत्र सैशन जज रोहतक श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने मुझे भेजा है तथा जो पत्र हिसार के वकीलों द्वारा सैशन जज हिसार कोर्ट के माध्यम से भेजा है, उसको पढ़कर **Prima Facie** (प्रथम देखने से) लगता है कि संत रामपाल जी ने कोर्ट की अवमानना अर्थात् उपेक्षा की है तथा यही राग हाई कोर्ट की डबल बैंच के जजों (जज श्री राजीव भल्ला जी तथा जज श्री अमोल रतन सिंह जी) ने अलापा है कि **Prima Facie** (प्रथम दृष्टा रूप से) लगता है कि संत रामपाल जी पर कोर्ट की अवमानना (**Contempt of Court**) का मुकदमा बनता है।

★ विचार करें :- संत रामपाल जी महाराज हिसार कोर्ट के आदेशानुसार कोर्ट में उपस्थित हुए थे। भ्रष्ट न्यायधीशों की अक्ल पर भ्रष्टाचार का इतना पर्दा डल गया है कि वे **Prima Facie** (प्रथम दृष्टा) तथा कोर्ट की अवमानना (**Contempt of Court**) की परिभाषा ही भूल गए हैं। जितने भी प्रमाण न्यायालय की अवमानना (**Contempt of Court**) के झूठे केस को बनाने के लिए हाई कोर्ट के जजों के पास हैं जो हमारे वकीलों को दिए हैं, उनमें एक भी सबूत नहीं जिससे न्यायालय की अवमानना (**Contempt of Court**) हुई हो। कान्फ्रैंस कक्ष में संत रामपाल जी महाराज शान्तिपूर्वक बैठे दिखाई देते हैं। तीन कोर्ट के ही कर्मचारी थे तथा एक हमारा वकील और दो उसके मुंशी थे।

1. जैसे लिखा है कि वकीलों के पहचान पत्र दिखाने को कहकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया।

★ यह कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं बनता। वैसे ऐसा राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों ने नहीं किया, कोई तो प्रमाण दिखाओ।

2. वकीलों को कोर्ट में अपने कार्य के लिए जाने से रोका।

★ यह भी कोर्ट की अवमानना का मामला नहीं बनता। संत रामपाल जी महाराज तो प्रातः **10:15** बजे कोर्ट में पहुँचे थे लेकिन वकील तो प्रातः **09:30** बजे न्यायालय में पहुँच चुके थे। वास्तविकता यह है कि उस दिन हिसार कोर्ट के वकीलों ने किसी वकील की हत्या के रोष में वर्क सस्पैंड अर्थात् कोर्ट में कार्य करने को निलंबित कर रखा था। वकीलों ने जो प्रमाण न्यायालय में दिए हैं, उनमें कहीं पर भी न्यायालय की अवमानना का प्रमाण नहीं है, न ही

वकीलों को रोकने का।

3. सैशन जज रोहतक ने कहा है कि मेरे को धमकी दी।

★ सैशन जज ने रोहतक पुलिस में केस दर्ज कराना चाहिए था। उसका नाम पता या जिस फोन नं. से धमकी आई या किसी पत्र द्वारा, उसका पता देना चाहिए था। यह सब के खिलाफ षड़यंत्र का ही हिस्सा है।

4. सैशन जज रोहतक के खिलाफ प्रदर्शन किया।

★ जिस कारण से सैशन जज रोहतक के विरूद्ध प्रदर्शन किया गया, उसकी जाँच हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश जी को करनी चाहिए थी क्योंकि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने रोहतक कोर्ट के कई जजों की लिखित शिकायत की है जिसमें सैशन जज रोहतक श्री सुशील कुमार गुप्ता जी भी हैं।

★ संत रामपाल जी महाराज तो रोहतक थे भी नहीं, फिर भी अन्यायी जज राजीव भल्ला जी ने कहा है कि संत रामपाल जी महाराज के बुलाने से आए हैं।

निष्कर्ष :- सर्व तथ्यों से स्पष्ट है कि भ्रष्ट जजों को बचाने के लिए (जो स्पष्ट रूप से दोषी हैं) संत रामपाल जी महाराज पर झूठा मुकदमा **CrOCP No. 12 Date-22-07-2014** बनाया गया है।

★ यदि देखा जाए तो वकीलों ने कोर्ट की अवमानना की है जो स्वयं कह रहे थे कि उन्होंने वर्क सस्पैंड किया। वर्क सस्पैंड होने से कोर्ट के दैनिक कार्य में बाधा उत्पन्न हुई, हजारों व्यक्ति न्यायालय में अपने-अपने मुकदमों की सुनवाई के लिए उपस्थित हुए। उनको न्याय भी नहीं मिल पाया तथा किराया भी खर्च हुआ। घर का कार्य भी नहीं कर पाए जिस कारण राष्ट्रीय क्षति हुई।

''माननीय भ्रष्ट जज उर्फ जल्लाद राजीव भल्ला का निंदनीय कार्य''

★ डबल बैंच के जजों का दिनांक **27-08-2014** का आदेश स्पष्ट करता है कि घुमा-फिराकर दोनों जजों ने कहा है कि उस केस (मुकदमा नं. **198/2006** दिनांक-**12-07-2006**) की ट्रायल की जानकारी हाई कोर्ट की दी जाए जो दिनांक **19-09-2014** की तारीख में सैशन जज रोहतक की कोर्ट में विचाराधीन है, जबकि उस केस की ट्रायल का इस कोर्ट की अवमानना से कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता यह है कि हाई कोर्ट के भ्रष्ट जजों को (**30** लाख रूपये की रिश्वत सैशन जज रोहतक ने माँगी थी) उनका हिस्सा नहीं मिल पाया क्योंकि हमने **30** लाख रूपये नहीं दिए और न ही देंगे, ये भ्रष्ट जज कुछ भी अन्याय कर लें।

★ दिनांक 27-08-2014 को माननीय जज श्री राजीव भल्ला जी ने खुलेआम कहा है कि मैं नहीं मानता कि (संत) रामपाल (जी महाराज) के शिष्य उनके कंट्रोल (Control) में नहीं हैं।

➾ हम जज श्री राजीव भल्ला जी से पूछना चाहते हैं कि क्या आप जजों की संतान आप के कंट्रोल में है। दूसरों पर आक्षेप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झाँक कर देखना चाहिए।

उदाहरण :- एक गाँव में दो परिवारों की आपसी दुश्मनी थी। एक परिवार के मुखिया अर्थात् पिता जी को किसी कार्यवश दूसरे गाँव जाना था। बच्चों को पता चला कि जिस मार्ग से पिता जी जाएंगे, वह दुश्मनों का क्षेत्र है। पिता जी को भी पता था कि उस मार्ग पर जाने से मुझे खतरा है, परंतु जाना अनिवार्य था क्योंकि उसकी कोर्ट में पेशी थी। पिता जी ने कहा कि बच्चों आप ने मेरे साथ नहीं चलना है। पिता जी ने सोचा था कि यदि बच्चे साथ चलेंगे तो झगड़ा हो सकता है। यदि मैं मारा जाऊँगा तो बच्चे तो बचे रह जाएंगे। यह कहकर पिताजी अपने कार्य के लिए पैदल चल पड़े। बच्चे दूसरी तरफ से चलकर उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ झगड़े का अंदेशा था। दुश्मनों को भी पता था कि आज उस व्यक्ति ने कोर्ट में जाना है, उसके जाने का यही एक रास्ता है। वे भी झगड़ा करने के उद्देश्य से तैयार थे। जब उन्होंने देखा कि उस व्यक्ति के बच्चे भी पहुँच गए हैं, तब वे दुश्मन वापिस चले गए। यदि बच्चे न जाते तो उनके पिता जी को अकेला पाकर दुश्मन अवश्य हानि कर देते।

ठीक इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज के शिष्य उनके वचन के पुत्र हैं, उनको पता था कि रोहतक या अन्य शहर में कहीं पर भी संत रामपाल जी महाराज जाऐंगे तो आर्य समाज के उपद्रवी व्यक्ति कुछ भी हानि कर सकते हैं, इसलिए संत जी के मना करने पर भी उसके शिष्य रूपी बच्चे जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य भी हैं तथा अन्य जनताजन जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं, परंतु राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं, वे सर्व मिलकर संत जी की सुरक्षा तथा भ्रष्टाचार के विरूद्ध प्रदर्शन करने के लिए गए थे। उन्होंने कोई असवैंधानिक कार्य नहीं किया तथा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कोर्ट की अवमानना हुई हो।

भ्रष्ट जजों की जाँच कराने के लिए गुहार लगा रहे थे तथा झूठे मुकदमों को वापिस लेने के लिए आवाज उठा रहे थे, जो स्वतंत्र व लोकतांत्रिक भारत के नागरिकों का सवैंधानिक अधिकार है।

★ ''हाई कोर्ट के माननीय भ्रष्ट जजों का जल्लाद कर्म'' :-

श्रीमान् राजीव भल्ला जी ने तथा S.K. Mittal & Comp. ने जान बूझकर परेशान करने के उद्देश्य से संत रामपाल दास जी महाराज को दिनांक 24-09-2014 को कोर्ट में बुलाया। जबकि दिनांक 08-08-2014 को संत रामपाल जी महाराज ने शपथ पत्र में स्पष्ट कर दिया था कि मैं तो कोर्ट के आदेशानुसार हिसार कोर्ट में विडियो कान्फ्रैंस के द्वारा हाजरी लगवाने गया था। मैनें कोर्ट की अवमानना नहीं की है। जो चैन बनाकर मेरी सुरक्षा कर रहे थे, वे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य थे। यह समीति मास्टर रामकुमार द्वारा चलाई जा रही है। उस समीति में मेरे शिष्य अवश्य हैं, परंतु वे मेरे कन्ट्रोल में नहीं हैं, वे अपने स्तर पर ही कार्य करते हैं। मैनें उनको किसी कोर्ट में कभी नहीं बुलाया।

माननीय भ्रष्ट जज राजीव भल्ला जल्लाद को संतोष नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में दिनांक 24-09-2014 को हाजिर होने का आदेश दे दिया। इसके साथ-2 समीति के प्रधान मास्टर रामकुमार जी को भी तलब कर लिया।

★ भ्रष्ट जजों के दलाल निचली कोर्ट के जजों को हमने रिश्वत नहीं दी। जिन्होंने निम्न प्रकार धनराशि रिश्वत की माँगी थी। जिनकी शिकायत मुख्य न्यायधीश हाई कोर्ट को की थी, उन पर कोई कार्यवाही नहीं की। :-

1. सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता रोहतक ने 30 लाख रूपये।
2. श्री अश्वनी कुमार मेहता ACJM रोहतक ने 20 लाख रूपये।
3. श्रीमति सविता कुमारी JMIC रोहतक ने 10 लाख रूपये।

निचली अदालतों के जज हाई कोर्ट के माननीय भ्रष्ट जजों को हिस्सा देते हैं। हमने रिश्वत दी नहीं, जिस कारण से हाई कोर्ट के भ्रष्ट जज राजीव भल्ला, जज S.K. Mittal, जज हेमन्त गुप्ता, जज इन्द्रजीत, जज अमोल रत्न सिंह, जज सूर्यकांत आदि जो एक भ्रष्टों का समूह है, रिश्वत का हिस्सा न मिलने के कारण भ्रष्ट जजों का ग्रुप अन्याय के साथ-2 अत्याचार पर उतर आया।

★ माननीय जल्लाद जजों को पता था कि दिनांक 24-09-2014 को मेरे सख्त आदेश के कारण संत रामपाल दास जी अवश्य आऐंगे। उनके साथ राष्ट्रीय समाज सेवा समीति के सदस्य भी आऐंगे। इसलिए 23-09-2014 को चण्डीगढ़ पुलिस के सर्व प्रमुख अधिकारियों तथा हरियाणाा व पंजाब के सर्व S.P.'s तथा D.G.P.'s को बुलाकर मीटिंग करके सख्त आदेश दिया कि संत रामपाल जी महाराज के साथ एक भी व्यक्ति नहीं आना चाहिए। इसलिए

तीनों राज्यों की पुलिस ने सर्व मार्ग रोक दिए।

राष्ट्रीय समाज सेवा समीति के सदस्यों ने अपने प्रधान के साथ जाना ही था तथा संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा भी करनी थी।

जल्लाद जजों के आदेशानुसार पुलिस ने जो कहर ढ़हाया वह इस प्रकार है :-

★ हरियाणा से आने वाला रास्ता, पंचकूला तथा पंजाब से आने वाला सड़क मार्ग जीरकपुर तथा चण्डीगढ़ के रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से आने वाले रास्तों को पुलिस ने सील कर रखा था।

★ राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ने चण्डीगढ़ में सैक्टर 25 में रैली मैदान को बुक करा रखा था। जहाँ पर सब RSSS के सदस्यों को इकट्ठा होना था। जीरकपुर से 25 कि.मी. सैक्टर 25 का रैली मैदान था, पंचकूला से 15 कि. मी., रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड से 12 कि.मी. दूर था।

परमात्मा के बच्चे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य जिनमें वृद्ध स्त्रियां, छोटे-छोटे बच्चे गोदी में लिए बहनें तथा वृद्ध पुरूष, रोगी बहनें तथा भक्तजन पैदल चलकर रातों-रात रैली ग्राउंड सैक्टर 25 चण्डीगढ़ में पहुँचे। उस अत्याचार को देखकर आँखों में आँसू आ रहे थे। सुना था कभी जालिम अंग्रेजों ने ऐसा कुफर किया था, परंतु 24-09-2014 को भ्रष्ट जजों द्वारा किया गया जल्लाद कर्म आँखों देखने को मिला।

रैली मैदान में लगभग 1½ लाख भक्त पहुँचे। कोर्ट नं. 6 चण्डीगढ़ हाई कोर्ट में बैठा जल्लाद राजीव भल्ला अन्दर से भयभीत ऊपर से बकवास कर रहा था। उसका दिमाग चल गया। उसने 05-11-2014 अगली तारीख लगाई। संत रामपाल जी महाराज अस्वस्थ होने के कारण कोर्ट में उपस्थित नहीं हो सके, उनका मेडिकल भेज दिया गया।

★ भ्रष्ट जज राजीव भल्ला ने जल्लादी करते हुए उपचार करने वाले डा० को भी तलब करने के आदेश कर दिये, कहा कि जाँच करवाऊंगा कि मेडिकल असली है या नकली है। यह आदेश जज राजीव भल्ला का ऐसा है, जैसे कहावत है कि ''खिसियानी बिल्ली खम्बा नोंचे''।

★ रैली में मंच लगाकर 6½ घण्टे तक भ्रष्ट जजों के काले कारनामे RSSS द्वारा उजागर किये गए। जजों पर जवाबदेही कानून बनाने की प्रार्थना राष्ट्रपति जी तथा प्रधानमंत्री जी से की गई।

★ नेक जजों को कोर्ट में लगाया गया तथा 29-09-2014 को संत रामपाल जी महाराज की प्रमानेन्ट हाजरी माफी हाई कोर्ट के न्यायप्रिय नेक जज द्वारा की गई जो कर्म 10-07-2014 को माननीय भ्रष्ट जज इन्द्रजीत जी द्वारा किया जाना चाहिए था, ताकि हमें न्याय मिलता तथा लाखों व्यक्ति परेशान होने से

बच जाते। कितना समय तथा पैसा व्यर्थ हुआ, यह भी बचता तथा कहीं धर्म के कार्य में लगता, कहीं बाढ़ राहत कार्य में लगता।

★ जज उर्फ जल्लाद राजीव भल्ला जी ने अपनी नीचता प्रकट कर दी। कोर्ट में खुले तौर पर कहा कि RSSS के 50 पदाधिकारियों को सम्मन भेजकर तलब किया जाएगा। पंरतु बाद में बीमार मानसिकता दर्शाते हुए आदेश कर दिया कि RSSS के सदस्य जो 14-07-2014 के लिए रैजूलेशन पास करते समय उपस्थित थे तथा जो 14-07-2014 को रोहतक तथा हिसार कोर्टों में प्रदर्शन व सुरक्षा करने के लिए गए थे, वे सब 05-11-2014 को उपस्थित हों। उनके पते की लिस्ट 24-09-2014 के बाद तीन दिन के अंदर कोर्ट में भेजी जाए ताकि सर्व को नोटिस जारी किए जाऐं।

★ RSSS के अधिकारियों ने 29-09-2014 को एक लाख सदस्य जो 14-07-2014 को रोहतक व हिसार कोर्ट में हाजिर थे, के पते सहित लिस्ट माननीय हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में जमा कराकर प्राप्ति रसीद ले ली।

★ भ्रष्ट जज उर्फ जल्लाद राजीव भल्ला जी ने अपनी दूषित नीयत (Malafied Intention) स्पष्ट करते हुए अपने आदेश दिनांक 24-09-2014 में गलत लिख दिया कि RSSS के प्रधान मास्टर रामकुमार ने स्वीकारा है कि ''सैशन जज रोहतक तथा हिसार ने अपने पत्रों में जो घटना लिखी है, उनको करने की जिम्मेदारी RSSS के प्रधान रामकुमार ने ली है कि यह सब सदस्यों ने मिलकर किया है। सैशन जज रोहतक ने लिखा है कि मुझे मारने की धमकी दी। सैशन जज हिसार ने हिसार के वकीलों का वह पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि हमारे साथ मारपीट की गई, न्यायालय की अवमानना की गई।

जबकि RSSS के प्रधान रामकुमार जी ने अपने शपथ पत्र में यह लिखा है कि RSSS के सर्व सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लेकर रोहतक तथा हिसार कोर्ट के सामने न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में शान्तिपूर्वक प्रदर्शन किया था तथा संत रामपाल जी महाराज की सुरक्षा की थी। हमने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे न्यायालय की अवमानना हुई हो।

जज राजीव भल्ला जल्लाद ने वास्तविकता को छुपाकर दो निर्दोषों को दोषी बनाने के उद्देश्य से अपने आदेश में टिप्पणी की है।

देखा जाए तो न्यायालय की अवमानना तो उन वकीलों ने की है जिन्होंनें 4-5 दिन वर्क सस्पैंड करके कोर्ट के कार्य में बाधा डाली। ये भ्रष्ट जज अपने दल्ले वकीलों को तथा दल्ले निचली कोर्ट के जजों को बचाने के लिए कुमार्ग पर चल रहे हैं। अब भारत की जनता जागरूक है। इनकी दाल नहीं

गलेगी। इनको मुँह की खानी पड़ेगी।

★ भ्रष्ट जज बने चण्डी माई जो बलि माँगती है :-

भ्रष्ट जज निजी स्वार्थ की पूर्ति न होने के कारण मनमाने आदेश पारित करके 100-200 भक्तों की बलि माँग रहे हैं। हम तो 10 लाख सदस्य बलि देने को तैयार हैं ताकि भ्रष्ट जजों का खप्पर भर सकें।

★ भ्रष्ट जजों द्वारा बनाया गया झूठा मुकदमा CROCP No. 12/2014 का उद्देश्य यही है कि पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों पर गोलियां क्यों नहीं चलाई, 10-20 लोगों को बलि क्यों नहीं चढ़ाया? इसीलिए रोहतक तथा हिसार जिलों के पुलिस अधीक्षकों पर तथा हरियाणा सरकार के गृह सचिव पर भी संत रामपाल जी के साथ अवमानना का यही झूठा मुकदमा बना रखा है जबकि दोनों S.P. को स्पष्ट पता था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कोर्ट की अवमानना या यातायात अवरूद्ध हुआ हो। यदि ऐसा होता तो पुलिस दिनांक 14-07-2014 को ही मुकदमा दर्ज करती। दिनांक 08-08-2014 को हाई कोर्ट के जजों ने दोनों S.P. को मौखिक सख्त आदेश दिया कि जिन्होंने प्रदर्शन किया था उन पर केस दर्ज करो, नहीं तो हम तुम्हें सजा देंगे।

दोनों पुलिस अधीक्षकों ने भ्रष्ट जजों से अपनी नौकरी बचाने के लिए झूठे मुकदमा नं. 386 दिनांक 04-08-2014 को रोहतक में तथा मुकदमा नं. 528 दिनांक 06-08-2014 को हिसार में घटना के लगभग 22 दिन बाद बनाया। जब भ्रष्ट जज राजीव भल्ला की मनचाही कार्यवाही निर्दोष भक्तों पर हो गई तो दोनों पुलिस अधीक्षकों तथा गृह सचिव हरियाणा सरकार को क्षमा कर दिया तथा उनकी हाजिरी माफी केस के अंत तक कर दी। अब किसी आदेश में उनका नाम तक नहीं आता। हमारे वकील ने कहा कि संत रामपाल जी महाराज की भी हाजिरी माफ करने की कृप्या करें। तब भ्रष्ट जज राजीव भल्ला जी झुंझला कर बोला कि नहीं उसको आना पड़ेगा, पता चलेगा जजों के खिलाफ आवाज उठाने तथा पुस्तक (''जैसी करनी वैसी भरनी'', ''सच बनाम झूठ'', न्यायालय की गिरती गरिमा'') लिखने का।

★ जज अमोल रत्न सिंह तथा जज इन्द्रजीत का अन्याय :-

न्यायालय की अवमानना का झूठा मुकदमा नं. CrOCP 12/2014 Date-22-07-2014 को बनाने में डबल बैंच में यही एक जज श्रीमान जी भी थे। दूसरा राजीव भल्ला जी थे। इन दोनों ने वरिष्ठ जज सुशील कुमार मित्तल

(S.K. Mittal) से मिलकर यह घिनौना कार्य किया। जैसा कि इसी पत्र में हम स्पष्ट कर चुके हैं कि दिनांक 21-07-2014 को रोहतक सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता शिकायत पत्र भेजता है। दिनांक 21-07-2014 को ही झूठा मुकदमा बनाने का संज्ञान लिया गया। दिनांक 21-07-2014 को मुकदमा बनाकर डबल बैंच (1. जज राजीव भल्ला 2. जज अमोल रत्न सिंह) में लग गया। दिनांक 22-07-2014 को इन दोनों भ्रष्ट जजों ने भी संज्ञान लेकर कहा कि प्रथम दृष्टा (Prima Facie) मुकदमा (संत) रामपाल (जी महाराज) पर बनता है। उसके लिए 08-08-2014 तारीख को संत रामपाल दास जी को कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश दिया। दिनांक 08-08-2014 को शपथ पत्र दे दिया गया।

दूसरी ओर निचली ट्रायल कोर्ट में सैशन जज रोहतक ने भी दिनांक 08-08-2014 मुकदमा नं. 198/2006 की दे रखी थी। इन्होंने जान-बूझकर 08-08-2014 तारीख दी। सैशन जज रोहतक ने अपना आदेश दिनांक 12-02-2014 का संत रामपाल जी की हाजरी माफी का 06-06-2014 को हाई कोर्ट के वरिष्ठ जज एस. के. मित्तल की शह पर कैन्सल कर दिया था। इस आदेश के खिलाफ माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में अपील की गई थी।

वह केस दिनांक 10-07-2014 को माननीय हाई कोर्ट में डाला था। तत्कालीन जज श्री इन्द्रजीत जी ने भी अपनी नीचता दिखाते हुए हाजरी माफी नहीं की तथा तारीख 21-08-2014 दे दी क्योंकि यह भ्रष्ट जज S.K. Mittal & Comp. का ही आदमी है। इसलिए तारीख छोटी करने की अर्जी लगाई तो उस दिन उस कोर्ट में जज अमोल रत्न सिंह थे। उन्होनें उसी मुकदमें की तारीख 07-08-2014 रोहतक कोर्ट की पेशी से एक दिन पहले की लगाई।

श्रीमान् भ्रष्ट जज अमोल रत्न सिंह को डबल बैंच से हटाकर उसी कोर्ट में लगाया गया जिसमें हाजरी माफी के मुकदमें की तारीख 07-08-2014 कर दी तथा हमारे वकील को देखते ही श्रीमान् भ्रष्ट जज अमोल रत्न सिंह जी ने कहा कि राय जी आप गलत बैच पर आ गए। मैं उसी बैच से आया हूँ जिसमें इसके खिलाफ अवमानना का केस हमने ही बनाया है। मैं हाजरी माफी नहीं करूंगा। दिनांक 07-08-2014 को भी भ्रष्ट जज अमोल रत्न सिंह बहुत बोला और झीखकर केवल 08-08-2014 की हाजरी माफी कर दी जबकि हमारे वकील ने अर्जी लगाई थी कि सैशन जज रोहतक ने कानून के विपरीत अपना आदेश कैन्सल किया है, दूसरे गैर-कानूनी आदेश को समाप्त करने की कृपा करें। ऐसा न करके एक दिन की हाजरी माफ कर दी तथा अगली तारीख 11-09-2014 दे दी क्योंकि सैशन कोर्ट में तारीख 19-09-2014 थी।

अपने आदेश 07-08-2014 में यह भी लिख दिया था कि सैशन जज रोहतक ने जो अपना 12-02-2014 वाला आदेश 06-06-2014 को कैन्सल किया है, वह गलत नहीं है। (कृपया पढ़ें अमोल रत्न जी का 07-08-2014 का आदेश पृष्ठ 64 पर।) हरियाणा सरकार के गृह सचिव ने शपथ पत्र भी कोर्ट में दिया था। उसमें कहा था कि कानून व्यवस्था को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज की प्रमानैन्ट हाजरी माफी करने में सरकार को कोई ऐतराज नहीं है। फिर भी भ्रष्ट जज अमोल रत्न जी ने प्रमानैन्ट हाजरी माफी नहीं की, अपितु परेशान करने के उद्देश्य से दूसरी बार भी केवल 19-09-2014 अर्थात् एक दिन की हाजरी माफी की।

इससे श्रीमान् अमोल रत्न जी की मलीन मानसिकता स्पष्ट होती है कि ये सर्व भ्रष्ट जज अपने कमाऊ भ्रष्ट जज सुशील कुमार गुप्ता को बचाने के लिए प्रतिशोधात्मक रवैया अपना रहे हैं। जिसका परिणाम मुकदमा नं. CROCP No. 12 / 2014 है।

श्री अमोल रत्न जज जी ने 11-09-2014 को एक दिन 19-09-2014 की हाजरी माफी करते समय भी यह राग अलापा था कि आगे से यह अर्जी कैन्सल समझ लेना तथा तारीख 29-09-2014 लगा दी।

''माननीय जज इन्द्रजीत जी का अन्याय''

हाजरी माफी का कार्य जज इन्द्रजीत जी ने ही करना चाहिए था। उसके पश्चात् जज अमोल रत्न से आशा लगाई। लेकिन यह इन्द्रजीत से भी दुष्ट निकला। विचार करने की बात है, हाई कोर्ट में जाने का खर्च सहन करना कितना कठिन है? ये निर्दयी तथा भ्रष्ट जज वातानुकूल कक्ष में बैठ कर भूल जाते हैं गरीब जनता के दर्द को। ये भ्रष्ट जज तो कौए (काग) जैसी वृति के व्यक्ति हैं, कउवा पशु के शरीर पर बने जख्म पर चौंच मारकर माँस नौंचकर अपना पेट भरता है। उसको पशु के जख्म से होने वाले दर्द से कोई लेना-देना नहीं है। इसी प्रकार भ्रष्ट जज कव्वे जैसे स्वभाव के हैं।ञ

''नेक जज का कार्य कैसा होना चाहिए?''

परमात्मा की कृपा से भ्रष्ट जज अमोल रत्न सिंह जी को इस कोर्ट से बदल दिया गया तथा इसके स्थान पर माननीय जज सबीना जी की ड्यूटी लगी। केस को सुन और समझ कर इस देवी स्वरूप जज ने न्याय किया तथा सैशन जज रोहतक का 06-06-2014 वाला आदेश रद्द करके जो हमने अर्जी लगाई थी कि 12-02-2014 वाला आदेश रहना न्याय संगत है जिसमें केस की अन्तिम सुनवाई तक हाजरी माफी की गई थी। वह आदेश नेक जज सबीना

जी ने यथावत रख दिया, 06-06-2014 वाला आदेश रद्द कर दिया, हमें न्याय मिला। यदि सब जज ऐसा न्याय करें तो जनता में अच्छा संदेश जाएगा।

न्यायप्रिय गरीब जनता की हितैषी जज साहिबा बहन सबीना जी ने वही अर्जी स्वीकार करके न्याय दिया। हम बार-बार कहते हैं कि सर्व जज भ्रष्ट नहीं हैं।

★ भ्रष्ट जजों की मनमानियां :-

➾ भ्रष्ट जज कभी तो कहते हैं कि हम समाचार पत्रों को आधार नहीं मानते। अब समाचार पत्रों को आधार मानकर मुकदमा बना दिया।

यदि समाचार पत्रों की मानें तो कृप्या पढ़ें पृष्ठ 62 पर रोहतक के समाचार पत्रों की फोटोकापियां जिनमें स्पष्ट लिखा है कि इतना जन समूह होते हुए इतना शान्तिपूर्वक प्रदर्शन कभी नहीं देखा।

➾ ''सच बनाम झूठ'' पुस्तक के विषय में झूठा मुकदमा श्री हेमन्त कुमार गुप्ता जज (हाई कोर्ट चण्डीगढ़) ने बनाया जिसकी कथा इस प्रकार है :-

सर्व भक्तों ने एक पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' लिखी जिसमें स्पष्ट लिखा था कि यह पुस्तक सर्व संगत ने मिलकर बनाई है। लेखक के स्थान पर एक भक्त बसंत दास का पता लिख दिया गया ताकि कोई सम्पर्क करना चाहे तो कर सके। यह पुस्तक दिनांक 27-09-2010 को हाई कोर्ट के सर्व जजों व देश के अन्य अधिकारियों को भेजी।

★ कहावत है कि रोजे माफ कराने गए निमाज और गले में डाल दी।

★ संत रामपाल जी महाराज ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में सुरक्षा की अर्जी लगाई। माननीय हाई कोर्ट ने परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा देने का आदेश क्रमांक Civil Writ Petition No. 17759 of 2009 Date-19-11-2009 पारित किया। माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद हरियाणा सरकार ने कोई सुरक्षा नहीं दी।

संत रामपाल जी महाराज ने माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार के विरूद्ध कोर्ट की अवमानना (Contempt of Court) का केस COCP No. 2123/2010 डाला। माननीय भ्रष्ट जज श्री हेमन्त गुप्ता ने सरकार को तो कोई नोटिस तक नहीं किया, उल्टा संत रामपाल जी महाराज को इसी अवमानना केस COCP No. 2123/2010 के तहत नोटिस कर दिया कि प्रथम दृष्टा (Prima Facie) रूप से (संत) रामपाल (जी) पर ''सच बनाम झूठ'' पुस्तक के कारण कोर्ट की अवमानना का मुकदमा बनता है, कारण बताओ नोटिस संत रामपाल जी महाराज के नाम जारी कर दिया गया। संत

रामपाल जी महाराज ने शपथ पत्र में लिख दिया कि इस पुस्तक में मेरा कोई लेना-देना नहीं है। यह तो लेखक बसंत दास ही सही-सही बता सकता है। भक्त बसंत दास को हाई कोर्ट ने नोटिस दिया, उसमें भक्त बसंत दास ने कहा कि यह पुस्तक मैंने अन्य लाखों भक्तों के सहयोग से लिखी है। तब संत रामपाल जी महाराज को उस झूठे मुकदमें से राहत मिली। संत रामपाल जी महाराज को न्यायालय में बुलाया नहीं परंतु भ्रष्ट जज हेमंत गुप्ता तथा भ्रष्ट जज सूर्यकांत ने सरकार को अवमानना केस से बरी कर दिया और अकेले बसंत दास को दोषी ठहराकर कोर्ट की अवमानना का मुकदमा **CrOCP No. 22/2011** बना दिया जबकि पाँच हजार उन भक्तों ने शपथ पत्र भी दिये जिन्होंने पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' के लिखने व छपवाने में सहयोग दिया था। परंतु भ्रष्ट जजों ने जानबूझ कर उनको अनदेखा कर दिया, केवल बसंत दास जी को बलि का बकरा बना दिया।

★ भ्रष्ट जजों ने भक्त बसंत दास का जीवन नष्ट कर दिया :-

जब बसंत दास को पता चला कि तुझे अकेले को मुकदमा **CROCP No. 22/2011** में फंसा दिया, अन्य को छोड़ दिया तो उसके दिल को ऐसा झटका लगा कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया-अनबोल हो गया। रस्सा उठाकर गले में डाल कर पंखे पर लटक कर आत्म हत्या का प्रयास करने लगा। उसका ईलाज **P.G.I.M.S.** रोहतक कराया जाने लगा।

भ्रष्ट जज राजीव भल्ला को इसमें भी संतोष नहीं हुआ।

★ हमारे निजी जीवन में भी भ्रष्ट जज दखलंदाजी करने लगे :-

हाई कोर्ट के जज राजीव भल्ला को बताया गया कि बसंत दास मानसिक तौर से बीमार है, इसका ईलाज **P.G.I.M.S.** में कराया जा रहा है।

जब **P.G.I.M.S.** रोहतक में कोई स्वास्थ्य लाभ बसंत दास जी को नहीं हुआ, तब उसको दिल्ली के अच्छे हस्पताल **Institute of Human Behaviour and allied sciences (IHBAS)** में दाखिल कराया गया जहां उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। दिनांक **04-08-2014** को हाई कोर्ट में बसंत दास की पेशी थी। बसंत के भाई सुरेन्द्र जी न्यायालय में उपस्थित हुए तथा जज राजीव भल्ला जी को बताया कि बसंत दास को **P.G.I.M.S.** रोहतक से लाभ नहीं हुआ, इसलिए उसको दिनांक **23-07-2014** को दिल्ली के प्रसिद्ध हस्पताल **IHBAS** में दिखाया है। हाई कोर्ट के माननीय जज श्री राजीव भल्ला जी ने

सुरेन्द्र को आदेश दिया कि बसंत दास को दिनांक 19-08-2014 को P.G.I.M.S. में ही ईलाज के लिए ले जाओ। जज महोदय को बताया गया कि हम बसंत दास जी का IHBAS सरकारी हस्पताल में ईलाज करा रहे हैं। जज राजीव भल्ला चिल्लाकर बोला कि तुम कोर्ट की आज्ञा का पालन नहीं करते हो, P.G.I.M.S. रोहतक में ही दिखाओ। बसंत दास के भाई सुरेन्द्र ने कहा कि हमने अपने भाई का जीवन देखना है। यह कहने के बाद तो जज राजीव भल्ला जी का पारा बढ़ गया, कहा कि तुम खुद जज बन गए हो, खुद ही वकील बन गए हो, मैं जो कहता हूँ, वही करो।

भ्रष्ट जजों उर्फ जल्लादों के डर से कोर्ट के आदेशानुसार बसंत जी को दिनांक 19-08-2014 को P.G.I.M.S. रोहतक हस्पताल में ले जाया गया। डा० ने कोर्ट का आदेश देखकर बसंत जी को दाखिल कर लिया। दिनांक 19-08-2014 से दिनांक 28-08-2014 तक बसंत की स्थिति अधिक बिगड़ गई। वह दिनांक 28-08-2014 को P.G.I.M.S. रोहतक से अचानक चला गया। उसको खोजा जा रहा है।

यदि बसंत दास को कुछ हो गया तो जल्लाद उर्फ जज राजीव भल्ला जिम्मेदार होगा।

★ भ्रष्ट जज जान-बूझकर सत्य से आँखें बंद किए हुए हैं :-

जज सुशील कुमार के जल्लाद कर्म :-

सुशील कुमार गुप्ता सैशन जज रोहतक का बोया बीज है झूठा मुकदमा CrOCP No. 12/2014 बना।

कृप्या पढ़ें उस पत्र की फोटोकापी जो माननीय राष्ट्रपति जी तथा मुख्य न्यायधीश पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ को दिनांक 23-04-2014 को लिखा था। इसकी एक कापी सैशन जज रोहतक को भी भेजी थी। जिस पर आज दिनांक 25-10-2014 तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। R.T.I. से जानकारी प्राप्त की तो लिख दिया कि कार्यवाही चल रही है। अधिक जानकारी पृष्ठ 27 पर पढ़ें।

★ भ्रष्ट जज सविता कुमारी JMIC रोहतक कोर्ट के जल्लाद कर्म :-

जज सविता कुमारी जी ने 2 मई 2013 को रोहतक कोर्ट में हमारे मुकदमा नं. 192/2006 की पहली तारीख लगाई। अप्रैल 2014 तक लम्बी-लम्बी तारीख दिया करती थी। जब से इसकी शिकायत की है, तब से इसने छोटी-छोटी तारीखें देकर अपना प्रतिशोध लेना प्रारम्भ कर दिया।

★ भ्रष्ट जज सविता कुमारी JMIC रोहतक कोर्ट ने 10 लाख रूपये की रिश्वत मांगी थी, जिसके भ्रष्टाचार व अन्याय की शिकायत पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायधीश को दिनांक 06-06-2014 को भेजी थी। परंतु आज दिनांक 25-10-2014 तक कोई कार्यवाही इस भ्रष्ट जज पर नहीं हुई है। जिस कारण से यह बहन जज न रहकर चुड़ैल बन गई है। इसके हौंसले इतने बुलन्द हो गए हैं कि रिश्वत न मिलने का प्रतिशोध लेते हुए छोटी-छोटी तारीखें लगा रही है। इस मुकदमें में 19 व्यक्ति नामजद हैं। वे न घर का कार्य कर पाते हैं, न ही नौकरी, न खेती, न मजदूरी ठीक से कर पाते हैं।

★ इस जज उर्फ चुड़ैल सविता का प्रतिशोधात्मक घटिया कानून विरूद्ध कार्य :-

एक पल्लव पुत्र जोगिश बोस निवासी लखनऊ (उत्तर प्रदेश) इसी मुकदमा सं. 192 Date-18-07-2006 PS Sadar Rohtak में नामजद है। यह मुकदमा 18-07-2006 से चल रहा है। पल्लव दास पहली बार अस्वस्थ होने के कारण दिनांक 03-07-2014 को कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाया।

भ्रष्ट जज सविता कुमारी जी भ्रष्टाचार में इतनी अंधी हो चुकी है कि कानून का पालन करना ही छोड़ दिया।

रोहतक (हरियाणा प्रदेश) से लखनऊ (उ.प्र.) लगभग 600 कि.मी. दूर है। पल्लव को गिरफ्तार करके लाने का आदेश पारित करके अगली तारीख 09-07-2014 लगाई। केवल 5 दिन का समय दिया।

विचार करें :- 5 दिन में एक पुलिस वाला कैसे लखनऊ पहुँच सकता है? फिर तारीख 17-07-2014 लगाई, दूसरा समय दिया 7 दिन का। फिर अगली तारीख 25-07-2014 लगाई, समय दिया 7 दिन का। फिर अगली तारीख 11-08-2014 दी, समय दिया 16 दिन का। इसी दौरान बिना उचित समय दिये P.O. की कार्यवाही भी कर डाली। कानून के जानकार बताते हैं कि P.O. की कार्यवाही में कम से कम 30 दिन का समय होना चाहिए। जैसे-तैसे करके जमानती ने स्वयं पल्लव दास को लाकर 03-09-2014 को कोर्ट में पेश किया। फिर जज सविता कुमारी चुड़ैल ने जमानत की अर्जी ही कैंन्सिल कर दी, पल्लव जेल में पड़ा है। क्या यह जज उर्फ चुड़ैल बीमार नहीं होती?

दिनांक 03-09-2014 को पल्लव दास को कोर्ट में पेश करने के पश्चात् उसको जेल भेज दिया। इसके पश्चात् जज उर्फ जल्लाद उर्फ चुड़ैल सविता कुमारी का दमन चक्र इस प्रकार चल रहा है :-

अगली तारीख 10-09-2014 (6 दिन की), अगली तारीख 16-09-

2014 (7 दिन की), अगली तारीख 22-09-2014 (5 दिन की), अगली तारीख 29-09-2014 (6 दिन की), अगली तारीख 04-10-2014 (4 दिन की), अगली तारीख 10-10-2014 (5 दिन की)। इन तारीखों के बीच में कोर्ट की छुट्टियां थी, नहीं तो यह चुड़ैल 2-2 दिन की तारीखें देती। दिनांक 10-10-2014 को स्वयं छुट्टी पर चली गई, कोई गवाह नहीं आया। अगली तारीख 27-10-2014 (17 दिन) की दूसरे जज ने दे दी। यदि यह चुड़ैल होती तो 5 दिन की तारीख देती। कोई गवाह नहीं आता, व्यर्थ में 19 व्यक्तियों को अपने भ्रष्टाचार के कोल्हू में पीड़ रही है। यदि इस चुड़ैल पर कार्यवाही नहीं हुई तो एक दिन जनता इन भ्रष्ट जजों को कोर्ट से घसीट कर चौराहों पर पीटेगी, वह दिन दूर नहीं है।

अधिक जानकारी पढ़ें पृष्ठ 42 पर।

हम सर्व सदस्य भ्रष्ट जजों की जाँच करके नौकरी से बर्खास्त करने तथा जजों की जवाबदेही कानून बनाने की माँग इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से करते हैं। आशा करते हैं कि अवश्य कार्यवाही होगी।

धन्यवाद।

''जज श्री सुशील कुमार गुप्ता का भ्रष्टाचार''

श्री सुशील कुमार गुप्ता जी सैशन कोर्ट रोहतक (हरियाणा) के भ्रष्टाचार की जांच के लिए शिकायत माननीय राष्ट्रपति जी भारत गणराज्य को भेजी गई जो इस प्रकार है:-

विषयः- माननीय श्री सुशील कुमार गुप्ता सैशन जज रोहतक के भ्रष्टाचार की जांच करके बरखास्त करने हेतु प्रार्थना पत्र।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि हम समाज सेवा समिती के सर्व 10 लाख सदस्य आपको माननीय सैशन जज श्री सुशील कुमार गुप्ता के भ्रष्टाचार की जांच करके सख्त कार्यवाही की प्रार्थना करते हैं। जज को परमात्मा का छोटा रूप माना जाता है। जिसकी कलम में एक व्यक्ति की जीवन-मृत्यु का फैसला होता है। ऐसे माननीय तथा सम्मानीय पद पर विराजमान व्यक्ति अपने स्वार्थवश कानून के विरूद्ध कार्य करके गरीब जनता को सताता है और न्यायालय की छवि को खराब करता है, उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। विवरण इस प्रकार है कि हमारे कुछ सदस्य जज महोदय से मिले थे। उन्होंने समिती के मुख्य सदस्यों को बताया जो इस प्रकार है :-

दिनांक 10-03-2014 को हमारे साथी भक्तों की एक झूठे केस मुकदमा नं. 198/2006 में माननीय सैशन जज रोहतक श्री सुशील कुमार गुप्ता की

कोर्ट में तारीख पेशी थी। हम भी तारीख पर उनके साथ गये हुऐ थे। तारीख होने के बाद हमारे मित्र प्रीतम सिंह (राजकुमार) ने मेरे को रणबीर सिंह निवासी किराड़ी व अमन निवासी रोहतक को बताया कि मैंने माननीय जज साहब से प्रार्थना की थी कि माननीय जज साहब यह केस राजनीतिक दबाव के कारण हम पर झूठा बनाया हुआ है। हम सभी इसमें निर्दोष हैं। आपजी से निवेदन है कि इस केस से हमारा पीछा छुड़वाओं, तो माननीय जज साहब कहने लगे अब तो कोर्ट का समय है। आप अपने साथ 2-3 मौजीज व्यक्तियों के साथ शाम 5 बजे के बाद मुझे मिलो। तब तक मैं भी इस केस की फाईल को देख लेता हूँ। मैं, रणबीर निवासी किराड़ी व अमन निवासी रोहतक, बलवान निवासी गाँव बालक (जो बाद में बुलाया गया था) तथा प्रीतम सिंह (राजकुमार) को साथ लेकर माननीय जज साहब के पास गये। तब माननीय जज साहब कहने लगे अब बताओ। जो भी घटना हमारे साथ घटी थी, उसका विवरण देकर हमने बताया कि हमारे ऊपर मुकदमा नं. 198/2006 गलत बनाया गया है, वास्तविकता यह है कि हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने ''सत्यार्थ प्रकाश'' पुस्तक के अज्ञान को समाज के सामने रखा, जो की आर्य समाज के आचार्यों को अच्छा नहीं लगा और ज्ञान का जवाब ज्ञान से ना देकर, उन्होंने दिनांक 12-7-2006 को सतलोक आश्रम करौंथा पर हमला बोल दिया।

उस समय ड्यूटी पर तैनात प्रशासनिक अधिकारी S.D.M. श्री वत्सल वशिष्ट जी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट आदेश पारित किये हैं कि 8000-10000 उपद्रवीयों ने सतलोक आश्रम करौंथा को घेर लिया और हथियारों से हमला बोल दिया, स्थिति को देखकर S.D.M. साहब ने S.H.O. सदर रोहतक के कहने व हालात को मध्य नजर रखते हुए सतलोक आश्रम के अनुयायियों की सुरक्षा के लिए आश्रम को धारा 145 Cr. P.C. के तहत कब्जा में ले लिया ताकि अनुयाईयों को आश्रम से सुरक्षित निकाला जा सके। (एस.डी.एम. के आदेश की प्रति संलग्न है) S.D.M. ने अपने आदेश में यह भी लिखा है कि ''उस समय रोहतक जिला के S.P. तथा D.C. व अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर उपस्थित थे। S.H.O. सदर रोहतक ने भी प्रार्थना की थी कि आश्रम के अनुयाईयों को खतरा है। S.P. तथा D.C. भी सहमत थे कि आश्रम के अनुयाईयों को बचाने के लिए आश्रम को जेर धारा 145 Cr. P.C. के तहत कब्जे में लिया जाए, ऐसा ही किया गया।''यह विवरण S.D.M. के आदेश में है। आश्चर्य की बात है कि बाद में मनघड़न्त कहानी बनाकर S.H.O. सदर रोहतक ने हम पर झूठा केस बनाया तथा S.P. रोहतक ने इस झूठे केस की तायद कर दी तथा न्यायालय में पेश कर दिया। यह कैसा घिनौना मजाक

है कि हमारे ही भक्तों को पुलिस ने झूठा मुकदमा नं. 198/06 u/s 148-149,323,307,302, I.P.C.व 27, 54, 59 A Act थाना सदर रोहतक में गिरफ्तार कर लिया। हमारे वकील ने इस मुकदमे से हमारे ऊपर लगी धारा 148-149 व अन्य धाराओं को हटवाने के लिए माननीय हाई कोर्ट में रिट डाली फिर इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट में रिट डाली की हम आश्रम में सत्संग सुनने के लिए इक्ट्ठे हुए थे। हमारे ऊपर आर्य समाजियों ने आकर हमला किया है। हम हमला करने के लिए मजमा खिलाफे कानून बनाकर कहीं झगड़ा करने के लिए नहीं गये, हमारे ऊपर धारा 148-149 I.P.C. व अन्य धाराऐं हटाई जाऐं। उपद्रवियों, आक्रमणकारियों पर मुकदमा बनाया जाए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज साहेबों ने अपने आदेशों में कहा कि नीचे Trial Court में जाकर अपना पक्ष रखो। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि हम इस केस की धारा 148-149 को हटवाना चाहते हैं। जो हमारे भक्तों पर नाजायज लगी हुई है। जब यह मुकदमा हम पर बनता ही नहीं, तो फिर Trial किसलिए चल रही हैं। यदि पुलिस चोरी के मुकदमे में जो धारा 380 IPC. बनती है। उसके स्थान पर धारा 302 लगा कर कोर्ट में पेश कर देती है तो जज का फर्ज है कि पहले धारा ठीक करे, बाद में Trial चलाए। लेकिन ऐसा न करके गलत धाराऐं लगा कर केस चलाया जा रहा है। आप भी कानून के जानकार हैं।

★ मुख्य गवाह (जिसके नाम से F.I.R. लिखी है) ने भी माननीय सैशन कोर्ट में बयान देकर स्पष्ट किया है कि पुलिस ने मेरे से दस्तखत करवाए थे। मुझे इस घटना के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है।

★ F.S.L. Report से भी स्पष्ट है कि आश्रम से बरामद हथियारों से चली गोली से किसी की मृत्यु नहीं हुई।

★ पुलिस की गोलियों से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई तथा अन्य घायल हुए। जिनको सरकार ने सहायता के रूप में रूपये भी दिए तथा मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी गई। इससे स्पष्ट है कि मृतक की मृत्यु तथा जो घायल हुए थे वे सभी पुलिस द्वारा चलाई गई गोलियों से हुए थे। तभी तो सरकार ने सहायता राशि दी है। इनकी हत्या व जख्मी होने का झूठा मुकदमा हमारे गुरूजी तथा भक्तों के ऊपर बनाया गया है। इन सब प्रमाणों से स्पष्ट है कि यह झूठा मुकदमा है। अतः आप जी से प्रार्थना है कि इस केस को खत्म कर दो ताकि हमें न्याय मिल सके, आपकी कृपा होगी। तो माननीय सैशन जज साहब श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने कहा मैंने मुकदमा नं. 198/2006 की सारी फाईल देख ली है। आपका काम हो जाऐगा। लेकिन आपको कुछ खर्च करना पड़ेगा। हमने कहा कि जज साहब क्या खर्च

करना पड़ेगा। माननीय जज साहेब ने कहा 30 लाख रूपये लगेंगे, हमने कहा जज साहब हम पैसे नहीं दे सकते, तो माननीय जज साहेब बोले इस केस में आपको इससे भी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मेरे पास स्वयं संज्ञान (Suo motu) रूपी दोधारी तलवार है। मैं केश के तथ्यों के आधार से (जो तुमने बताए हैं, मैंने देख लिए हैं) आपके साथियों को बरी कर सकता हूँ, चाहे सब झूठे गवाह भी तुम्हारे खिलाफ गवाही देदें। यह तो मुझे भी पता है, यह झूठा मुकदमा है। मैं चाहूं तो इन्हीं झूठे गवाहों के आधार से सब कथित दोषियों की सजा भी कर सकता हूँ। आप सोच लेना अभी तुम्हारे पास वक्त है। हम जज साहेब को कहने लगे जज साहब हमारे सारे भक्त जो इस मुकदमें में हैं, सभी गरीब व्यक्ति हैं। तो माननीय जज साहब कहने लगे विजय की अब मैं जमानत नहीं लूंगा और आगे इस केस में जो भी गैरहाजिर होगा उसको जेल में ही रखूंगा। मैं ऐसा आदेश कर दूँगा, तुम्हें लेने के देने पड़ जाऐंगे। यह सुनकर हम हैरान रह गए तथा वहां से चले आये।

जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने इस बात को अपने आदेश दिनांक 5-4-2014 में भी सिद्ध कर दिया है, जिसमें दो जमानतियों पर 1-1 लाख का गलत जुर्माना किया है। जिसमें लिखा है कि मैं (जज साहब) नहीं चाहता कि विजय के जमानतियों के साथ नरम रवैया करूं। इसलिए 1-1 लाख जुर्माना करता हूँ। इस आदेश से स्पष्ट है कि जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी के लिए कानून कोई मायने नहीं रखता, केवल अपनी मनमानी ही करता है। यदि यह चाहते तो नरम रवैया अपनाकर जमानतियों पर जुर्माना नहीं करते। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जज महोदय कानून की अहमियत नहीं मानते। यह भी प्रमाणित हुआ कि जज महोदय जिसको चाहें नरम रवैया करके बरी करते हैं। जिसको चाहें नरम रवैया न करके सजा करते हैं।

यह सारी बातें हमने विजय को झज्जर जेल से दिनांक 15-03-2014 को जमानत होने पर बताई। जो दिनांक 6-03-2014 से 15-03-2014 तक झज्जर जेल में अन्य केस में था। यह बात सुनकर विजय ज्यादा तनाव में आ गया जिसको 30-03-2014 को पागल वार्ड P.G.I.MS. रोहतक में दाखिल करवाना पड़ा। उसने कई बार आत्महत्या करने की कोशिश की तथा इसी तनाव के कारण वह P.G.I.M.S. रोहतक से दिनांक 31-3-2014 को पता नहीं कहाँ चला गया जिसको जमानती तथा घरवाले तलाश कर रहे हैं। अगर उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेवार माननीय सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता होगा।

यह सभी बातें हमने समाज सेवा समिति के मुख्य सदस्यों को बताई। पूरे भारत वर्ष में समाज सेवा समिति के लगभग 10 लाख सदस्य है। उनको भी

संदेश भिजवा दिया है इसके बाद समाज सेवा समिती के सदस्यों ने निर्णय लिया, कि माननीय सैशन जज रोहतक श्री सुशील कुमार की शिकायत माननीय मुख्य न्यायधीश पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट को करो तथा हम भी आपका सहयोग करेंगे। यदि इस माननीय भ्रष्ट अत्याचारी जज पर उचित कार्यवाही नहीं हुई तो समाज सेवा समिति पूरे देश में संवैधानिक तरीके से आन्दोलन करने को मजबूर होगी।

उपरोक्त तथ्यों को आधार मान कर माननीय जज महोदय को अपनी पावर का सदुपयोग करके केस को समाप्त करना चाहिए था। इसके विपरीत इसकी मनोकामना पूर्ण न होने के कारण अपनी शक्ति का दुरूपयोग करके विजय के दोनों जमानतियों को उचित समय दिए बिना ही एक-एक लाख रूपये का जुर्माना डाल दिया जिसका विवरण निम्न लिखा है :-

इस मुकदमें की अगली तारीख माननीय जज साहेब ने 31-03-2014 लगाई थी।

दिनांक 10-03-2014 को इस केस में भक्त विजय निवासी सिंहपुरा, किसी अन्य मुकदमे में जेल झज्जर में बन्द होने के कारण तारीख पर नहीं पहुंच पाया था। माननीय जज साहेब ने विजय को Non-Bailable वारंट कर दिये और इसके जमानती शिवमंगल को 31-03-2014 के लिए नोटिस भेज दिया। जो 31-03-2014 को शिवमंगल कोर्ट में पहुंच गया और माननीय जज साहेब से विजय को लाने के लिए समय मांगा था। जिस पर माननीय जज साहब ने जमानती को केवल 4 दिन का समय दिया और दूसरे जमानती सुरेन्द्र निवासी मोखरा को 5-04-2014 को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस भेज दिया। जो सुरेन्द्र 5-04-2014 को कोर्ट में पेश हुआ और विजय को पेश करने के लिए समय मांगा। लेकिन माननीय जज साहब अपनी 30 लाख रूपये की मंशा पूरी ना होने के कारण क्रूर व्यवहार पर उतर आया और दोनों जमानतियों पर अपने आदेश दिनांक 5-4-2014 के तहत 1-1 लाख जुर्माना लगा दिया। (जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है) शिवमंगल जमानती को 4 दिन का समय दिया तथा सुरेन्द्र जमानती को माननीय विद्वान जज साहेब ने एक दिन का भी समय नहीं दिया। जो जमानती अपने बच्चों का पालन-पोषण मजदूरी करके करते हैं। इस निर्दयी माया के भूखे माननीय जज ने यह नहीं सोचा कि इन गरीबों का क्या होगा? इस झूठे मुकदमें में 38 को मुजरिम बना रखा है। विशेष मजबूरी में ही कोई एक हाजिर नहीं हो पाता। जान बूझकर गैर हाजिर कोई नहीं होता। मजबूरी तथा बीमारी तो माननीय जज साहब को भी हो सकती है। क्या माननीय जज बीमार नहीं होते? मजबूरी तो सबके साथ हो सकती है। जैसे यह जुर्माना लगाने का

आदेश करके माननीय विद्वान जज साहब उसी दिन सुबह 11:00 बजे ही छुट्टी चले गये। इससे स्पष्ट है कि माननीय जज साहब 5-04-2014 को केवल इर्षावश क्रूर आदेश पारित करने आए थे। क्योंकि इसको 30 लाख नहीं मिले। जज साहेब ने मलीन नीयत (Malafied Intention) के आधार से अपने आदेश दिनांक 04-03-2014 में (जिसकी सत्यापित प्रति दिनांक 16-04-2014 को प्राप्त की है जो संलग्न है) झूठा आरोप लगाया है कि 04-03-2014 को भी एक आरोपी अनुपस्थित था। जबकि 04-03-2014 को हमारी कोई तारीख नहीं थी। इस आदेश से जज साहब की मनसा स्पष्ट है कि यह कितना अन्याय कर सकता है।

दिनांक 22-04-2014 को दोनों जमानतियों (शिव मंगल तथा सुरेन्द्र) ने जज साहब की कोर्ट में अर्जी लगाई जिसमें बताया गया कि 10-03-2014 को विजय झज्जर जेल में बंद था तथा 31-03-2014 को P.G.I.M.S. रोहतक में दाखिल था। उसको मानसिक परेशानी है। जिस कारण से वह कहीं चला गया है। हमारे को कुछ समय दो, हम खोज कर लाऐंगे। परन्तु जज महोदय की मनोकामना पूर्ण न होने के कारण एक न सुनी और कहा कि मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। यह कह कर 23-04-2014 को सुनवाई करके कहा कि मैं कोई रहम नहीं करूंगा, जुर्माना भरो।

इस से स्पष्ट है कि माननीय जज महोदय कितने खफा हैं लालचवश इतने अंधे हो गये हैं कि कानून को भी भूल गये। माननीय जज महोदय कानून से ऊपर नहीं हैं। कानून माननीय जज साहब के लिए भी है। इस माननीय जज ने अपनी स्वार्थ पूर्ति न होने के कारण कानून का उल्लंघन किया है। माननीय जज साहेब ने तो इन दोनों जमानतीयों को विजय को ढूढ़ंकर लाने के लिए कम से कम एक महीने का समय देना चाहिए था। क्योंकि विजय दिमागी परेशानी के कारण P.G.I.M.S. रोहतक में दाखिल था और दिनांक 31-03-2014 को वह मानसिक परेशानी के कारण उपचार के दौरान P.G.I.M.S. रोहतक से न जाने कहाँ चला गया, जमानती तथा घरवाले उसको तलाश कर रहे हैं। पागल व्यक्ति को ढूढ़ंना इतना आसान नहीं होता। जमानती शिवमंगल ने माननीय जज साहब को वह P.G.I.M.S. का कार्ड भी दिया जिसमें उसको हस्पताल में भर्ती दिखाया गया है परन्तु माननीय जज महोदय ने एक नहीं सुनी। माननीय जज साहब को 30 लाख ना मिलने के कारण उन्हें इतना भी रहम नहीं आया कि विजय मानसिक रूप से परेशान है, जो इस झूठे मुकदमें में फसाये जाने के कारण पागल हो चुका है। जिसका जीवन बरबाद हो चुका है। फिर भी उस पर घोर अत्याचार करते हुए व उसके जमानतियों की न सुनते हुऐ, बिना उचित समय दिए ही अपनी

पावर का दुरूपयोग करके उसके जमानतीयों पर भी 1-1 लाख रूपये का जुर्माना लगा दिया। इससे भी माननीय जज श्री सुशील कुमार गुप्ता की मलीन नीयत स्पष्ट होती है। दोनों जमानती, यह 2 लाख रूपये विजय से ही मांगेंगे व पहले से झूठे मुकदमें में फंसाये जाने के कारण व माननीय सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता के द्वारा जमानत ना दिये जाने व जेल में ही रखने की धमकी के कारण पागल हो चुका विजय, इतने रूपये कहाँ से लाएगा। जिसकी शादी हुए अभी कुछ ही समय हुआ है। उसकी पत्नी व विजय का जीवन बरबाद हो चुका है और ऊपर से यह माननीय जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी अपनी मांग पूरी ना होने के कारण अत्याचार पर अत्याचार किए जा रहा है। माननीय जज महोदय ने स्पष्ट ही कर दिया है कि एक सप्ताह में सब गवाह कराके सजा करके केस को फारिग करूंगा। तो ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति से न्याय की क्या आशा की जा सकती है।

मानव को परमात्मा का अमर संदेश है कि :-

कबीर, गरीब को ना सताईये, जाकि मोटि हाय।
बिना जीव की श्वांस से लोह भस्म हो जाये।।

भावार्थ है कि ''जैसे पुराने समय में लोहार कारीगर अपने औजार बनाने के लिए लोहा गर्म करने के लिए पशु के चर्म की धौंकनी बनवाते थे। उस निर्जीव खाल से अग्नि पर हवा मारते थे। जैसे वर्तमान में पंखे का प्रयोग करते हैं। उस निर्जीव खाल से हवा निकलती थी तथा फिर हवा भरती थी। वह ऐसे हवा लेती और छोड़ती थी जैसे महादुःखी मनुष्य दुःख में आहें भरता है।

परमात्मा कबीर जी सर्तक करते हैं कि यदि कोई किसी प्रकार की भी शक्ति का दुरूपयोग करके गरीब (निर्बल-निर्धन) को परेशान करता है तो उस का सर्वनाश हो जाता है। जैसे बिना जीव की खाल से निकली श्वांस लोहे तक को भस्म (जलाकर नष्ट) कर देती है तो जीवित प्राणी से निकली हाय रूपी श्वांस (बद्दुवा) तेरा सर्वनाश कर देगी। अगले जन्म में वह व्यक्ति कुत्ता बनता है, सिर में कीड़े पड़ते हैं।

जज साहब सदा इस पद पर नहीं रहोगे। कुछ परमात्मा से भी डरो, नेक काम करो। यदि आप जी के हृदय के किसी कोने में दया, भगवान का डर तथा न्याय की नीयत शेष है तो इस मुकदमे को समाप्त कर क्योंकि यह झूठा मुकदमा है। यदि ऐसा करके पुण्य प्राप्त करना आपके भाग्य में नहीं है तो कानून को अनदेखा मत करो। यदि दुःखी जनता ने कानून को अनदेखा कर दिया तो क्या होगा? ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाले आप जैसे ही अधिकारी होते हैं जिन्होंने इस मुकदमे को गैर-कानूनी तरीके से बनाया तथा जिन जजों ने इसकी धाराऐं ठीक किए बिना चलाया है।

आज हम इसी स्थिति में आ चुके हैं यदि कोई हमारे को गैर-कानूनी तरीके से परेशान करेगा तो हम कानूनी तरीके से उसको सजा दिलाकर ही दम लेंगे।

समझदार को संकेत ही पर्याप्त होता है।

जैसा कि माननीय जज सुशील कुमार गुप्ता जी ने अपने आदेश दिनांक 5-4-2014 में 1-1 लाख रूपये का जुर्माना जमानतियों पर करते हुए कारण बताया है कि यह मुकदमा 2006 से विचाराधीन है। ये लोग जानबूझ कर गवाही वाले दिन अनुपस्थित हो जाते हैं। इसलिए इनके जमानतियों पर नम्र होना मैं उचित नहीं समझता। क्या माननीय जज महोदय का यह आदेश किसी तानाशाह से कम है? इसका मुख्य कारण है कि इसकी 30 लाख रूपये की मांग पूरी नहीं हुई।

इसी मुकदमें के सम्बंध में हमने कई पटिशन माननीय पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में सन् 2006 से ही डाल रखी हैं। किन्हीं कारणों से उनका फैसला आज तक नहीं हो पाया। हम तो माननीय जज साहेबानों को नहीं कहते कि वे जानबूझ कर देरी करते हैं। कार्य कानून के अन्तर्गत हो वही अच्छा रहता है।

माननीय रोहतक कोर्ट में एक साथी भक्त कृष्ण जी ने आचार्य बलदेव तथा सत्यवीर शास्त्री के खिलाफ सन् 2005 से इस्तगासा मुकदमा डाल रखा है। जिसमें केवल तीन गवाह हैं। उसका फैसला आज तक नहीं हुआ। हम तो इन माननीय जजों को भी नहीं कहते की ये जानबूझ कर देरी कर रहे हैं। कार्य तो कानून के अनुसार ही होना चाहिए। इन सभी कारणों से स्पष्ट है कि माननीय श्री सुशील कुमार गुप्ता जज अपनी Malafide Intention का शिकार है। इसके द्वारा किया गया गैर कानूनी आदेश दिनांक 5-04-2014 ही माननीय जज के दोष को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। हम सभी शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी को शपथ पत्र भी देंगे। इस माननीय भ्रष्ट जज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाए। इसको इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसको इस सम्मानीय पद से तुरंत बरखासत किया जाऐ ताकि जनता का न्यायालय के प्रति विश्वास कायम रह सके तथा गरीब जनता को न्याय मिल सके। आपकी अति कृपा होगी।

''सैशन जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी के भ्रष्टाचार के विषय में दूसरा शिकायत पत्र''

सेवा में,

माननीय मुख्यन्यायधीश,

पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट,

चण्डीगढ़।

विषय :- न्यायालय में हो रहे भ्रष्टाचार की जांच करके उचित कार्यवाही के लिए प्रार्थना पत्र।

(जज श्री सुशील कुमार गुप्ता सैशन जज रोहतक कोर्ट के भ्रष्टाचार से सम्बन्धित दूसरा शिकायत पत्र।)

श्रीमान् जी,

हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिती के 10 लाख सदस्य आप जी से प्रार्थना करते हैं कि न्यायालय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर रोकथाम की जाए। भ्रष्ट जजों के विरूद्ध दी गई, शिकायतों की जांच करके उचित कार्यवाही करने के लिए हमारा विनम्र अनुरोध स्वीकार करें।

रोहतक जिला कोर्ट के सैशन जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी के भ्रष्टाचार की शिकायत हमने 24 अप्रैल 2014 को आपके पास भेजी थी। जिसमें बताया गया है कि श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने हमारे से 30 लाख रूपये की मांग की, मांग पूरी न होने के कारण जो अन्याय किया उसका विस्तृत विवरण लिखा है। परन्तु पता गलत (Wrong Address) लिखा जाने के कारण कई दिनों के पश्चात् वह पत्र हमें वापिस प्राप्त हुआ। इसी कारण से इस माननीय भ्रष्ट जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी (सैशन जज रोहतक) की जांच शुरू नहीं हो पाई जिसका हमें इन्तजार था। वह पत्र पुनः पता (Address) ठीक करके आप जी के पास उचित कार्यवाही के लिए भेज दिया है। आशा है कि न्यायालय की गरिमा बनाए रखने तथा जनता का विश्वास न्यायालय के प्रति बरकार रखने के लिए आप जी अवश्य कड़े कदम उठाऐंगे।

30 लाख रूपये की मांग पूरी न होने के कारण सैशन जज श्री सुशील कुमार जी का दमन चक्र बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे सतगुरु रामपाल दास जी के लगभग 15 लाख अनुयाई हैं। जब गुरूदेव जी झूठे मुकदमें के कारण कोर्ट में पेशी पर जाते हैं तो लाखों श्रद्धालु मना करने के पश्चात् भी श्रद्धावश, दर्शनार्थ कोर्ट के आस-पास इक्ट्ठे हो जाते हैं। उनके साथ आर्य समाज के लोग झगड़ा करते हैं, श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करते हैं जिससे Law and order की परेशानी आती है। जिस कारण से सन्त

रामपाल जी महाराज की हाजरी माफी की अर्जी न्यायालय में लगाई जाती है। हालात को मध्य नजर रखते हुए, जो न्यायालय के द्वारा मंजूर कर दी जाती है।

जब भी संत रामपाल जी महाराज की पेशी होती है उसी दौरान आर्यसमाज के व्यक्तियों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में दूर दराज से आऐ हुए उनके अनुयायियों की पिटाई की जाती है तथा केस भी अनुयाईयों पर ही किया जाता है।

(कृप्या देखें पुलिस की मौजूदगी में अनुयाईयों के साथ मारपीट की फोटो, जागरण सिटी 16 जून 2007)

युवक की पिटाई करते ग्रामीण।

कोर्ट परिसर के बाहर पिटाई के बाद लहू-लुहान हुआ युवक

हरिभूमि रोहतक, मंगलवार 1 अगस्त, 2006

रामपाल के अनुयायियों को धुना

पेशी के दौरान हुआ हंगामा ● कई भक्त जूते छोड़कर भागे ● पुलिस बनी रही मूकदर्शक

फिर हुई रामपाल के समर्थक की धुनाई

अदालत में रामपाल को देखने आए आला उसके समर्थक को उस समय महंगा पड़ा गया, जब रामपाल के विरोधियों ने कोर्ट परिसर के बाहर उसकी जमकर धुनाई कर दी। मौके पर पुलिस पुलिस जवान तमाशा देखते रहे। इतना ही नहीं जब रामपाल को पुलिस पेशी के बाद लेकर जा रही थी तो कोर्ट परिसर के बाहर विरोधी नारे लगा रहे थे। पुलिस मूकदर्शक बनी रही।

माननीय भ्रष्ट जज श्री सुशील कुमार जी ने अपने आदेश दिनांक 12-2-2014 में स्थाई हाजरी माफी कर दी थी क्योंकि जज साहेब को 30 लाख रूपये मिलने की उम्मीद थी। आदेश दिनांक 12-02-2014 की प्रति संलग्न है।

30 लाख रूपये की मांग पूरी न होने के कारण माननीय भ्रष्ट जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी ने अपने आदेश दिनांक 12-02-2014 को बिना किसी ठोस कारण के दिनांक 06-06-2014 को निरस्त कर दिया। जबकि जिस आधार से दिनांक 12-02-2014 को संत रामपाल जी महाराज की हाजरी माफी के आदेश पारित किये गए थे। आज भी कानून व्यवस्था की वही यथास्थिति बनी हुई है। इस कारण से जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी द्वारा अपने ही आदेश को फिर से निरस्त करने का कोई भी न्यायोचित कारण नहीं बनता है। आज तक संत रामपाल जी महाराज की वजह से कभी भी कोर्ट के कार्य में कोई बाधा नहीं पहुंची है जिसका प्रमाण कोर्ट का रिकॉर्ड स्वयं प्रमाणित है। पहले भी कानून व्यवस्था की वजह से संत रामपाल जी महाराज की हाजरी माफी होती रही है तथा कोर्ट की कार्यवाही भी सुचारू रूप से चलती रही है। लेकिन माननीय भ्रष्ट जज श्री सुशील कुमार गुप्ता द्वारा संत रामपाल जी महाराज की हाजरी माफी को बिना किसी कारण से कैंसल करना जज महोदय की दूषित मानसिकता को दर्शाता है जबकि हमारे गुरु जी की ओर से शपथ पत्र दिया गया है कि मेरी अनुपस्थिती में कोर्ट की कोई भी कार्यवाही आप कर सकते हैं, गवाही भी ले सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। मेरी Identity पर भी कोई एतराज नहीं है।

जज श्री सुशील कुमार ने जल-भुन कर दिनांक 06-06-2014 को आदेश पारित किया है कि 14-7-2014 को संत रामपाल जी महाराज कोर्ट में हाजिर हो। प्रथम कारण बताया है कि यह मुकदमा 8 वर्ष पुराना है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने करोड़ों रूपये का चारा घोटाला किया था। 17 वर्ष में फैसला किया गया। जहां भ्रष्ट जजों का स्वार्थ पूरा होता है तो मुकदमा पुराना नहीं, जहां स्वार्थ पूरा नहीं होता तो मुकदमा पुराना है। इसके पीछे 30 लाख रूपये न मिलने का कारण है। हमारे ऊपर तो झूठा मुकदमा है। जिस व्यक्ति के नाम से FIR No. 198/2006 दर्ज की गई थी। उसने न्यायालय में अपने ब्यान में स्पष्ट कर दिया है कि मुझे इस विषय में कुछ पता नहीं। पुलिस ने मेरे केवल दस्तखत कराए थे। मुकदमे का आधार F.I.R. होती है। वह मुद्दई मुकदमा के ब्यान से खत्म हो गई है तो मुकदमा किस आधार से चलाया जा रहा है? इससे स्पष्ट है कि यह मुकदमा हमारे भक्त-भाईयों पर झूठा बनाया गया है। इसे खत्म किया जाना चाहिए। यह स्पष्ट अन्याय है। F.S.L. की जांच स्पष्ट करती है कि आश्रम के हथियारों से मृतक की मृत्यु

नहीं हुई। हम आश्रम में सत्संग सुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। आश्रम पर आक्रमण हुआ। हमारे ऊपर गलत धारा 148-149 लगाकर 302 का मुकदमा बनाया गया। यदि इस जज की नीयत साफ है तो धारा 148-149 को समाप्त करे, तब केस चलाए। हम फिर भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। इस मुकदमे में 38 व्यक्तियों को दोषी बनाया गया है। किसी मजबूरी के कारण कोई अनुपस्थित होता है तो अन्य का क्या दोष है?

दूसरा कारण गलत बताया है, वास्तविकता को छुपाया है। यह कारण नहीं बताया कि आर्यसमाज के लोग संत रामपाल जी तथा उसके अनुयाइयों के साथ झगड़ा करते हैं जिससे कानून व्यवस्था खराब होती है जो जज श्री सुशील गुप्ता जी ने आदेश 12-02-2014 में आधार माना था। इस से सिद्ध है कि यह शख्स न्यायकारी नहीं कोरा झूठा तथा भ्रष्ट है।

आश्चर्य की बात है कि 14-07-2014 को कोर्ट में कोई गवाही नहीं है, फिर भी हाजरी माफी कैंसल कर दी!

यह जज की बुरी नीयत (Malafide Intention) का जीवित प्रमाण है। इससे स्पष्ट है कि 30 लाख रूपये सैशन जज सुशील कुमार जी को स्वप्न में भी नजर आ रहे हैं।

आप जी से प्रार्थना है कि यदि उस दिन संत रामपाल जी महाराज व उनके अनुयाईयों के साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो उसके लिए सैशन जज रोहतक श्री सुशील कुमार गुप्ता जी पूर्ण रूप से जिम्मेवार होगा।

दिनांक 6-6-2014 को माननीय भ्रष्ट जज श्री सुशील कुमार गुप्ता जी (सैशन जज रोहतक) ने ओपन कोर्ट में कहा है कि जजों की शिकायतें होती रहती है। उनको हाई कोर्ट में एक तरफ रख दिया जाता है, जजों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती। जज श्री सुशील गुप्ता जी की बुद्धि पर भ्रष्टाचार का इतना प्रभाव है, जिस कारण से इसने यह विचार व्यक्त किया। हम मानते है कि हाई कोर्ट में अवश्य कार्यवाही होती है। हमने देखा है कि शिकायत के आधार से कई जजों को समय से पहले पद मुक्त कर दिया गया है। परन्तु ऐसे व्यक्तियों के लिए यह सजा पर्याप्त नहीं है, उनके लिए जेल का प्रावधान होना चाहिए।

आप जी से पुनः निवेदन है कि इस माननीय भ्रष्ट जज की शीघ्र जांच करके उचित कार्यवाही करके बरखास्त किया जाए। इस जज से हमारा विश्वास उठ गया है। यह न्याय नहीं कर सकता। आप जी की अति कृपा होगी।

भक्त विजय जिसका विवाह कुछ समय पूर्व हुआ था। वह इस जज सुशील गुप्ता जी के क्रूर व्यवहार से मानसिक संतुलन खो बैठा। फिर इस

जज महोदय ने विजय के दो जमानतियों पर उचित समय दिए बिना ही (एक जमानती को केवल 5 दिन तथा दूसरे को कोई समय नहीं दिया) एक-एक लाख रूपये जुर्माना कर दिया। जमानतियों ने तो पैसा विजय से लेना है। यह सुनकर उसको और भी आघात पहुंचा जिस कारण से अजीबोगरीब गतिविधि करने लगा। कई बार पंखे से रस्सी डालकर आत्महत्या की कोशिश की। फिर उसको **P.G.I.M.S.** रोहतक में पागल वार्ड में दिखाया गया। जहां से वह अचानक गायब हो गया। घर वाले तथा रिश्तेदार खोज रहे हैं तथा बेहद परेशान हैं। इस भ्रष्ट मायालोभी जज ने जवान बच्चे का जीवन बर्बाद कर दिया। यदि विजय को कुछ हो गया तो यह सुशील कुमार जज जिम्मेदार होगा।

★ जज महोदय ने अपने आदेश दिनांक **06-06-2014** में यह भी लिखा है कि संत रामपाल एक आश्रम चलाता है। इस के लिखने के पीछे जज महोदय का क्या उद्देश्य है? स्पष्ट है कि इसके दिमाग में यह भरा है कि आश्रम वालों के पास बहुत धन होता है।

★ जज महोदय का यह कहना कि ये उसी दिन जानबूझ कर एक को गैर-हाजिर करते हैं जिस दिन गवाही होती है, सरासर गलत है क्योंकि दिनांक **21-05-2014** को किसी विशेष कारण से विनय अनुपस्थित हो गया था। **21-05-2014** को कोई गवाही नहीं थी, मजबूरी किसी को भी हो सकती है। **38** व्यक्ति हैं, **10** या **15** दिन की तारीखें लगाई जा रही हैं। कोई कहीं से आता है, कोई कहीं से। इस से स्पष्ट है कि जज महोदय जानबूझ कर सत्य छुपा कर झूठ का आश्रय ले रहा है।

कोर्ट का रिकॉर्ड गवाह है कि कई बार केस के सर्व भक्त उपस्थित हुए हैं, गवाह एक भी नहीं आया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्वसिद्ध है कि यह जज सत्य पसंद नहीं करता।

इस माननीय भ्रष्ट जज का आगे जो अन्याय का दमन चक्र चलेगा, उसकी जानकारी समय-2 पर आप जी को देते रहेंगे ताकि गरीब जनता को न्याय मिल सके और न्यायालय की गरिमा बनी रहे तथा देश की आजादी की मर्यादा कायम रह सके। हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब न्याय के मंदिर में बैठा भगवान का छोटा रूप (माननीय जज) ऐसी घिनौनी हरकत करके पूरी न्यायपालिका को कलंकित कर रहा है।

देश के सर्वोच्च न्यायालय का भी मानना है कि सैशन कोर्ट तक निचली अदालतों में 80% जज भ्रष्ट हैं। प्रमाण :-

दैनिक भास्कर हिसार . बुधवार, 11 मई 2011

शीर्ष कोर्ट की तल्ख टिप्पणी

निचली अदालतों के सभी भ्रष्ट लोगों को बाहर फेंको

डीएनए नेटवर्क/एजेंसी | नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधीनस्थ न्यायपालिका के भ्रष्ट सदस्यों को बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। कोर्ट ने अपने आदेश को नकारने वाली दिल्ली की एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) अर्चना सिन्हा को लताड़ लगाते हुए मंगलवार को यह बात कही। कोर्ट ने कहा कि एडीजे खुद को 'सुपर सुप्रीम कोर्ट' मान रही हैं।

जस्टिस मारकंडेय काटजु और जस्टिस ज्ञानसुधा मिश्रा की बेंच ने कहा, 'आप सुप्रीम कोर्ट को मजाक में नहीं ले सकते। लोग जजों को संदेह की नजर से देखते हैं। कहा जाता है कि अधीनस्थ न्यायपालिका के 80 प्रतिशत सदस्य भ्रष्ट हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। हमारे सिर शर्म से झुक गए हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2010 को अपने आदेश में किरायेदार उधमसिंह जैन चैरिटेबल ट्रस्ट, मध्य दिल्ली की याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद भी दिल्ली की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अर्चना सिन्हा ने किरायेदार को बाहर करने की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इस पर नाराज बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट को अर्चना सिन्हा के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है।

बेंच ने कहा, 'अर्चना सिन्हा को कोई अधिकार नहीं है कि वह हमारे आदेश को नकार दे और खुद को 'सुपर सुप्रीम कोर्ट' साबित करें।'

निचली अदालतें 80% तक भ्रष्ट

जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा | जस्टिस मार्कंडेय काटजु

जस्टिस मार्कंडेय काटजु और जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा ने कहा- निचली अदालतें 80 फीसदी तक भ्रष्ट हैं। अतिरिक्त न्यायाधीश अर्चना सिन्हा को सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने या खारिज करने का अधिकार नहीं है। फिर भी उन्होंने ऐसा किया। इससे लगता है कि वे सुपर सुप्रीम कोर्ट हो गई हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा- अर्चना को जेल भी भेजा जा सकता है और आपको सस्पेंड भी किया जा सकता है।

यह कहने को विवश होना पड़ रहा है कि अधीनस्थ न्यायपालिका का एक हिस्सा बाहरी फायदों के चलते आदेश पारित कर भारत की पूरी न्यायपालिका की ख्याति को धूमिल कर रहा है। जस्टिस काटजु ने अपने फैसले में लिखा, 'हम उन आरोपों पर कुछ नहीं कहना चाहते जिनमें अधीनस्थ न्यायपालिका क्या कर रही है, यह बताया जाता है। लेकिन हम यह जरूर कहना चाहते हैं कि इस तरह का कदाचार पूरी तरह से खत्म होना चाहिए।

हिसार, 4 दिसंबर 2010 दैनिक जागरण | 11

'सिर्फ 106 परिवारों से हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश'

पटना, जासं: 'दुनिया में कहीं भी हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति इस प्रकार से नहीं होती, जैसे भारत में होती है। इस मामले में परिवारवाद या इसका स्वरूप हावी रहा है। यानी जिनकी पुरानी पीढ़ियां जज होतीं हैं, वही हाईकोर्ट के जज हो सकते हैं। देश में केवल 106 परिवारों से ही हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं।' यह बात बिहार के पूर्व मंत्री व वरिष्ठ अधिवक्ता शकील अहमद खान ने शुक्रवार को 'लायर्स डे' पर आयोजित संगोष्ठी में कही। संगोष्ठी का आयोजन इंडियन एसोसिएशन ऑफ लायर्स की बिहार शाखा के तत्वावधान में किया गया था। शकील ने कहा कि न्यायपालिका में पारदर्शिता, स्वतंत्रता व निर्भीकता दिखाई पड़नी चाहिए। उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों पर उठाए गए सवालों की भी चर्चा की।

2 | दैनिक जागरण हिसार, 11 दिसंबर 2010

मालूम है-हाईकोर्ट में कौन भ्रष्ट है

नई दिल्ली, प्रेट्र : सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट पर की गई टिप्पणी को अपने आदेश से हटाने से इनकार कर दिया है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। हालांकि हाईकोर्ट में ईमानदार जज भी है और उनकी निष्ठा तथा कड़ी मेहनत के कारण ही इस अदालत का सम्मान बना हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति मार्कंडेय काटजू और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की पीठ ने शुक्रवार को हाईकोर्ट की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सभी जजों पर लांछन नहीं लगाया गया है। आदेश में सिर्फ इतना कहा गया है कि कुछ जजों के बारे में शिकायत मिली है कि वे अपने रिश्तेदार वकीलों के मामले में उनके मनमाफिक फैसला करते है। 26 नवंबर के अपने आदेश का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा कि इसे फिर से पढ़ा जाना चाहिए। पीठ ने हाईकोर्ट के वकील पीपी राव की इस दलील को खारिज कर दिया कि कुछ जजों को ईमानदार बताने के बावजूद अदालत की निष्ठा पर संदेह बना रहेगा। जब राव ने सुप्रीम कोर्ट के स्पष्टीकरण को बार-बार अपर्याप्त ठहराने की कोशिश की तो न्यायमूर्ति काटजू ने कहा, 'लोग जानते है कि कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार। इसलिए मुझे यह सब मत बताइए।

कल को अगर मार्कंडेय काटजू रिश्वत लेना शुरू कर दें तो पूरा देश जान जाएगा। मुझे मत बताइए कि कौन भ्रष्ट है और कौन ईमानदार'। हाईकोर्ट के वकील की दलील थी कि कुछ जजों को ईमानदार बताने के बावजूद देहाती लोग उनमें और भ्रष्ट जजों में फर्क नहीं कर पाएंगे। इस पर पीठ ने कहा कि देहाती के बारे में बताने की जरूरत नहीं है।

वे ज्यादा जानकार है। यह मत समझिए कि भारत के लोग मूर्ख है। गौरतलब है कि 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के कई जजों की ईमानदारी पर सवाल उठाते हुए कहा था कि वहां सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। सर्वोच्च अदालत ने हाईकोर्ट पर यह टिप्पणी उत्तर प्रदेश के बहराइच के एक सर्कस मालिक के मामले में सुनवाई करते हुए की थी। हाईकोर्ट ने बहराइच के वक्फ बोर्ड को मेले के लिए सर्कस मालिक को बोर्ड की जमीन मुहैया कराने का आदेश दिया था। इसके खिलाफ वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

रुख पर कायम

- सभी जजों को भ्रष्ट नहीं कहा, ईमानदार जजों के कारण ही कायम है सम्मान

''जज सविता कुमारी का अन्याय तथा भ्रष्टाचार''

दिनांक 25-03-2014 को जज सविता कुमारी जी ने 10 लाख रूपये में मुकदमा नं. 192/2006 P.S. सदर रोहतक को हमारे हक में करने के लिए कहा था। हमने उनको रिश्वत नहीं दी। उसके पश्चात् इस भ्रष्ट जज सविता कुमारी जी ने छोटी-छोटी तारीख लगानी प्रारम्भ कर दी ताकि हमको परेशान करके अपना प्रतिशोध निकाल सके। जैसे दिनांक 26-04-2014 के पश्चात् 02-05-2014 (7 दिन की), 08-05-2014 (6 दिन की), 19-05-2014 (12 दिन की), 24-05-2014 (5 दिन की), 31-05-2014 (7 दिन की) जून में कोर्ट की छुट्टियां थी। दिनांक 3-07-2014 के पश्चात् 09-07-2014 (6 दिन की), 17-07-2014 (8 दिन की), 25-07-2014 (8 दिन की)। इस प्रकार मई तथा जुलाई दो महीनों में 9 तारीख इस भ्रष्ट जज ने लगा दी जिसमें 19 भक्तों को फंसाया गया है। वे न तो घर का कार्य कर पाते हैं, न मजदूरी पर जा पाते हैं। ये भ्रष्ट जज जल्लाद की भूमिका कर रहे हैं। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें यह शिकायत पत्र जो पहले भेजा जा चुका है जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

जज सविता कुमारी के भ्रष्टाचार की शिकायत की गई जो इस प्रकार है :-

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायाधीश
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट
चण्डीगढ़।

विषयः- जज श्रीमति सविता कुमारी JMIC रोहतक के भ्रष्टाचार की जांच करके उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतू प्रार्थना पत्र।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लगभग दस लाख सदस्य आप से निवेदन करते हैं कि उपरोक्त जज की जांच करके सख्त कार्यवाही करने की प्रार्थना करते हैं।

हम मानते हैं कि अधिकतर जज कानून का पालन करने वाले हैं, न्यायप्रिय हैं। हम जज को परमात्मा का छोटा रूप मानते हैं। जिसकी कलम में एक व्यक्ति की जीवन-मृत्यु का फैसला होता है। ऐसे माननीय तथा सम्माननीय पद पर विराजमान व्यक्ति अपने स्वार्थवश अन्याय करता है। गरीब जनता को न्याय नहीं देता है। वह न्यायालय की छवि को खराब करता

है। उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मामला यह कि हमारे कुछ सदस्यों पर मुकदमा नं. 192 Dt. 18-09-2006 PS Sadar Rohtak माननीय जज सविता जी की कोर्ट में विचाराधीन है।

केस नं. 178 Dt. 09-12-2005 इस्तगासा आश्रम के ट्रस्टी डॉ. कृष्ण जी ने आश्रम की मानहानि का सत्यवीर शास्त्री पर डाल रखा था तथा केस नं. 176 Dt. 06-03-2006 आचार्य बलदेव के खिलाफ था जो माननीय जज सविता जी की कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। जिसमें माननीय जज सविता जी ने हमारे विरोधियों से रूपये लेकर उनके पक्ष में फैसला कर दिया।

दिनांक 02 मई 2014 को इस्तगासा केस नं. 178 Dt. 09-12-2005 तथा केस नं. 176 Dt. 06-03-2006 की तारीख थी। हमारे कुछ सदस्य भी ट्रस्टी कृष्ण के साथ कोर्ट में गए थे जो प्रत्येक पेशी पर जाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि :-

दिनांक 2 मई 2014 को इस्तगासा केस नं. 178 Dt. 09-12-005 तथा केस नं. 176 Dt. 06-03-2006 की पेशी थी। उस दिन माननीय जज सविता जी छुट्टी पर थी। दोषी आचार्य बलदेव पहले से अनुपस्थित चल रहा था। 2 मई 2014 को आचार्य बलदेव कोर्ट में पेश हुआ। उसकी जमानत की अर्जी लगाई गई। जमानत की सुनवाई के लिए माननीय जज कीर्ति जैन जी की कोर्ट में लगी जो उस दिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट थी।

आचार्य बलदेव के साथ आर्यसमाज के कई व्यक्ति कोर्ट से बाहर एक वृक्ष के नीचे खड़े थे। एक व्यक्ति और आया जिसको पटवारी जी कह रहे थे। उसने पूछा आचार्य जी की जमानत का क्या रहा? दूसरे व्यक्तियों ने बताया कि जमानत हो जाएगी। हमें जज कीर्ति जैन का दलाल मिल गया है। हमें कल ही पता चला था कि जज सविता छुट्टी पर हैं। हमने जज कीर्ति जैन से पांच लाख रूपये में सैटिंग कर रखी है। हमारी सैशन जज सुशील कुमार गुप्ता से भी सैटिंग हो चुकी है।

हमारे तीन सदस्यों ने बताया कि हम अनजान से बनकर मुँह दूसरी ओर करके अखबार पढ़ने का बहाना करके उनकी सारी वार्ता सुन रहे थे जिनके नाम हैं 1. बिजेन्द्र निवासी गाँव-गांधरा 2. महेन्द्र निवासी-मादीपुर (दिल्ली) 3.ओमप्रकाश निवासी गाँव-गांधरा।

उसी व्यक्ति ने (जिसको पटवारी जी कह रहे थे) फिर पूछा कि जो मुकदमें रामपाल के चेलों ने कर रखे हैं जो सविता जज की कोर्ट में आचार्य बलदेव तथा सत्यबीर शास्त्री पर चल रहे हैं। इनकी क्या संभावना है? आर्य समाज के व्यक्तियों ने कहा कि सविता जज का भी दलाल मिल गया है, सब

सैटिंग हो गई है। दोनों मुकदमों में बरी हो जाऐंगे और रामपाल और उसके चेलों पर दो मुकदमे हैं एक आश्रम की जमीन का तथा दूसरा करौंथा काण्ड का इनमें इनकी सजा कराऐंगे। यह भी सैटिंग जजों से हो चुकी है।

वही हुआ जो सुना था :- **02-05-2014** को **Working** जज सविता कुमारी जी छुट्टी पर थी। दूसरी जज कीर्ति जैन ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहां जमानत लगी। जमानत मंजूर हो गई। हमारे भक्तों के ऊपर आर्य समाज के व्यक्तियों ने झूठा केस नं. **198/06 Date-12-07-2006** करौंथा काण्ड का चल रहा है और जो मुकदमा नं. **FIR No. 192 Dt. 18-09-2006 PS Sadar Rohtak** का है। यदि हमारे भक्त किसी कारण से किसी दिन अनुपस्थित हो जाते हैं तो उनके किसी प्रमाण को नहीं माना जाता। कई तो मानसिक रोग से ग्रस्त होकर बुरे हाल में जजों के सामने पेश किये गये। सब को जेल भेजा गया क्योंकि हम इन जजों को रूपये नहीं दे सकते।

वही हुआ जो सुना था :-

19 मई **2014** को माननीय भ्रष्ट जज सविता कुमारी जी ने दोनों दोषियों **1.** आचार्य बलदेव **2.** सत्यवीर शास्त्री को दोनों केसों में बरी कर दिया। जज ने बरी करने के आदेश में आधार बनाया है कि ''शिकायतकर्ता सिद्ध नहीं कर सका की समाचार पत्र में ब्यान दोषियों ने दिया था।

कृपया पढ़ें जज के उस आदेश के पृष्ठ 7 की फोटोकापी।

Krishan Singh v. Satbir Shastri

7

11. Thus, complainant having failed to prove the guilt of the accused beyond shadow of reasonable doubt, accused is hereby acquitted from the offences charged with. Bail bonds and surety bonds furnished stand extended for a further period of six months and in case no appeal is preferred after lapse of six months, same shall stand discharged. File be consigned to record room after due compliance.

Savita Kumari

Pronounced in Open Court.
Dated: 19.05.2014

(Savita Kumari)
Judicial Magistrate Ist Class
Rohtak.

जबकि दोषी सत्यवीर ने स्वयं न्यायालय में जवाबदावे में स्वीकारा है कि मैंने यह ब्यान समाचार पत्र में छपवाया था। इससे स्पष्ट है कि जज सविता

कुमारी ने दोषियों से रिश्वत लेकर बरी किया है। अधिक जानकारी इस प्रकार है :-

★ इन मुकदमों में दोषियों के विरूद्ध सब सबूत थे। समाचार पत्रों में प्रकाशित होने से यह स्व प्रमाणित है तथा हमारे तीन गवाह भी गवाही दे चुके थे।

★ सत्यवीर शास्त्री ने स्वयं स्वीकारा है कि मैंने यह स्टेटमैंट समाचार पत्रों में निकलवाई है। सत्यबीर ने न्यायालय में जवाब दावा दिया है। उसमें भी स्वीकारा है कि मैंने समाचार पत्र में यह ब्यान दिया था। मैंने ही समाचार पत्र छपवाया है। वह भी जज सविता जी को दिखाया गया। उसकी सत्यापित प्रति भी जज के माँगने पर दी गई। (जवाबदावा की प्रति संलग्न है)

कृपया पढ़ें जवाब दावे की फोटोकापी पृष्ठ 4 की जिसमें दोषी सत्यबीर ने स्वयं स्वीकारा है कि 24-11-2005 को यह समाचार दैनिक जागरण तथा भास्कर समाचार पत्रों में मैंने ही निकलवाया था। जब दोषी स्वयं स्वीकारता है कि मैंने अपराध किया है, फिर गवाह की क्या आवश्यकता है? इस भ्रष्ट जज ने मोटी रिश्वत लेकर यह फैसला दिया है।

public was legitimately interested and it affected the administration of justice. These were fair comments on a matter of public interest and the public in general was having directly or indirectly involved. The views of the defendant were ~~lawful~~ correct and relevant. The comments expressed in the news item were fair and were based upon news item dated 22.11.2005 and the FIR recorded in the case. The defendant believes those facts as true while issuing the press statement which was published on 24.11.2005. The defendant has a legal and vested right to comment on acts/deeds of public man which concern him.

★ जिस समय यह गलत समाचार छपा था। उसी समय हमारे ट्रस्ट के सदस्यों ने यह खण्डन भी किया था कि यह सर्व झूठ समाचार है। हमने भी

समाचार पत्र में निकलवाया था।

★ पुलिस ने अपनी जाँच में भी स्पष्ट किया है कि यह बलात्कार की घटना गाँव-बोहर के खेतों की है जो सतलोक आश्रम से लगभग 25 कि.मी. दूर है।

★ उसी समय इस सिलसिले में हमारा शिष्ट मंडल एस.पी. रोहतक से भी मिला था कि यह समाचार पत्र कैसे छपा है? यह सुनकर तत्कालीन एस.पी. भी आश्चर्य में पड़ गया, कहा कि हमारे सामने लड़की ने स्वयं बताया कि बोहर गाँव के खेतों में यह घटना घटी। बोहर गाँव के गणमान्य व्यक्तियों ने भी यही बताया कि यह घटना गाँव के निकट ही खेतों में हुई है। हमारे पास सब के ब्यान हैं।

आर्यसमाज के लोगों को हमारे आश्रम को बदनाम करने का कौन सा अधिकार है। जज महोदय सविता जी ने भी अपने लालच में कानून को अनदेखा करके उनके पक्ष में फैसला कर दिया।

★ जज सविता जी से प्रार्थना है कि इनका लाईसैंस बना दे कि ये किसी की मानहानि करें इनको कोई नहीं रोकेगा।

★ हमारे भक्तों ने 50000/- (पचास हजार रूपये) भी कोर्ट फीस भर कर मुकदमा डाला था। यदि यह मुकदमा झूठा होता तो क्या हमारे सिर में दर्द था कि हम 50000/- रूपये खर्चते तथा वकीलों की फीस भरते।

★ पुलिस ने जिस व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा बनाया उसमें स्पष्ट लिखा है कि बोहर गाँव के बाहर खेतों में एक मकान के खण्डहर में बलात्कार हुआ था।

★ मुकदमा नं. **FIR No. 192 Dt. 18-09-2006 PS Sadar Rohtak** का केस माननीय जज सविता जी की कोर्ट में विचाराधीन है।

उसी दिन दिनांक **19-05-2014** को इस केस की पेशी भी थी जिस दिन केस नं. **178 Dt. 09-12-2005** तथा केस नं. **176 Dt. 06-03-2006** में दोषियों को बरी कर दिया। उसी दिन मुकदमा नं. **192 Dt. 18-09-2006 PS Sadar Rohtak** की तारीख पेशी थी। एक गवाह जिसका नाम मेघराज पुलिस वाला आया हुआ था। उस के सामने जज सविता जी ने प्रत्येक नामजद मुकदमा के नाम-पिता का नाम से बुला कर अन्दर एक-एक करके कोर्ट में बुलाया। हमने प्रार्थना की कि गवाह के सामने एक-एक को बुलाया जा रहा है। उसको पहचान कराई जा रही है। जज सविता ने हमारी एक नहीं सुनी और सर्व नामजद मुकदमा के हमारे भक्तों को बुला-बुलाकर गवाह के सामने पहचान कराई गई।

इस से भी स्पष्ट है कि जज सविता जी लालच में अन्धी हो गई है। कानून की भी पालना नहीं कर रही है।

★ एक तारीख पर हमारा वकील किसी कारण से कोर्ट में पेशी पर उपस्थित नहीं हो सका। उस दिन केस नं. 178 Dt. 09-12-2005 तथा केस नं. 176 Dt. 06-03-2006 की पेशी थी। आवाज लगने पर एक भक्त ने जज सविता जी से प्रार्थना की कि ''जज साहब हमारा वकील नहीं आ सका है।

इस बात पर जज बहुत क्रोध में आकर बोली कि बुलाओ अपने वकील को नहीं तो मैं एक-तरफा फैसला कर दूंगी।

★ जो भक्त इस केस की पेशी पर पैरवी के लिए जाते हैं तथा जिन पर यह मुकदमा बना रखा है उनमें से चार व्यक्तियों ने 1. जगदीश निवासी-पंजाबखोड़ 2. बिजेन्द्र निवासी-गांधरा 3. महेन्द्र निवासी-मादीपुर (दिल्ली) 4. ओम प्रकाश निवासी-गांधरा ने दिनांक 25-03-2014 को जज सविता जी से प्रार्थना की कि यह मुकदमा जो रोड़ जाम का है। यह राजनीति के दबाव में झूठा बनाया गया है। हमने रोड़ जाम नहीं किया, रोड़ जाम तो आर्य समाजियों ने किया था। उन पर मुकदमा नहीं बनाया गया। हमारे सर्व भक्त निर्दोष हैं। कृपया इस मुकदमें से हमारा पीछा छुड़वाऐं। 2006 से सैंकड़ों पेशियों पर आए हैं। हम घर का कार्य भी नहीं कर सकते। हम बहुत दुःखी हो चुके हैं। जज ने कहा कि कुछ कोर्ट का खर्चा भरना पड़ेगा। मुकदमा जल्दी तथा तुम्हारे पक्ष में हो जाएगा। हमने कहा कि जी कितने रूपये खर्चा भरना पड़ेगा। उस समय जज सविता कुमारी कोर्ट में अकेली बैठी थी। उसने बताया कि 10 लाख रूपये कोर्ट फीस है। यह मुझे गुप्त देनी होगी। यदि ऐसा नहीं करोगे तो छोटी-छोटी तारीख लगने से आप घर के कार्य भी ठीक से नहीं कर पाओगे। जिस कारण से आप को अधिक हानि हो जाएगी। विचार कर लेना, आप 19 व्यक्ति हैं। पचास हजार रूपये ही एक के हिस्से आते हैं। मैं तो आप को सलाह दे रही हूँ। आप की इच्छा है जैसे करो, कर लेना। 10 लाख रूपये कोर्ट फीस सुनकर हमें आश्चर्य तो हुआ परन्तु कहा कि मैडम हम विचार करके बताऐंगे। हम निर्धन व्यक्ति हैं, 10 लाख रूपये कोर्ट फीस भरने में असमर्थ हैं। इसलिए हमने दोबारा जज से कोई बात नहीं की। उसके पश्चात् तो जज सविता का हमारे प्रति आक्रामक रवैया हो गया। छोटी-छोटी तारीख देने लगी। 25-03-2014 के पश्चात् 26-04-2014 (31 दिन की) इस दौरान एक नामजद मुकदमा अनुपस्थित चल रहा था। उसको P.O. करने के लिए 31 दिन की तारीख दी थी। यह इस जज की मजबूरी थी। इस के पश्चात् 02-05-2014 (8 दिन की), फिर 08-05-2014 (6 दिन की) फिर 19-05-2014 (11 दिन की), फिर 24-05-2014 (5 दिन की), फिर 31-05-2014 (7 दिन की)।

उन चारों भक्तों ने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मुख्य सदस्यों को बताया। जब वकीलों से पूछा गया तो हमारी हँसी करने लगे कि ऐसा कोई कानून नहीं बना है कि कोर्ट फीस भरो और बरी हो जाओ। यह तो जज की सीधा-2 रिश्वत की माँग है।

फिर हमने राष्ट्रीय समाज सेवा समिति की मिटिंग बुलाई तथा माननीय भ्रष्ट जज सविता जी की शिकायत उच्च अधिकारियों को करने का निर्णय लिया गया।

आप जी से नम्र निवेदन है कि भ्रष्ट जज की जांच करके कानूनी कार्यवाही की जाऐ।

आप जी की अति कृपा होगी और न्यायालय की गरिमा बनी रहेगी।

जांच अधिकारी को हमारे चारों भक्त शपथ पत्र भी देंगे। यदि भ्रष्ट जज पर कार्यवाही नहीं हुई तो हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व (10 लाख) सदस्य संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। जब तक इस भ्रष्ट जज को पद से मुक्त नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन करेंगे।

आप जी से पुनः निवेदन है कि इस माननीय भ्रष्ट जज सविता कुमारी जी को बरखास्त करके सख्त कार्यवाही की जाये। इस से हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। धन्यवाद।

प्रार्थी
राष्ट्रीय समाज सेवा समिति
के सर्व सदस्य

''जज अश्वनी कुमार ACJM का भ्रष्टाचार''

भ्रष्ट जज श्री अश्वनी कुमार ACJM कितना भ्रष्ट व्यक्ति है, इसकी आपको जानकारी देते हैं। हमारे सदस्यों के साथ जो अन्याय किया है, आप वह पत्र में नीचे लिखे शिकायत पत्र में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त इस भ्रष्ट जज द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ किए अन्याय भी हम इसी पत्र में लिख रहे हैं। परंतु इस भ्रष्ट जज पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।

1. रोहतक कोर्ट के सरकारी वकील (ADA) की झूठी हाजरी अपनी कोर्ट में दिखाकर जज अश्वनी कुमार जी ने रिश्वत लेकर गलत आदेश किया। जिसकी शिकायत सरकारी वकील श्री राममेहर (ADA) ने अपने अधिकारी DA (District Atorney) को की तथा DA ने सैशन जज रोहतक को दिनांक 17-07-2014 को की।

कृप्या पढ़ें इसी पत्र/पुस्तक के पृष्ठ 56-57 पर।

2. एक मुकदमा चल रहा था मुम्बई कोर्ट में, उसका स्टे दिया जज

अश्वनी कुमार जी ने रोहतक कोर्ट से। विचार करने योग्य है कि ये भ्रष्ट जज कितने निर्भय और अन्यायी हैं।

3. भ्रष्ट जज अश्वनी कुमार ACJM के अन्याय का कुचक्र बंद नहीं हो रहा।

★ अश्वनी कुमार ACJM की कोर्ट में आश्रम की जमीन का मुकदमा चल रहा था। जज अश्वनी कुमार के विषय में भ्रष्टाचार की शिकायत माननीय पंजाब तथा हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश को की गई जो इस प्रकार है :-

विषय :- श्री अश्वनी कुमार मेहता C.J.M. रोहतक कोर्ट के भ्रष्टाचार की जांच करके उचित कानूनी कार्यवाही करने हेतू प्रार्थना पत्र।

श्रीमान् जी,

निवेदन है कि हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के लगभग दस लाख सदस्य आप जी से निवेदन करते हैं कि उपरोक्त जज श्री अश्वनी कुमार मेहता C.J.M. की जांच करके इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने की प्रार्थना करते हैं।

हम भारतीय संविधान का सम्मान करते हैं। हम यह भी मानते हैं कि अधिकतर जज न्यायप्रिय तथा कानून का पालन करने वाले हैं। हम जज को परमात्मा को छोटा रूप मानते हैं। जिसकी कलम में एक व्यक्ति की जीवन व मृत्यु का फैसला होता है। यदि कोई ऐसे माननीय तथा सम्माननीय पद पर विराजमान जज अपने स्वार्थवश कानून को अनदेखा करता है। गरीब जनता को न्याय नहीं देता है। वह न्यायालय की छवि खराब करता है तो उसे पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

जज श्री अश्वनी कुमार मेहता माननीय के भ्रष्टाचार तथा अन्याय का उल्लेख :-

राष्ट्रीय समाज सेवा समीति के कुछ सदस्य 1. सतीश चन्द्र गाँव-सुण्डाना 2. राजेन्द्र सिंह गाँव-बरौदा 3. बलवान सिंह गाँव-बालक 4. चान्दीराम गाँव-बालक माननीय जज श्री अश्वनी कुमार मेहता जी से दिनांक 23-01-2014 को कोर्ट में मिले तथा उससे मुकदमा नं. 446/2006 की वास्तविकता से परिचय कराने का प्रयास किया तथा इस केस से सन्त रामपाल जी का नाम निकालने के लिए प्रार्थना की क्योंकि इस केस में सन्त रामपाल जी महाराज का नाम झूठा तथा बेबुनियाद है। माननीय जज श्री अश्वनी कुमार जी ने कहा कि अब कोर्ट का समय है। आप मुझे कोर्ट के समय के बाद मिलना तब तक मैं इस केस की फाईल पढ़ लूंगा। हमारे उपरोक्त सदस्य माननीय जज श्री अश्वनी कुमार से पुनः मिले तथा उनको बताया।

मामला यह कि ''सतलोक आश्रम करौंथा'' की जमीन पर झूठा मुकदमा नं. 446 Dt. 21-07-2006 रोहतक कोर्ट (हरियाणा) में विचाराधीन है। जिस समय यह जमीन कुछ भक्तों द्वारा बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को स्वइच्छा से दान की गई। हमारे सतगुरूदेव सन्त रामपाल दास जी महाराज हरियाणा से बाहर महाराष्ट्र प्रान्त में सत्संग करने के लिए गए हुए थे। उनको तो जमीन लेने के बारे में तीन महीने के बाद जब हरियाणा में आए तब बताया गया था कि हम सर्व भक्तो ने विचार विमर्श करके तीन एकड़ जमीन का टुकड़ा गाँव करौंथा जिला-रोहतक में आश्रम के लिए अपने भक्तों ने ही दान किया है। दानकर्ता के विशेष आग्रह पर जमीन बन्दी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट के नाम ट्रस्टी भक्त राजेन्द्र के नाम से करा दी है। हमने पहली बार ट्रस्ट बनाया था। ट्रस्ट की ओर से कोई रेजूलेशन भी पास नहीं किया गया था।

हमारे सतगुरू रामपाल दास जी महाराज के कहीं भी जमीन की खरीद के कागजात पर हस्ताक्षर नहीं हैं। इनका नाम भी राजनीतिक दबाव में बनाए मुकदमा नं. 446 Dt. 21-07-2006 में डाल कर व्यर्थ परेशान किया जा रहा है।

इस जमीन के मुकदमा नं. 446 Dt. 2006 में मुख्य गवाह ने (जिसके नाम से F.I.R. काटी गई थी उसने) न्यायालय में ब्यान देकर स्पष्ट कर दिया है कि इस F.I.R. में क्या लिखा है। मुझे कुछ जानकारी नहीं क्योंकि पुलिस ने जबरदस्ती मेरे से हस्ताक्षर कराए थे।

★ दान अपनी इच्छा से किया जाता है। जमीन ट्रस्ट के नाम हुई है। किसी ट्रस्टी या चेयरमैन के नाम नहीं हुई है। ट्रस्ट का नियम है कि यदि ट्रस्ट का प्रबन्धन ट्रस्ट चलाने में असफल रहता है तो उस ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति सरकार सील कर देती है। इसलिए यह मामला 420 धारा का नहीं है।

राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों ने सर्व जानकारी माननीय जज श्री अश्वनी कुमार जी को दी।

जज अश्वनी कुमार जी ने कहा कि मैंने केस को पढ़ लिया है। यह केस तो आप पर बनता ही नहीं है। जमीन दानकर्ता ''कमला'' के माता-भाई-बहन तथा बुआ हैं। मैंने यह देख लिया है कि जिस समय जमीन दान की अप्रैल 1999 को तथा आज 2014 तक कमला ने किसी कोर्ट में इस सम्बन्ध में कोई मुकदमा भी दायर नहीं किया है।

पुलिस ने चालान के साथ कमला पुत्री श्री साहब सिंह का 161 का ब्यान भी नहीं लगा रखा। जज महोदय ने आगे कहा कि यदि आप मुझ से पहले मिल लेते तो मैं कमला को गवाह रूप में भी स्वीकार नहीं करता। इस केस की गवाहियाँ 2007 से चल रही हैं। दिनांक 01-08-2013 (6 वर्ष) तक यह कमला पुत्री श्री साहब सिंह ब्यान देने भी नहीं आई थी। जमीन की रजिस्ट्री

से (1999) से 01-08-2013 तक 14 वर्ष बीत गए हैं। इस आधार से भी स्पष्ट है कि सर्व कार्य इसकी सहमति से ही हुआ था। बाद में किसी ने इसको उकसाया है।

जज ने यह भी बताया कि मैं अपने अनुभव से बताता हूँ कि कमला ने जो 01-08-2013 को कोर्ट में ब्यान दिया है, उस में जो उसने प्रारम्भ में कहा है वह तो उसके वकील द्वारा तोते की तरह रटाई गई कहानी थी। फिर उसने अन्त में वास्तविकता भी बता दी। उसने कहा है कि ''मैंने बयनामा (रजिस्ट्री) देख लिया है। यह मैंने ही लिखवाया है। फिर कहा कि कृष्णा ने लिखवाया है (जो नाते में इसकी सगी बुआ है) इस से भी स्पष्ट है कि कमला की सहमति से ही जमीन ट्रस्ट को दान की गई है।

कमला ने ब्यान में स्वीकारा है कि ''मैं अपनी जमीन नहीं देना चाहती थी।'' इस से स्वसिद्ध है कि जमीन दान इसकी सहमति से हुई है। कमला के ब्यान का भावार्थ है कि मैं जमीन नहीं देना चाहती थी परन्तु जमीन दे दी गई। इस से स्पष्ट है कि कमला को पूरी स्थिति का पता था। सर्व कार्य इसकी सहमति के अनुसार हुआ था। यदि ऐसा न होता तो उसी समय न्यायालय में अपील कर सकती थी जो कि कमला ने आज तक भी ऐसा नहीं किया है। इस से स्पष्ट है कि जमीन दान करने में जो कृष्णा को कमला बना कर बैठाया गया है। यह इस के परिवार ने कमला को विश्वास में लेकर कृष्णा को कमला के स्थान बैठाया है। ट्रस्टी तथा चेयरमैन का तो कोई दोष ही नहीं है। फिर भी यह झूठा मुकदमा आप के गले में सरकार ने डाल दिया है। इसको अपने गले से निकालना तो पड़ेगा ही।

श्री अश्वनी कुमार माननीय जज जी ने कहा कि आप भी जानते हैं वर्तमान में कैसे काम बनता है? आप लोगों को कुछ खर्च करना पड़ेगा।

समिति के सदस्यों ने पूछा कि क्या खर्च करना पड़ेगा?

जज श्री अश्वनी कुमार जी ने कहा कि मात्र 20 लाख रूपये लगेंगे। हाई कोर्ट तक सैटिंग करनी पड़ती है। मैंने कुछ नहीं लेना, यह सारा खर्चा आगे ही देना है। मैं तो भगवान से डरने वाला हूँ। याद रखना जजों के पास स्वयं संज्ञान रूपी दो धारी तलवार हैं। सर्व गवाह भी आप के पक्ष में हों तो भी जज सजा कर सकते हैं। चाहे सारे गवाह आप के विरूद्ध हों तो भी स्वयं संज्ञान लेकर बरी कर सकते हैं। यदि छोटी-छोटी तारीखें भी लगेंगी तो आप के घर-व्यवसाय के कार्य की हानि होगी और आप मानसिक रूप से भी परेशान होंगे। आप को इससे (20 लाख से) भी अधिक हानि हो जाएगी। विचार कर लेना।

यह सर्व बातें श्री अश्वनी कुमार जज के मुख से सुनकर सर्व सदस्य दंग

रह गए और कहा जज जी हम यह नहीं कर पाऐंगे। आप जी केस की वास्तविकता के आधार पर वैसे ही दया कर दें।

जज अश्वनी कुमार जी ने कहा कि मैंने तो आप को सलाह दी है, मानना या न मानना आपका काम है। आप के ट्रस्टी व गुरू पर तो यह केस बनता ही नहीं है। वैसे ही बरी हो सकते हैं।

यह सर्व दास्तां राष्ट्रीय सेवा समिति के सदस्यों 1. सतीश चन्द्र गाँव-सुण्डाना 2. राजेन्द्र सिंह गाँव-बरौदा 3. बलवान सिंह गाँव-बालक 4. चान्दीराम गाँव-बालक ने राष्ट्रीय सेवा समिति के मुख्य सदस्यों को मिटिंग करके बताई तो यही निर्णय लिया कि जज साहब का आगे कैसा बर्ताव रहेगा, उस को देखकर ही ऊपर के अधिकारियों को शिकायत की जाएगी।

20 लाख की मनसा पूरी न होने के पश्चात् माननीय जज श्री अश्वनी कुमार मेहता जी की अन्याय की झलक।

दिनांक 23-01-2014 के पश्चात् जज महोदय ने छोटी-छोटी तारीख लगानी प्रारम्भ की। दिनांक 31-01-2014 (8 दिन की) अगली 05-02-2014 (5 दिन की) अगली 13-02-2014 (8 दिन की) अगली 19-02-2014 (6 दिन की) अगली 20-02-2014 लगाई (1 दिन की)। 20-02-2014 को हमें परेशान करने के उद्देश्य से स्वयं कोर्ट में नहीं आया। उस दिन कोई कार्यवाही नहीं की। फिर जज अश्वनी कुमार मेहता जी के स्थान पर दूसरे जज ने कार्यभार संभाला।

इस के अतिरिक्त अन्य अन्याय जो जज अश्वनी कुमार जी ने किया। इस प्रकार है:-

श्रीमति कमला पुत्री साहब सिंह की ओर से कुछ वकील आने लगे। हमारे वकील जी ने जज श्री अश्वनी कुमार जी की कोर्ट में अपील लगाई कि कमला पुत्री साहब सिंह एक गवाह है। उसने जो ब्यान देना था, दे दिया। अब इसकी ओर से वकील नहीं आने चाहिए, ये कानून के विरूद्ध है।

दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात् जज श्री अश्वनी कुमार जी ने अपने आदेश दिनांक 19-02-2014 में कहा कि कमला Victim (पीड़ित) है, इसके साथ धोखा (Fraud) हुआ है। यह वकील कर सकती है।

20 लाख की हवस पूरी न होने के कारण माननीय जज श्री अश्वनी कुमार जी ने पक्का इरादा कर लिया था कि स्वयं संज्ञान के जरिए ट्रस्ट के ट्रस्टी तथा चेयरमैन को सजा देगा ही देगा। यह आदेश पारित करते समय कमला के कोर्ट में दिए ब्यान को भी अनदेखा कर दिया। जज साहब पहले स्वयं कह रहे थे कि कमला की सहमति से जमीन दान की गई है। यह बात इसके ब्यान से स्पष्ट है और 20 लाख रूपये न मिलने के कारण कमला को

बाद में जज साहब ने Victim (पीड़ित) घोषित कर दिया और लिख दिया कि इसकी जमीन धोखे से दान की गई है। कमला को पीड़ित घोषित करना ही सिद्ध करता है कि जज ने (Malafied Intention) बदनीयत से ही यह आदेश किया है। कमला पीड़ित है तो सिद्ध कर दिया कि अन्य सब दोषी हुए। जज श्री अश्वनी कुमार जी ने अपने आदेश में भी स्पष्ट किया है कि केस दर्ज कराने वाला करतार सिंह कमला का सगा चाचा है। फिर यह भी कहा है कि वह दोषियों के साथ मिलीभगत करके Hostile हो गया है। जमीन दान करने वाले कमला के माता, भाई-बहन हैं। क्या वे भी कमला से धोखा करके हमारे को मुफ्त जमीन दे सकते हैं? जज श्री अश्वनी कुमार जी ने 20 लाख रूपये की हवस पूरी न होने के कारण कानून का जानकार होते हुए भी जानबूझ कर गैर-जिम्मेदाराना आदेश पारित करके अपनी मलीन मानसिकता को प्रदर्शित कर दिया और सम्माननीय न्यायाधीश की छवि को धूमिल किया है।

जबकि सर्वोच्च न्यायालय का आदेश नं. 2009 (S) Law of HERALD (S.C.) 3310 For Criminal Appeal No. 1695 of 2009 arising of out of SLP (crl.) No. 6211 of 2007 भी स्पष्ट करता है कि यदि A ने B की जमीन ''B'' बन कर ''C'' को बेच दी या दान कर दी तो ''A'' दोषी है। ''C'' दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम तो ''C'' हैं जमीन प्राप्त करने वाले। हम पर यह मुकदमा ही नहीं बनता। यह राजनीतिक दबाव से बनाया गया है। इसे समाप्त किया जाना चाहिए था। सर्वोच्च न्यायालय का यह आदेश भी जज महोदय ने लालचवश अनदेखा कर दिया।

यदि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध यदि जमीन लेने वाले दोषी बनाए गऐ हैं। फिर तो तहसीलदार, रजिस्ट्री कलर्क तथा अर्जीनविस को भी दोषी बनाया जाना चाहिए था। जिन्होंने सारे कागजात की पूरी जाँच-पड़ताल करके रजिस्ट्री की है। यहां पर यह बताना भी अनिवार्य है कि जमीन दान की रजिस्ट्री ट्रस्ट के नाम है। यह किसी ट्रस्टी तथा चेयरमैन की निजी संपत्ति नहीं है और न ही हो सकती है। इसलिए हमारा परोपकार के लिए प्रयत्न है जिसे धोखा (420) की संज्ञा नहीं दी जा सकती। पूरे घटनाक्रम को जान कर यह निष्कर्ष निकलता है कि कमला ने अपनी जमीन स्वेच्छा से ट्रस्ट को दान की है। किन्हीं कारणों से यह तहसील में उपस्थित नहीं हो पाई। फिर इसको रजिस्ट्री के सर्व कागजात तैयार करके दिखाए गये थे। तब इसने अपनी मर्जी से अपनी बुआ को तहसील में भेज कर अपने स्थान पर खड़ा किया है। जो इसके ब्यान से भी स्पष्ट है जो ब्यान इसने न्यायालय में जज श्री अश्वनी कुमार जी के समक्ष दिए हैं। यह बात हमें अब स्पष्ट हो गई है यदि यह धोखा (Fraud) 420 है तो कमला तथा कृष्णा द्वारा किया गया है। इसमें ट्रस्ट का

कोई दोष नहीं है।

हमारा सौभाग्य था कि उसी दौरान एक नया जज श्री लोकेश गुप्ता जी आ गए। माननीय भ्रष्ट जज श्री अश्वनी कुमार जी के जुल्म व अन्याय से बच गए नहीं तो जज अश्वनी कुमार जी अपने स्वार्थवश हम निर्दोषों को सजा कर देता।

विश्वसनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि श्री अश्वनी कुमार जज 20 लाख रूपये न मिलने के कारण कितने घटिया हथकण्डे अपना रहा है। इसने श्री लोकेश कुमार गुप्ता जज से कहा था कि आप इस केस 446/2006 में ट्रस्टी तथा चेयरमैन की भी सजा करना, ये जजों की शिकायत करते हैं। ज्ञात हुआ है कि जज श्री लोकेश गुप्ता ने ऐसा करने से मना कर दिया। फिर जज श्री अश्वनी कुमार जी ने यह केस श्रीमति कीर्ति जैन J.M.I.C. के यहाँ ट्रांस्फर करा दिया जो जूनियर डिविजन में जज है जो श्री अश्वनी कुमार A.C.J.M. के आधीन है। इससे यह जो अन्याय चाहेगा, करा लेगा। यदि जज कीर्ति जैन जी ने कानून को अनदेखा किया और गैर-कानूनी कार्य किया तो उसकी जानकारी भी उच्च अधिकारी जज को दी जाएगी।

जो आदेश श्री अश्वनी कुमार जी ने लालचवश पारित किया था, कहा था कि ''कमला'' Victim (पीड़ित) है। इस आदेश के खिलाफ हमारे वकील ने सैशन जज की कोर्ट में अपील की। एडीश्नल सैशन जज श्री नरेश कुमार सिंगला जी की कोर्ट में सुनवाई के लिए केस लगा। श्री अश्वनी कुमार जी ने अपनी निजी तालुकात से एडीश्नल सैशन जज श्री नरेश कुमार सिंगला जी को भी भ्रमित करके अपने आदेश के अनुरूप फैसला करा दिया। इस आदेश के खिलाफ हमारे वकील जी ने माननीय हाई कोर्ट पंजाब व हरियाणा चण्डीगढ़ में अपील की ''माननीय विद्वान जज श्री सुरेन्द्र गुप्ता जी ने अपने आदेश नं. Crl. Misc No. M-17667 of 2014 Dt. 22-05-2014 में न्याय किया, कहा कि ट्रायल कोर्ट में केस की सुनवाई चल रही है। ऐसे समय में Victim पीड़ित and Fraud (धोखा) शब्दों का प्रयोग करना गलत है। कमला को असन्तुष्ट (aggrieved) कहा जा सकता है। फिर कहा कि अपनी सलाह के लिए गवाह भी वकील कर सकता है परन्तु वह वकील कोर्ट में सीधा कोई पक्ष नहीं रख सकता। (हाई कोर्ट का आदेश संलग्न है।)

हमारे को माननीय हाई कोर्ट से न्याय मिला। हम इस प्रार्थना पत्र के आरम्भ में ही लिख चुके हैं कि अधिकतर जज न्यायकारी हैं। कुछ भ्रष्ट जज ही अपने स्वार्थवश अन्याय करके गरीब जनता को सताते हैं क्योंकि भ्रष्ट जजों को पता होता है कि आम व्यक्ति ऊपर की कोर्टों में नहीं जा सकता क्योंकि वकीलों की मंहगी फीस होती है जो गरीब के वश के बाहर की बात

होती है।

आप जी से पुनः प्रार्थना है कि माननीय भ्रष्ट जज श्री अश्वनी कुमार मेहता C.J.M. रोहतक कोर्ट (हरियाणा) की जांच करके कानूनी कार्यवाही की जाए, ऐसे व्यक्ति ऐसे सम्माननीय पद पर बने रहने के योग्य नहीं हैं। इसको तुरन्त प्रभाव से बरखास्त किया जाए ताकि गरीब जनता अन्याय से बच सके। जांच अधिकारी के सामने जांच के समय हमारे वो सदस्य जो जज श्री अश्वनी कुमार से मिले थे, शपथ पत्र देंगे तथा जांच में पूरा योगदान देंगे।

कानून को अनदेखा करके जज श्री अश्वनी कुमार जी ने अच्छा नहीं किया। यदि गरीब जनता ने दुःखी होकर कानून को अनदेखा कर दिया तो क्या होगा?

यदि इस जज के खिलाफ कार्यवाही नहीं हुई तो हम सर्व 10 लाख राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्यों को सवैंधानिक तरीके से आंदोलन व प्रदर्शन करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

धन्यवाद।

★ भ्रष्ट जज अश्वनी कुमार ACJM की अन्य हेराफेरी का प्रमाण :-

S.C. hi
17/7/0

To

The District Attorney,
Rohtak.

Subject Civil Suit Vidha Dhaka Vs. State of Haryana and others.

R/Sir,

With due respect it is submitted that I am working regularly in the Hon'ble court of Sh. Ashwani Kumar, ACJM / Civil Judge (Senior Division), Rohtak. In the civil case Vidhya Dhaka Vs. State of Haryana and another, the Hon'ble court has marked my attendance for the defendant No. 1 without my knowledge and appearance. I have not been heard by the Hon'ble court while passing order dated 3.07.2014. The matter / case come to my notice from Sh. Baljit Singh, ADA O/o the Collector, Rohtak on 05.07.2014. Thereafter, I immediately applied for the certified copy of order dated 02.07.2014 & 03.07.2014 in the case and the same were sent to the parties / authority of the state of Haryana in the case.

The copy of cause list dated 02.07.2014 & 03.07.2014 are enclosed herewith for your kind perusal and further necessary action, please. The titled of the present case has been mentioned later on in hand writing. Photocopy of the order dated 02.07.2014 and 3.07.2014 are attached herewith.

Submitted please.

Ramehar 17/7/14

Ramehar, ADA
O/o District Attorney,
Rohtak.

From

The District Attorney,
Rohtak.

To

The Ld. District & Sessions Judge,
Rohtak.

Memo No. 2662..../DAR/2014 dated. 17/7/14

Subject Civil Suit Vidha Dhaka Vs. State of Haryana and others.

Memo

Kindly find enclosed herewith an application dated 17.7.2014 in original alongwith Annexure's submitted by Sh. Ramehar, ADA of this office who had mentioned that the order dated 03.07.2014 has been passed by the Ld. court of Sh. Ashwani Kumar, Civil Judge (Senior Division), Rohtak on his back but Hon'ble court had marked his appearance in the above said order.

The Ld. court has passed the above said order illegally without giving him notice of the case & without giving him the opportunity of hearing. The title of the above said cases has been mentioned later on by someone on his own hand writing. The photocopy of the cause list dated 02.07.2014 & 03.07.2014 are attached herewith (Annexure A-1, A-2 & A-3) which clearly show that the title of the case has been mentioned lateron on dated 03.07.2014. The photocopies of the order dated 02.07.2014 & 03.07.2014 (Annexure A-4 & A-5) are also attached herewith for your kind perusal and necessary action please.

This may kindly be treated as most urgent.

17/7

District Attorney,
Rohtak.

o/c
18/7/14

''मुख्य न्यायधीश हाई कोर्ट को भेजा गया पत्र''

सेवा में,

माननीय मुख्य न्यायाधीश

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़।

विषय :- हिसार कोर्ट के कुछ वकीलों द्वारा कानून भंग (सरकारी कार्य-न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालकर) करके घिनौना कार्य किया गया, उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने हेतु प्रार्थना पत्र।

श्रीमान् जी,

हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के 10 लाख सदस्य आप जी से अनुरोध करते हैं कि हमें पता चला है कि दिनांक 14-07-2014 को संत रामपाल जी महाराज की विडियो कान्फ्रैंस द्वारा हिसार कोर्ट में पेशी के दौरान कुछ वकील सुनियोजित षड़यंत्र के तहत विडियो कान्फ्रैंस रूम में जबरदस्ती घुसे। बाहर खड़ी पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। लेकिन वे जबरन विडियो कान्फ्रैंस रूम में घुस कर ढ़ेड, धाणक, चमार आदि जातिसूचक अभद्र शब्द बोलने लगे, उनको भक्तों द्वारा बाहर किया गया। फिर उन्होंने एक बहन के साथ अभद्र व्यवहार किया, जिसके गले में संत रामपाल जी महाराज का लॉकेट था, जो व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहर कोर्ट परिसर में सेवा कर रही थी। जिसकी शिकायत सतलोक आश्रम बरवाला के ट्रस्टी द्वारा S.P. हिसार को उसी दिन कर दी गई थी।

एक श्रद्वालु जिसका नाम राजेन्द्र मोर है, जो बरौदा गांव जि. सोनीपत का रहने वाला है, उसके गले में संत रामपाल जी महाराज का लॉकेट था। उसको भी उन्हीं वकीलों ने अपहरण करके ले जाने का प्रयत्न किया। शोर मचाने पर अन्य भक्तों तथा उपस्थित व्यक्तियों ने उनके चुंगल से छुड़वाया। जिसकी शिकायत भी उसी दिन S.P. हिसार को कर दी गई थी। लिखित में दिनांक 15-07-2014 को दी गई थी, रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भी सर्व संबंधित अधिकारियों को दोनों शिकायत पत्र भेज दिए गए हैं।

जैसा कि समाचार पत्रों में पढ़ने से पता चला है कि वकीलों ने कहा है कि सुरक्षा के लिए आए भक्तों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया है। भक्तों से पूछने से पता चला जो इस प्रकार है :-

वकीलों ने आरोप लगाया कि हमारे पहचान पत्र देखने वाले भक्त कौन होते हैं? :-

वास्तविकता यह है कि कुछ वकीलों ने जबरदस्ती कान्फ्रैंस रूम में प्रवेश करना चाहा तो उनको ऐसा करने से पुलिस द्वारा रोका गया। कुछ

पुलिसकर्मी सादी पोषाक में थे। वकील भी उस दिन अपनी पोषाक नहीं पहने थे क्योंकि उन्होंने किसी अन्य वजह से वर्क सस्पैंड कर रखा था। रोका जाने पर उन्होंने कहा कि हम वकील हैं। उनसे पहचान पत्र दिखाने को कहा गया। उन्होंने ऐसा करने से मना किया तथा कहा कि तुम कौन होते हो पहचान पत्र देखने वाले? यह कहकर जब वे संत रामपाल जी महाराज के पास कान्फ्रैंस रूम में घुसने लगे, तब उनको भक्तों ने बाहर किया था। इसी को उन्होंने अपना अपमान मानकर हड़ताल का रूख अपनाया है।

★ विचारणीय विषय है कि पहचान पत्र इसीलिए बनवाया जाता है ताकि आवश्यकता के समय दिखाया जाए।

★ प्रतिदिन एक जिला न्यायालय में लगभग एक हजार केसों की सुनवाई होती है। जिस कारण मुद्दई, गवाह, जिस पर मुकदमा चल रहा है तथा जमानती और कुछ सहयोगी कुल मिलाकर लगभग 5 हजार व्यक्ति न्यायालय में आते हैं। वकीलों ने अपनी फीस ले रखी होती है। फिर भी वे 5 हजार व्यक्तियों को परेशान कर रहे हैं। कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के पेशी पर आने से जनता परेशान होती है।

हम आप जी से पुनः प्रार्थना करते हैं कि जिन वकीलों ने कानून हाथ में लिया है, उन पर मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्यवाही की जाऐ। कानून का जानकार कानून हाथ में लेता है, उससे बड़ा अपराधी कौन हो सकता है? यदि पुलिस जाँच में लगे किसी भक्त ने भी कानून हाथ में लिया है तो उस पर भी कानूनी कार्यवाही की जाऐ।

★ हम यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि न्यायालय परिसर केवल वकीलों की जायदाद नहीं है। यह जनता के लिए है। एक मुकदमें वाले के साथ 5-6 व्यक्ति आना स्वाभाविक है। यदि 100-200 आते हैं तो क्या समस्या है, शेष बाहर खड़े हैं। वे कोई शौक में नहीं खड़े, वे श्रद्धावश खड़े हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। हम भी भारत के नागरिक हैं। यदि आगे हमारे सतगुरूदेव जी की पेशी हुई तो 14-07-2014 से दस गुणा अधिक श्रद्धालु आने की संभावना है।

हमारे सतगुरूदेव जी पर झूठे मुकदमें बनाए गए हैं। न न्यायपालिका सुन रही है, न सरकार सुन रही है। ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या बचा है?

जैसा कि वकील साहेबान मीडिया में ब्यान देकर बार-बार धमकी दे रहे हैं कि संत रामपाल जी की जमानत रद्द करा कर ही दम लेंगे।

इसके विषय में हमारा निवेदन है कि कुछ मनचले वकीलों की धमकी के कारण यदि किसी भी अदालत ने यह गैर-कानूनी कदम उठा लिया तो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य इसका घोर विरोध करेंगे। सीने

पर गोलियां खाऐंगे और मरेंगे। यदि एक बच्चा भी शेष रहेगा तब तक यह विरोध कानूनी तरीके से जारी रहेगा।

हम वकील साहेबानों तथा माननीय जजों से पूछना चाहते हैं कि धारा 148-149 हमारे ऊपर करौंथा काण्ड के मुकदमा नं. 198/06 Dt.-12-07-2006 में किस आधार पर लगाई गई है? जबकि हम 9 से 12 जुलाई 2006 को अपने घर (आश्रम) में सत्संग सुनने के लिए एकत्रित हुए थे। यह असंवैधानिक भीड़ (Unlawfull Assembly) नहीं हो सकती। हमारे ऊपर आक्रमण किया गया था। S.D.M. रोहतक Duty Megistrate ने अपने पत्र में लिखा है कि आश्रम में उपस्थित अनुयाईयों और संत रामपाल जी महाराज को खतरा है। S.H.O. सदर रोहतक ने भी प्रार्थना की कि मौके पर उपस्थित S.P. तथा D.C. रोहतक ने भी यही कहा। तब आश्रम कब्जे में लिया। चालान में स्पष्ट है कि आश्रम से बाहर कोई व्यक्ति नहीं आया। क्या ऐसे में धारा 148-149 आश्रम के अनुयाईयों तथा संत पर लगती है?

सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है :-

एक समय बहुजन समाज पार्टी के प्रधान श्री काशीराम जी अपने घर के आंगन में अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग कर रहे थे। पत्रकार भी पहुंच गए, किसी बात पर कहासुनी हाथापाई पर पहुंच गई तथा पत्रकारों के कैमरे तक तोड़ दिए, चोटें भी आई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। इसमें धारा 148-149 भी श्री काशीराम जी तथा साथियों पर लगाई गई थी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि श्री काशीराम जी का और चाहे कोई दोष हो सकता है, परंतु इन पर धारा 148-149 नहीं लगा सकते, ये अपने घर पर थे। जिसे असंवैधानिक भीड़ (Unlawfull Assembly) नहीं कहा जा सकता। इसलिए यह धारा 148-149 समाप्त की जाती है।

विचार करें :- इसी प्रकार यह धारा हमारे ऊपर नहीं लगती, इसे समाप्त करके केस चलाया जाऐ।

★ मुख्य गवाह (मुद्दई) ने भी कहा है कि इस सारी घटना का मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है, मेरे केवल दस्तखत कराऐ थे। वह ब्यान उसने Session Judge Rohtak Sh. S.S. Lamba के सामने दिए हैं।

★ सरकार ने मधुबन प्रयोगशाला से भी स्वयं जांच कराया। F.S.L. में स्पष्ट है कि आश्रम के हथियारों से चली गोली से मृतक की मौत नहीं हुई।

★ दूसरा मुकदमा जमीन की रजिस्ट्री कराने में हेराफेरी का है।

विचार करें :- दानकर्ताओं ने सर्वसम्मति से ट्रस्ट को जमीन दान की है। उनके नंबरदार ने शिनाख्त की है कि सर्व दानकर्ता सही हैं। फिर जमीन ट्रस्ट

के नाम हुई है। उस पर किसी चेयरमैन तथा ट्रस्टी का कोई अधिकार नहीं है। यदि ट्रस्ट का प्रबंधन आश्रम चलाने में नाकामयाब होता है तो सारी संपत्ति सरकार कब्जे में लेती है। संत रामपाल दास जी महाराज के तो किसी भी कागज पर दस्तखत भी नहीं हैं। ऐसी परिस्थिति में हेराफेरी का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। फिर हम जमीन लेने वाले हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भी जमीन लेने वाला दोषी नहीं है। उदाहरण दिया है कि जैसे A ने B की जमीन B बनकर C को बेच दी, इसमें A दोषी है, C नहीं, हम तो C हैं, जमीन लेने वाले।

हम हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट तक जा चुके हैं, हमें कोई राहत नहीं मिली। अब हमारे सामने कौन-सा विकल्प बचा है? हम भारत के नागरिक हैं। हमारे को भी सर्वाधिकार प्राप्त हैं। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हमारा मानना है कि सभी जज भ्रष्ट नहीं हैं तथा सभी वकील कानून का उल्लंघन करने वाले नहीं हैं, अपितु अधिकतर कानून की अनुपालना करने वाले तथा सभ्य हैं।

हमने माननीय भ्रष्ट जजों के खिलाफ सवैंधानिक तरीके से प्रदर्शन किया है, आगे भी जारी रहेगा। यह तभी रूकेगा, जब हमें न्याय मिलेगा।

अतः आप जी से प्रार्थना है कि इस पूरे घटनाक्रम की जांच करके दोषियों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाऐ। आपकी अति कृपया होगी।

धन्यवाद।

दिनांक :- 21-07-2014

प्रार्थी

राष्ट्रीय समाज सेवा समीति के

सर्व 10 लाख सदस्य

(यह समीति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर-राजनीतिक संस्था है।)

सम्पर्क सूत्र :- 09992373237, 09416296541, 09416296397, 09813844747

''परमात्मा के भक्तों का संयम से प्रदर्शन देखें फोटोकापी समाचार पत्र की''

रोहतक
जागरणसिटी
रोहतक, 15 जुलाई 2014 17

'सैलाब' से ठहर गया शहर

रामपाल दास की पेशी की सूचना पाकर शहर में जुटे हजारों अनुयायी, तीन मुख्य मार्ग सवा घंटे रहे बंद

झूठे मामले में फंसाने और न्याय प्रक्रिया में पक्षपात का आरोप लगा किया प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात

रोहतक के मानससरोवर पार्क के पास जुलूस की शक्ल में गुजरते रामपाल दास के अनुयायी।

शहर के तीन मुख्य मार्ग जाम होने की वजह से राहगीरों को बेहद परेशानी हुई।

यातायात व्यवस्था बिगड़ी

अनुयायियों के शहर के मुख्य मार्गों पर जमने के बाद शहर की यातायात व्यवस्था बरबरा गई। हालांकि पुलिस ने सुभाष चौक पर आने वाले वाहनों का सुबह से ही रूट डायवर्ट कर दिया था। इसके बावजूद लोगों को परेशानी उठानी पड़ी।

यह था मामला 12 जून, 2006 को करौंथा स्थित सतलोक आश्रम के अनुयायी और आर्य समाजियों के बीच खूनी संघर्ष हो गया था। एक युवक की मौत हो गई थी व कई घायल हो गए थे। पुलिस ने रामपाल दास व उनके तीन दर्जन अनुयायियों के खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।

करौंथा प्रकरण

बैनर-झंडे लेकर किया कोर्ट की ओर कूच

- सोमवार को सुबह नौ बजते ही हजारों अनुयायियों ने हाथों में बैनर-झंडे लेकर कोर्ट की ओर कूच कर दिया।
- सबसे पहले वे दिल्ली रोड की ओर से बढ़े। मानससरोवर पार्क पर तैनात पुलिस ने उन्हें यहीं रोक दिया।
- इसके बाद एक बड़ा जत्था सोनीपत रोड की ओर से सुभाष चौक-मानसरोवर पार्क की ओर पहुंचा।
- कुछ ही देर में सोनीपत स्टैंड की ओर से सैकड़ों अनुयायी मानससरोवर पार्क की ओर पहुंच गया।
- तीन ओर से अनुयायियों के कूच करने और कोर्ट की ओर जाने वाला चौथा मार्ग पुलिस द्वारा बंद करने के कारण सुभाष चौक पर बनी जाम की स्थिति।
- रामपाल दास के पक्ष में नारे लगाते हुए कुछ आग बढ़े और सुभाष चौक पर तीन ओर से डाल दिया डेरा।

रोहतक के सुभाष चौक पर तैनात पुलिस।

- यहां लगभग सवा घंटे तक रामपाल के पक्ष में नारे लगाए। करौंथा सतलोक आश्रम कांड की सीबीआइ से जांच करवाने व झूठे केस वापस लेने की मांग।
- पौने 11 बजे रामपाल की वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी होने की खबर आने तक यह क्रम जारी रहा। इसके बाद सभी अनुयायी शांतिपूर्ण से वापस लौट गए। रास्ते खुल गए और पुलिस-प्रशासन के साथ पब्लिक ने भी ली राहत की सांस।

जागरण संवाददाता, रोहतक : करौंथा स्थित सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल दास की कोर्ट में पेशी के दौरान एक झलक पाने को शहर में जुटे हजारों अनुयायियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। किसी भी तरह के टकराव या हिंसा की स्थिति को टालने के लिए पुलिस-प्रशासन ने कड़े सुरक्षा प्रबंध किए थे। कोर्ट की ओर कूच करते हुए जब प्रदर्शनकारी सुभाष चौक पर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। सुभाष चौक पर तीन तरफ से रास्ते पूरी तरह से जाम हो गए। रामपाल दास की हिसार कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंसिंग होने के बाद अनुयायी अपने-अपने गंतव्य की तरफ रवाना हुए। रविवार को दिन निकलते ही उनके अनुयायियों का शहर के हुडा पार्क में आने का सिलसिला शुरू हो गया। दिन चढ़ते-चढ़ते हजारों अनुयायी पार्क में जमा हो गए। रविवार को रात भर अनुयायियों के आने का सिलसिला जारी रहा। इनमें महिला-पुरुष के अलावा बच्चे भी शामिल थे।

प्रशासन ही नहीं अनुयायियों ने भी तय कर रखी थी 'लक्ष्मण रेखा'

जागरण संवाददाता, रोहतक : सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल दास के दर्शन के इरादे से देश के विभिन्न हिस्सों से शहर में एकत्रित हुए हजारों अनुयायियों में विरोध, आक्रोश, नियंत्रण और अनुशासन का अनोखा संगम देखने को मिला। इसे देखकर लग रहा था जैसे सब कुछ रिमोट से नियंत्रित हो रहा हो। अनुयायियों के इस सैलाब ने प्रदर्शन भी किया लेकिन व्यवस्थित ढंग से था। वहीं, पुलिस-प्रशासन ने भी स्थिति से निपटने के लिए योजनाबद्ध तरीके से एक लक्ष्मण रेखा खींचते हुए अनुयायियों को कोर्ट की ओर जाने से रोक दिया। दोनों तरफ से जरा-सी भी गरमा-गरमी बड़े बवाल की वजह बन सकती थी।

दोनों तरफ से बरता गया संयम

सुभाष चौक पर तीनों मुख्य मार्गों पर रामपाल के अनुयायियों के पहुंचने से ब्लाक हो गए। विरोध प्रदर्शन को देखकर एकबारगी तो पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। चौंकाने वाली बात यह रही कि पुलिस ने उनको रुकने तक के लिए नहीं कहा, बल्कि अनुयायी खुद ही एक-दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बनाते हुए अन्य समर्थकों को रोकते नजर आए। हालांकि पुलिस ने कोर्ट मार्ग पर बैरिकेड्स लगा रखे थे लेकिन सभी अनुयायी सुभाष चौक पर जमे रहे और उन्होंने बैरिकेड्स तक भी पहुंचने का प्रयास नहीं किया।

हिसार में 42 मिनट तक पेशी कक्ष में रहे रामपाल

बरवाला आश्रम से रामपाल अदालत में सुबह दस बजे पहुंचे। इससे पहले अनुयायियों को पेशी के बारे में पता लगते ही रात से ही अदालत परिसर के चारों ओर लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। पुलिस का व्यापक पहरा रहा। सोमवार सुबह 10 बजकर एक मिनट पर रामपाल हिसार कोर्ट में दाखिल हुए और 10 बजकर तीन मिनट पर वह वीडियो कांफ्रेंसिंग कक्ष के नजदीक तक पहुंचे। पेशी के बाद वह 10 बजकर 52 मिनट पर बाहर निकले। काली ड्रेस पहने सैकड़ों निजी गार्डों ने रामपाल के चारों ओर फिर से सुरक्षा चक्र बना लिया। पुलिस दूर से देख रही थी। पेशी के दौरान रामपाल के निजी सुरक्षाकर्मियों व कुछ वकीलों के बीच पर झड़प भी हुई।

हम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सर्व सदस्य आप जी से पुनः याचना करते हैं कि भ्रष्ट जजों की जाँच कराकर उचित कार्यवाही करें तथा जजों की जवाबदेही कानून बनावें।

धन्यवाद।

पत्राचार के लिए पता :-

मास्टर रामकुमार ढ़ाका एम.ए. बी.एड.
मकान नं० 704 वार्ड नं. 18
रोहतक प्रान्त-हरियाणा

प्रार्थी
राष्ट्रीय समाज सेवा समीति के
सर्व 10 लाख सदस्य
(यह समीति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा गैर-राजनीतिक संस्था है।)
सम्पर्क सूत्र :- 09992373237, 09416296541, 09416296397, 09813844747

Sr	Name	Sign.
1	Amitabh Sintoria	
2	Ravendra Singh	
3	Anoop Bohra	
4	Puneet Siwach	
5	Sombir Sehrawart	
6	Kashmir Singh	
7	Raj Kumar	
8	Manoj Sheoran	
9	Ram Rattan	
10	Bir Singh	
11	Ramdatt	
12	Ram Niwas	
13	Yogesh Kumar	
14	Neeraj	
15	Sanjay Sharma	
16	Vivek Mohan	
17	Jandail Singh	
18	Rampal	
19	Girish	
20	Lekhram	
21	Vinod kumar	
22	Omprakash	
23	Rajinder	
24	Deviram	
25	Joginder	

Sr	Name	Sign.
26	Hira Lal	
27	Bhagirath Chauha	
28	Sanjay Kumar	
29	Rakesh Dhawar	
30	Suresh Kumar	
31	Suresh Chander	
32	Lakhvir Singh	
33	Gajraj Meena	
34	Surender Kumar	
35	Ishwar Singh	
36	Pir deep kumar	
37	Subhash	
38	Anil Lalwani	
39	Kalyan Bharti	
40	Narsi	
41	Avdhesh Khare	
42	Krishan	
43	Rajender	
44	Pappram	
45	Nilesh Bahire	
46	Rakesh Bharti	
47	Pankaj Bansal	
48	Anand Singh	
49	Manish Walia	
50	Deepak Kumar	

कृपया पढ़ें जज अमोल रत्न जी के 07-08-2014 वाले आदेश की फोटोकापी

209 CRM-23223-24 of 2014 in
CRM-M-23009 of 2014

Rampal
V/S
State of Haryana

Present: Sh. R.S. Rai, Senior Advocate with
Mr. Gautam Dutt, Advocate
for the applicant-petitioner.

Sh. P.S. Punia, AAG Haryana

***

This petition has been filed seeking quashing of the order dated 06.06.2014, passed by the learned Sessions Judge, Rohtak, in case FIR No.198 under Sections 148/323/302/307/149 & 120-B IPC and Sections 25/27/30 of the Arms Act, registered at Police Station, Sadar, Rohtak, on 12.07.2006, by which he recalled his order dated 12.02.2014, exempting the present petitioner from personal appearance.

In the prima facie opinion of this Court, in the circumstances accompanying the trial, the order is not incorrect. This Court, earlier being part of a Division Bench which has already issued *suo motu* notice of contempt to the petitioner along with officers of the Government of Haryana, for their lack of ability to the control the law and order situation which was created on the last date of hearing before the Sessions Courts at Rohtak and Hissar, by the petitioners' followers, is obviously aware of the fact that the matter is pending before the Division Bench. By that order, the State was also put to notice as to why, in these circumstances, the trial itself should not be transferred to any other place in Haryana or elsewhere.

It needs to be recorded here that Mr. P.S. Punia, learned Addl. AG Haryana, upon instructions from Shri Vijender Singh, DSP, (Headquarters) Rohtak, who is present in Court, submits that there is the possibility of a law and order situation again[illegible]ring. As such, the State is not opposing the application

Reader
Punjab & Haryana High Court
Chandigarh 7/8/14

PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT

for exemption, subject to the petitioner agreeing to the condition that the evidence be recorded as and when directed by the trial Court, in his absence, and further that the petitioner shall not, at any time in the future, whether in appeal or otherwise, raise the issue of any prejudice having been caused to him in the trial by virtue of recording of evidence in his absence.

Mr. Rai, learned Senior Counsel for the petitioner submits that this condition is acceptable to the petitioner.

Be that as it may, the State will put on record, by way of affidavit of the Additional Chief Secretary, Home, its response to the petition, before the next date of hearing and thereafter the petitioner would put on record his response thereto, after which this Court would be required to adjudicate upon the legality of submissions made on either side in this regard and the effect of any such undertaking on the trial.

Presently, in view of the stand of the State and the fact that the issue of transfer of the trial itself is pending before the Division Bench, which is to be heard tomorrow, the petitioner is exempted from personal appearance before the trial Court at Rohtak, for tomorrow only at this stage.

Adjourned to 21.08.2014.

A copy of this order be given to both, the learned counsel appearing for the petitioner and the respondent-State, under the signature of the Court Secretary of this Court.

Sd/-
(AMOL RATTAN SINGH)
JUDGE

07.08.2014
Atik

Reader 7/8/14
Punjab & Haryana High Court
Chandigarh

PUNJAB AND HARYANA HIGH COURT

सेवा में,

प्रधानमंत्री जी,

भारत सरकार

नई दिल्ली।

''सुझाव''

आप जी को सुझाव देना तो ऐसा होगा जैसे सूर्य को दीपक दिखाना। फिर भी हम अपनी बुद्धि से जो वर्तमान में आवश्यकता समझते हैं, वह प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ''प्रमाण सहित भ्रष्टाचार पत्र'' भी आप जी को अलग से इसी लिफाफे में भेज रहे हैं। आशा करते हैं कि आप जी भारत की जनता के हित में इन पर अवश्य ध्यान देंगे।

(Subject:- Suggestions about Control on Corruption in Judiciary & other Departments)

विषय :- ''न्यायालय तथा अन्य विभागों में भ्रष्टाचार पर रोकथाम के लिए सुझाव''

न्यायालय की गरिमा बचाने के लिए तथा न्यायालय के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए तथा कुछ भ्रष्ट जजों द्वारा कानून को अनदेखा करके मनमाने आदेश पारित करने से रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।

★ सुझाव के साथ हम एक पत्र अलग से भेज रहे हैं जिसमें कुछ जजों के अन्याय व भ्रष्टाचार का प्रमाण है। इस पत्र को पुस्तक रूप में बना कर हम पूरे राष्ट्र में वितरित करेंगे तथा जनता की राय जानेंगे। देश का सर्वोच्च न्यायालय भी मानता है कि निचली अदालतों में 80% जज भ्रष्ट हैं और कांग्रेस सरकार कुम्भकरण की नींद लेती रही।

उसके लिए कुछ सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं:-

1. यदि कोई जज भ्रष्टाचार में लिप्त मिलता है तो उस को अन्य अधिकारियों तथा आम जनता की तरह जेल जाने का प्रावधान हो।

2. कुछ जज फैसला सुनाते कुछ हैं, आदेश में कुछ अन्य ही मिलता है।

उदाहरण (I) :- सुप्रीम कोर्ट में S.L.P. (crl) नं. (S) 4921/2010 में जज श्री जी.एस. सिन्धवी तथा श्री सी.के.प्रसाद ने हमारे वकील से कहा कि आप इस S.L.P. को उठा लें। हमारे वकील ने मना कर दिया कहा कि हम न्याय मांगने आए हैं। जजों ने S.L.P. को Dismiss कर दिया।

लिख दिया कि S.L.P. स्व-इच्छा से उठा ली और वे अपना पक्ष ट्रायल कोर्ट में रखेंगे।

विचारणीय विषय है कि :- यदि निचली कोर्ट में न्याय मिल जाता तो किस

के सिर में दर्द है कि सर्वोच्च न्यायालय में जाए। वकीलों की मंहगी फीस कमर तोड़ देती है।

उदाहरण (II) :- जज नवाब सिंह जी (पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़) ने तारीख बताई 17-01-2008 बाद में 16-01-2008 कर दी।

सुझाव :-

3. किसी भी केस की प्रक्रिया की विडियोग्राफी की आज्ञा हो तथा उसी समय उसकी दोनों पक्षों को उपलब्धि कराई जाए।

4. कोर्ट से लिखित में तारीख दी जाए।

5. कोई जज अपनी इच्छा से तारीख न लगाए, तारीख से अगली तारीख कम से कम एक महीना हो।

दो-दो चार-चार दिन की तारीख लगाकर परेशान किया जाता है। झूठा मुकदमा और ऊपर से न घर का कार्य कर पाते हैं, न नौकरी पर जा पाते हैं।

6. सरकारी वकीलों को जज नियुक्त न किया जाए, इनकी मानसिकता कर्मचारी वाली ही रहती है।

7. प्रत्येक अपराध में सजा निर्धारित हो। उससे कम या अधिक कोई जज न कर सके।

उदाहरण :- भारतीय दण्ड संहिता धारा 307 में 10 वर्ष की सजा है। कोई जज 3 वर्ष कर देता है, कोई 5 वर्ष कोई 7 वर्ष और कोई खुंदक खा कर 10 वर्ष कर देता है।

यदि किसी गम्भीर चोट या हल्की चोट की वजह है तो उसके लिए धारा भिन्न बनाई जाए। 307-A आदि-आदि ताकि जजों की मर्जी नहीं चले।

8. स्वयं संज्ञान (Sou Motu) रूपी दो धारी तलवार जजों को दे रखी है, इसको माननीय भ्रष्ट जज अपनी मर्जी से चलाते हैं।

भले ही न्यायप्रिय जज इसका सदुपयोग करते हैं परन्तु भ्रष्ट जजों द्वारा किए गए अन्याय के शिकारों की कमी नहीं है।

उदाहरण के लिए :- पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के जज श्री हेमन्त गुप्ता जी ने स्वयं संज्ञान लेकर अन्याय किया। ''प्रमाण सहित भ्रष्टाचार पत्र'' के पृष्ठ 56 पर जज के कारनामों की जानकारी है।

9. जिला सत्र के जज तथा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज एक ही पढ़ाई (L.L.B.) पढ़े हैं। कानून की किताब एक है, भारतीय संविधान भी एक है। जिला सत्र का जज एक केस में सजा कर देता है, हाई कोर्ट का जज उसी केस में बरी कर देता है। ये अन्तर किस कारण से है? यह भ्रष्ट जजों की मनमानियों तथा निरंकुशता का परिणाम है।

हाई कोर्ट में बरी हो गया तो स्वयं सिद्ध है कि जिला सत्र के जज ने

जानबूझ कर कानून को अनदेखा किया है। कारण चाहे कुछ भी रहा हो, ऐसे जजों के लिए जवाबदेही बनाई जाए तथा दण्ड का प्रावधान होना चाहिए।

उदाहरण (I) :- जज श्री अश्वनी कुमार जी ने तथा Rivision में एडीश्नल सैशन जज श्री नरेश कुमार सिंगला जी ने एक आदेश में कहा कि कोर्ट में पक्ष रखने के लिए गवाह भी वकील कर सकता है। क्योंकि इस के साथ Fraud हुआ है, यह Victim है।

इस के खिलाफ माननीय हाई कोर्ट चण्डीगढ़ में अर्जी लगाई। विद्वान न्याय प्रिय जज श्री सुरेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि निचली कोर्ट और Revision Court का यह कहना कि इसके साथ Fraud हुआ है। यह न्याय की भाषा के विरूद्ध है, असन्तुष्ट कहा जा सकता है। इसके साथ ही निचली कोर्ट का आदेश निरस्त कर दिया। हमें न्याय मिला।

अधिक जानकारी ''प्रमाण सहित भ्रष्टाचार पत्र'' के पृष्ठ 23 पर है।

उदाहरण (II) :- सैशन जज रोहतक श्री एस.एस. लाम्बा ने एक आदेश किया कि यदि एक भी मुकदमे में नामजद व्यक्ति अनुपस्थित हो गया तो सभी कथित दोषियों के बेल-बोन्ड कैन्सल कर दूँगा। एक तानाशाह वाला फरमान जारी कर दिया।

इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई, उस आदेश को हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने समाप्त कर दिया। लेकिन सैशन जज पर कोई कार्यवाही नहीं की गई।

गरीब जनता धक्के खाओ। यह सहंशाह जो चाहे करो, यह नहीं चलेगा बहुत हो चुकी है।

10. जमानत :- कानून में प्रावधान है कि जिस कोर्ट के स्तर की जमानत मंजूर करने का अधिकार है, वही जमानत मंजूर करे। जैसे एक मुकदमे में जिन के विषय में लिखा था कि पत्थर मारे, थप्पड़ मारे। उनको भी ऐडिश्नल सैशन जज ने जमानत नहीं दी। हाई कोर्ट से जमानत मिली।

★ जमानत का समय निर्धारित हो कि अर्जी लगने के पश्चात् एक महीना या दो महीने तक फैसला दिया जाए।

उदाहरण के तौर पर हमारे सतगुरूदेव जी की जमानत पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट चण्डीगढ़ के भ्रष्ट जज श्री नवाब सिंह ने ग्यारह महीनों में 20 तारीख लगा कर दी।

11. जिनको जमानत मिल गई है यदि वे अपनी स्थाई हाजरी माफी चाहें तो तुरंत दी जानी चाहिए यदि वह लिख दे कि मेरी गैर-हाजिरी में कोर्ट की कार्यवाही कराई जाए। पहचान पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए।

12. जिनको जमानत मिल गई है और उनको सजा हो गई है। उनको

अगली कोर्ट में तुरंत जमानत मिले। कुछ सजा काटने के पश्चात् फिर जमानत लगा सकेंगे। यह नीयम समाप्त करना चाहिए।

★ जैसे वर्तमान में नीयम है कि हत्या के मुकदमें में यदि सैशन कोर्ट सजा कर देती है तो 5 वर्ष सजा काटने के पश्चात् ही उसे हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाने का अधिकार है।

यदि 5 वर्ष सजा काटने पर वह व्यक्ति हाई कोर्ट में निर्दोष सिद्ध हो जाता है तो उसको 5 वर्ष की व्यर्थ सजा भोगनी पड़ी। यह बिल्कुल गलत है। यह अपील समय समाप्त करके तुरंत अपील का प्रावधान होना अनिवार्य है।

13. हत्या के मुकदमे में कानून की धारा तथा सजा के विषय में :-

★ दो गुटों का झगड़ा होता है। एक पक्ष का व्यक्ति मर जाता है तो दोनों का ही दोष है। देखा जाता है कि केवल जिस गुट का व्यक्ति मर गया, उस गुट के किसी भी व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज नहीं होता, दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्ज किया जाता है।

★ इस प्रकार की हत्या की सजा में कुछ कमी होनी चाहिए। झगड़ा इत्तफाक से भी हो सकता है। यदि कोई बलवान तथा राज पद से जुड़ा व्यक्ति किसी की बहन-बेटी के साथ कोई दुर्व्यवहार करता है। उसमें प्रथम तो कहा-सुनी होती है। फिर मामला बढ़ जाता है। हत्या लड़की वाले पक्ष से ही हो जाती है तो इसमें बहुत अंतर है। विचार करने योग्य है ये क्रिमनल व्यक्ति नहीं होते। इस के लिए धारा 302A बनाकर कुछ कम सजा का प्रावधान होना चाहिए।

★ एक व्यक्ति चोरी करने के लिए घर पर आता है, रोकने पर हत्या कर देता है। यह हत्या अन्य प्रकार की है। पूरा दण्ड देने योग्य है, इस पर धारा 302 लगे क्योंकि वह क्रिमनल व्यक्ति है।

14. जजों की सम्पत्ति को अन्य अधिकारियों तथा मंत्रियों की तरह सार्वजनिक करना अनिवार्य होना चाहिए। ऐसा कानून में प्रावधान होना अनिवार्य है।

15. दोष सिद्ध होने पर जजों को जेल जाने का प्रावधान होना चाहिए। विचारणीय विषय है कि ''देश के प्रधानमंत्री का यदि दोष सिद्ध हो जाता है तो उनको जेल जाना अनिवार्य है।''

★ एक जज जेल नहीं जा सकता, यह कैसी विडम्बना है? यदि देखा जाए तो जज तो राजा के नौकर हैं। राजा जेल जा सकता है, नौकर नहीं। यह कैसा प्रावधान है?

16. जजों की शिकायतों की जांच केवल जज ही न करें, कमेटी बनाई जाए।

17. मुकदमे बनाने में केवल I.O. (जांच अधिकारी) ही नहीं अपितु

D.S.P. तथा S.P. की भी समान जिम्मेदारी हो।

18. मुकदमे का चार्ज लगाने के बाद यदि धाराऐं गलत लगी हैं तो चार्ज फ्रेम करने वाला जज उनको ठीक करे। यदि गलत धारा लगाकर मुकदमा चलाया जाता है तो जज जिसने चार्ज फ्रेम किया है उस की जिम्मेदारी लगाई जाए तथा उचित दण्ड का प्रावधान हो और दूसरा जज भी उन्हीं गलत धाराओं से केस न चलाए, पहले वह धाराएं तोड़े, फिर मुकदमे की सुनवाई करे। यदि अगला जज भी गलत धारा से मुकदमा चलाता है तो उसको दण्ड का भागी बनाया जाए।

उदाहरण :- ''प्रमाण सहित भ्रष्टाचार'' पत्र में मुकदमा नं. 198/2006 रोहतक कोर्ट पृष्ठ 41 पर स्पष्ट है कि चालान में भी पुलिस ने स्वीकारा है कि सतलोक आश्रम के भक्त आश्रम से बाहर नहीं आए। आर्यसमाज के व्यक्ति सतलोक आश्रम करौंथा के निकट आए, झगड़ा हो गया। एक व्यक्ति मर गया, कुछ घायल हो गए। वैसे वे व्यक्ति पुलिस की गोलियों से घायल हुए और एक मरा था। प्रमाण है कि हरियाणा सरकार ने नौकरी दी तथा धनराशि भी इनाम में दी।

फिर भी यदि पुलिस की मानें तो भी धारा 148-149 Crpc आश्रम वालों पर कैसे लगा दी जिसको समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक गए परन्तु निराशा ही हाथ लगी। अन्त में सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक कहा कि ट्रायल कोर्ट में अपना पक्ष रखो और आदेश कर दिया कि अर्जी लगाने वाले ने अपनी S.L.P. उठा ली, वापिस ले ली व अपना पक्ष ट्रायल कोर्ट में रखेंगे।

यदि ट्रायल कोर्ट हमारी सुनवाई कर लेती तो हम सुप्रीम कोर्ट में किसलिए जाते? इसलिए मुकदमे की सुनवाई से पूर्व अपराधानुसार धाराओं का लगना अनिवार्य हो और जजों की जिम्मेदारी बनाई जाए।

19. सन् 2010 में हमने एक पुस्तक ''सच बनाम झूठ'' सर्व न्यायधीशों तथा सर्व M.P.'s तथा M.L.A.'s को स्पीड रजिस्टर्ड पत्र पोस्ट से भेजी थी जिसमें भ्रष्ट राजनेताओं तथा भ्रष्ट जजों का कन्धे से कन्धा मिलाकर किए भ्रष्टाचार की जानकारी दी थी। उस के आधार से आज तक भ्रष्टों पर तो कोई कार्यवाही नहीं की गई, उल्टा हमारे एक सदस्य भक्त बसंत दास पर कोर्ट की मानहानि का केस माननीय भ्रष्ट जज हेमन्त गुप्ता जी ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में स्वयं संज्ञान लेकर मुकदमा नं. C.R.O.C.P. No. 22 of 2011 बना दिया। जिससे वह मानसिक संतुलन खो बैठा। कई बार आत्म हत्या करने की कोशिश की। उसका P.G.I.M.S. रोहतक के मनोरोग विभाग में उपचार चल रहा है।

20. न्यायालय की अवमानना का जो विशेषाधिकार जजों को दिया गया

है। इसके डर से आम व्यक्ति चुप रहता है तथा भ्रष्ट जजों के अत्याचार-अन्याय को सहन करने के लिए विवश है। प्रधानमंत्री राष्ट्र का मालिक है जो जजों की भी सुरक्षा करता है तथा इन जजों का भी पेट भरता है। उस का कोई मान-सम्मान नहीं। उस को कोई कुछ कहो । परंतु मान-सम्मान का मौड़ (ताज) जजों को ही प्रदान है। इस पर भी विचार हो ऐसा कोई नहीं है कि किसी को फिजूल में कह देता हो यदि कोई बेमतलब बकवास करता है तो उसके लिए कानून है। यदि अपने भारत में बोलने की स्वतंत्रता है तो ''राष्ट्रपति जी'' को छोड़ कर सर्व के विषय में बोलने का अधिकार होना चाहिए।

21. जजों को सरकारी दबाव से मुक्त रखना भी अनिवार्य है। इसलिए इनको विशेष सुविधा देना भी अनिवार्य होगा।

इसके लिए सुझाव :- जजों के बच्चों को पढ़ाने का खर्च सरकार वहन कर सकती है। वेतन बढ़ाया जा सकता है। जनता तथा जजों व अन्य राजनेताओं तथा प्रशासनिक अधिकारियों को परमात्मा के विधान का ज्ञान होना अनिवार्य है। अनजान बच्चा विष को खा लेता है और मौत को प्राप्त कर लेता है। जब वह विष के अवगुण से परिचित हो जाता है तो स्वयं तो उससे दूर रहता है। अन्य को भी उससे दूर रहने की राय देता है। जो रिश्वत रूपी विष आज जज, राजनेता तथा अन्य अधिकारी कर्मचारी खा रहे हैं। उन्हें याद रखना चाहिए कि इसका कितना भयंकर परिणाम होता है।

उदाहरण :- एक व्यक्ति को जब परमात्मा के विधान का ज्ञान हुआ तो बताया कि ''मैं बहुत रिश्वत लेता था। सोचता था कि अपने इकलौते पुत्र को धनी तथा सुखी बनाऊंगा। कुछ समय पश्चात् लड़का रोगी हो गया। दोनों गुर्दे खराब हो गए। पहले उपचार कराया फिर गुर्दे बदलवाए, जिसमें 20 लाख रूपये खर्च हो गये। लड़के का ऑपरेशन सफल हो गया, राहत की सांस ली, क्षतिपूर्ति के लिए रिश्वत की हवस और बढ़ गई। लड़के का विवाह निकट था। लड़का अपनी कार से घर लौट रहा था। दुर्घटना में 8 लाख की कार तथा लड़का दोनों समाप्त हो गये। उसके पश्चात् परमात्मा का सहारा दिखाई देने लगा। रोते-२ सत्संग के लिए धार्मिक चैनलों को खोजने लगा, 7:45 PM पर अचानक साधना चैनल लग गया जिस पर सन्त रामपाल जी महाराज का सत्संग चल रहा था, इत्फाक से सत्संग उसी विषय पर था जिसका मैं शिकार हो चुका था। सत्संग पूरा एक घण्टा चला। सत्संग सुनकर उसी दिन पुस्तक ''ज्ञान गंगा'' निशुल्क मंगाने के लिए अपना पूरा पता लिखकर S.M.S. किया। ज्ञान समझकर नाम उपदेश लेकर धन्य हुआ। अब मनुष्य जन्म का उद्देश्य पूरा हुआ।

सत्संग के वे वचन मेरे आर-पार निकल गए :-

सन्त जी ने बताया कि ''एक राज्यपाल के पास दो राज्यों का पद भार था। रिटायरमैंट के निकट था। इसलिए हैलिकाप्टर में तीन करोड़ रूपये (सौ-सौ के नोट) लेकर पहाड़ी क्षेत्र में प्लाट खरीदने परिवार सहित जा रहा था। दुर्घटना में सपरिवार मारा गया। पहाड़ों में नोट उड़ते फिर रहे थे। गवर्नर के सरकारी निवास में 40 करोड़ रूपया भी अवैध मिला। उस अनजान व्यक्ति ने परमात्मा के विधान को न जानने के कारण आजीवन विष खाया। उसी विष ने उसका सर्वनाश कर दिया। अभी उस जीव का सिलसिला समाप्त नहीं हुआ। आगे क्या होगा जिस-२ से रिश्वत ली थी। उनके एक-एक पैसे को चुकाना पड़ेगा ''किसी का गधा बनकर ऋण उतारेगा, किसी की भैंस बनकर'' सत्संग में बताया गया कि इसलिए परमात्मा के विधान को समझ कर बुराईयों से बचें।

तुमने उस दरगाह का विधान नहीं देखा। धर्मराज के तिल तिल का लेखा।

विशेष :- राजनेता, जज तथा प्रशासनिक अधिकारी ये भी अपने भाई बहन हैं, हमारे शत्रु नहीं हैं। परन्तु अज्ञानता वश रिश्वत का विष खा कर पाप के भागी बन रहे हैं। इनको इस से बचाना हमारा उद्देश्य है। जब विष (रिश्वत के दुष्परिणाम) का ज्ञान होगा तब :-

जैसे किरका (कण) विष का रंग होरी हो।
कहो कौन तिसे खावै राम रंग होरी हो।।

भावार्थ है कि जिसको विष के दुष्परिणाम का ज्ञान हो जाएगा तब विष (Poison) का एक कण भी यदि कहीं गिरा-पड़ा हो, उसको भी कोई नहीं खा सकता। इसी प्रकार यह रिश्वत रूपी विष का ज्ञान होने के पश्चात् कोई यह गलती नहीं करेगा। एक जज का इकलौता पुत्र था। वही दुर्घटना में मारा गया। अज्ञानतावश वह फिर भी बाज नहीं आ रहा। परमात्मा के विधान को जानकर ही यह बुराई छुटेगी। इसके साथ जीव का स्वभाव है कि उसे दण्ड का खौफ भी अनिवार्य है। इसलिए कड़े कानून की भी आवश्यकता है।

धन्यवाद।

पत्राचार के लिए :-
मा० रामकुमार ढ़ाका (M.A.Bed.)
मकान नं० 704 वार्ड नं. 18
रोहतक प्रान्त-हरियाणा

प्रार्थी
राष्ट्रीय समाज सेवा समीति
के सर्व 10 लाख सदस्य
(यह समीति पूर्ण रूप से धार्मिक तथा
गैर-राजनीतिक संस्था है।)
सम्पर्क सूत्रः-09992373237, 09416296541,
09416296397, 09813844747